आधी रात से सुबह तक

आधी रात से सुबह तक

आधी रात से सुबह तक

[तानाशाही से लोकतांत्रिक चेतना की ओर]

लक्ष्मीनारायण लाल

राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली

मूल्य : बारह रुपये (12.00)

पहला संस्करण 1977, © डा० लक्ष्मीनारायण लाल
AADHI RAAT SE SUBAH TAK (Current Affairs)
by Dr. Lakshmi Narain Lal

स्वीकार

राजनीति में कभी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तब हमेशा यह मानता रहा कि राजनीति की बुनियाद किसी न किसी रूप में हिंसा पर आधारित होती है। राजनीति का लक्ष्य ही है सत्ता प्राप्त करना। जहां सत्ता की भूख है, वहां हिंसा अनिवार्य है। इसीलिए दांव-पेच राजनीति का एक अस्त्र है, क्योंकि यह विरोधी को परास्त करने के लिए आवश्यक है।

पर दैवसंयोग से मेरे जीवन में अचानक एक घटना घटी।

सन् सत्तर की बात है। बिहार सर्वोदयी जयप्रकाश से नक्सलवादी युवकों की रात के अंधेरे में एक भेंट होती है। एक ओर अहिंसा का मूल्य दूसरी ओर हिंसा का। प्रश्न था—प्रश्न क्या चुनौती थी जन्म-मरण की। बेतरह क्रुद्ध, हत्या की राजनीति के लिए कृतसंकल्प नक्सलवादी युवकों से जयप्रकाश की यह शर्त थी कि यदि तुम लोग मुझे यह साबित कर दो कि शक्ति मनुष्य की नैतिक शक्ति से नहीं, बंदूक की गोली से निकलती है तो मैं ही तुम्हें अपने-आपको भेंट चढ़ा दूंगा। पर हुआ उल्टा। हत्या की राजनीति पर नैतिक शक्ति की विजय होती है। वे नक्सलवादी युवक जे० पी० के भक्त हो जाते हैं। उस दिन मुझे पहली बार एक अद्भुत चीज़ मिली—राजनीति से आगे लोकनीति, जिसकी बुनियाद सत्ता नहीं आत्म-समर्पण है। पहले स्वयं को समर्पित, फिर दूसरों के, लोक से प्राप्ति। यहां देकर ही पाया जाता है।

उस क्षण से मैं जयप्रकाश से आकृष्ट हुआ।

उनकी जीवनी लिखी।

पर २५ जून १९७५ की रात जिस तरह से हमारे देश—समाज पर आपात् स्थिति लागू की गई और जिस तरह एक प्रजातंत्र, मेरी आंखों के सामने तानाशाही के अंधकार में कैद कर लिया गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस क्षण लोकनायक जयप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल में

डाला गया, मैं उसी क्षण राजनीति से न जाने क्यों कैसे सहज ही जुड़ गया।

राजनीति यह है ?

राजनीति में से ही एक और लोकनीति निकलती है, प्रजातंत्र का सर्वोदय होता है और राजनीति में से ही ऐसी तानाशाही निकल सकती है। अचानक काली रात घिर सकती है। कैसी भयंकर है यह राजनीति ? कसी शक्ति है यह ?

इससे जो जैसा चाहेगा वैसा नहीं, लेकिन इससे मिलकर जो जैसी कीमत चुकाएगा, वैसा ही, उसी अनुरूप यह फल देगी। यह पहली बार मुझे अनुभूत हुआ और इसे समझने में मेरे मित्र श्री नेमिशरण मित्तल ने मेरी मदद की।

आपात स्थिति में हम कई घंटों बैठे राजनीति की ही बातें करते, वहीं जीते, वहीं मरते।

यह भी तो राजनीति है कि सज्जन लोग इससे दूर रहें।

यह भी तो राजनीति है कि हम राज्य में रहते हैं, पर राजनीति बुरी चीज है, यही भाव हमें दिया जाता है।

यह भी तो राजनीति है कि हम राजतंत्र के सहारे जो चाहें वही सत्य नहीं है, मानव मूल्य नहीं है, केवल भय है, आतंक है। इसलिए मनुष्य को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए एक विश्वास चाहिए। विश्वास पैदा ही होता है भय से।—मैं दूंगा वह विश्वास ?

जो चाहूंगा साबित कर दूंगा।

—नहीं।

—तुम कहते रहो। प्रचार-प्रसार के इतने साधन हैं मेरे पास कि जो चाहूंगा साबित कर दूंगा कि यही है सत्य।

—नहीं।

—सत्य होता नहीं, सत्य बनाया जाता है।

—नहीं।

ये संवाद मेरे भीतर से उन्हीं अंधेरी रातों में तब फूटे थे।

पता नहीं कब मैं राजनीति से जुड़ गया। पता नहीं कब मैं राजनीति से टूट गया।

इसीका फल है यह—'आधी रात से सुबह तक।'

यह मैंने देखा है। यह मैंने नहीं लिखा, किन्हीं अज्ञात हाथों ने मुझसे लिखवाया। यह मैंने भोगा है। यह मैंने कल्पना से नहीं, केवल सच्चाइयों से लिखा है। केवल सच्चाइयों से सच्चाई को लिखना कितना विकट कार्य है, पहली बार अनुभूत हुआ।

छपे हुए शब्द इतने खतरनाक हो सकते हैं। प्रचार-प्रसार से निकले हुए शब्द कितने भयंकर हो सकते हैं, शब्दों की अनुपस्थिति इतनी बेचैन कर सकती है—इतनी कड़ी यातना दे सकती है, इसी दारुण अनुभूति ने मुझसे यह कार्य लिया।

सारा भूमिगत साहित्य हम कहां कैसे तैयार करते थे। कैसे पाते, देते और छिपाकर रखते थे, वही तो थोड़ा कुछ साक्ष्य है, उस महान संघर्ष का जो पूरे देश में, विशेषकर मध्यदेश (हिन्दी क्षेत्र और पंजाब) में लड़ा गया।

भूमिगत सामग्री जुटाने में सर्वश्री दीनानाथ मिश्र, डा० हरदेव शर्मा, अनुपम मिश्र ने मेरी मदद की।

श्री दीनानाथ जी से अनेक बातें समझने में मुझे मदद मिली है।

'तरुण क्रान्ति' के संपादक और युवा मित्र कुमार प्रशांत का कृतज्ञ हूं जिनसे जेल और जेल के बाहर की दुनिया का, जे० पी० और बिहार का एक गहरा एहसास मुझे उस अंधकार में मिलता रहा है।

मुख्यत: बिहार के युवा छात्र-नेताओं, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश के युवा-दोस्तों से मुझे अनेक सामग्रियां मिली हैं। अब तक मिलती जा रही हैं जिनका उपयोग मैं उत्तरोत्तर करता रहूंगा।

पांडुलिपि के टंकन में पुराने सहयोगी श्री भीमसिंह नेगी ने और इसके पाठन में साथी प्रमोद शुक्ल ने सहायता की है। पत्नी आरती के सहयोग बिना यह कार्य कठिन था।

यह पुस्तक लिखने के पीछे मुख्य प्रेरणा यही थी कि भारतीय जीवन में ऐसी काली रात फिर न आने पाए। पर यह कहना मात्र पर्याप्त नहीं है। यह भूलना नहीं है कि महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी तो हमें स्वतंत्रता

मिली। जयप्रकाश ने इतनी बड़ी शहादत दी तो हमें प्रजातंत्र मिला। कोई चीज़ बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। और प्रजातंत्र तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें हर क्षण कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस क्षण, जितना यह जहां रुका, जहां टूटा, वहां उतनी ही उसकी क्षति हुई।

जो काली रात आई थी, वह रात बीत गई, पर सुबह हो गई, मुझे अभी ऐसा नहीं दिखाई देता। रात छिप गई है और उसका अंधकार रोग के कीटाणुओं की तरह हमारे घरों, स्कूलों, सड़कों इमारतों और हमारे व्यवहारों में कहीं गहरे गरदन छुपाकर दुबककर बैठा है। हम उसे देखें। सुबह होती नहीं, सुबह ले आनी पड़ती है। प्रकाश है जैसेकि अंधकार है। आग जलानी पड़ती है, अंधकार के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अभाव का ही नाम अंधकार है। पर जो है वही प्रकाश है।

चलो देखें···।

नई दिल्ली
१८-४-७७

लक्ष्मीनारायण लाल

क्रम

एक लम्बी शाम	१३
वह शाम कैसी थी ?	१८
आधी रात से काली रात	५१
सिल गए होंठ	६५
दूसरे छोर पर	८८
आंखों देखा	९६
अंधकार के खिलाफ	१०७
और खबरें आने लगी	१४८
साहस और सामना	१५६
रात बीती	१७२

आपात् स्थिति के कारागार में
डा० सत्यव्रत सिनहा
और सभी शहीदों के नाम

एक लम्बी शाम

—जे० पी०···।

बम्बई के जसलोक अस्पताल में जयप्रकाश ने मेरी ओर देखा। हम एक-दूसरे को एक क्षण देखते रह गए।

—जे० पी० !

—हां।

—कुछ पूछना चाहता हूं।

—क्या ?

—२५ जून '७५ रात को जब आप अचानक गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के उस कमरे में गिरफ्तार किए गए तो आपको कैसा लगा ?

—मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। इसकी मुझे तनिक भी आशंका न थी। मैं इस तरह गिरफ्तार किया जाऊं, इसकी कोई वजह न थी। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। यद्यपि मैं कहा जरूर करता था, पिछले कितने दिनों से, कि श्रीमती इन्दिरा गांधी डिक्टेटर हो सकती हैं, पर वह इस कदर आगे बढ़ सकती हैं, ऐसी मुझे आशा न थी।

—बंदी बनाकर आप कहां ले जाए गए ?

—रात के लगभग तीन बजे अपने कमरे से कार में बिठाकर मुझे हरियाणा प्रदेश के सोहना नामक स्थान पर ले जाया गया। वहां मुझे एक बंगले (रेस्ट हाउस) में रखा गया।

—वहां पहुंचकर आपने क्या देखा ?

—सोहना पहुंचते ही मैंने देखा कि श्री मोरारजी भाई देसाई भी गिरफ्तार करके ले आए गए हैं। हम दोनों उसी बंगले में अलग-अलग कमरों में रखे गए। उनसे मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। मैंने वहां के

पुलिस अधिकारी से, जिनके संरक्षण में हम थे, अनुरोध भी किया कि कम से कम भोजन के समय तो हम दोनों को मिलने दें, परन्तु मेरी यह छोटी-सी प्रार्थना भी अनसुनी कर दी गई।

—फिर क्या हुआ ?

—सोहना के बंगले में केवल तीन दिन मैं रहा। इसी बीच मेरा हृदय रोग कुछ उभर आया था। यह रोग मुझे पहले से था। परन्तु गिरफ्तारी के पहले तक मैं सामान्यतः स्वस्थ था। जब सोहना में सरकारी डाक्टरों ने मेरे स्वास्थ्य की परीक्षा की तो उन्हें मेरे हृदय में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। इसलिए २९ जून को दिल्ली स्थित आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आवश्यक जांच और चिकित्सा के लिए वे मुझे ले गए। वहां मेरे कुछ पूर्व परिचित डाक्टर थे, जैसे डा० सुजय बी० राय (अब स्वर्गीय), डा० एम० एल० भाटिया, आदि, जिन्होंने पहले भी मेरी चिकित्सा की थी। उनकी देख-रेख में दो दिन मुझे रखा गया और १ जुलाई की शाम को एयर फोर्स के बिमान से मुझे चंडीगढ़ पहुंचा दिया गया। वहां मुझे पी० जी० आई० (पोस्ट-ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च) के अस्पताल में रखा गया। तब से रिहाई के दिन (१२ नवम्बर' ७५) तक वहीं चंडीगढ़ में मैं नज़रबंद रहा।

—कैसा था वह एकाकी कारावास ?

—चंडीगढ़ में बंदी जीवन की एक लम्बी कहानी है। अभी इतना ही कहना चाहता हूं कि नज़रबंदी के साढ़े चार महीनों के दौरान मैं बिल्कुल अकेला ही रहा। यह अकेलापन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अखरने वाली बात थी। चंडीगढ़ के जिलाधिकारी, अस्पताल के डाक्टर, नर्स आदि अवश्य मुझसे मिलते थे, परन्तु वे केवल मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ कर चले जाते थे। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे मैं अपने मन की बात कह सकता। साथी का यह अभाव मुझे अंत तक खलता रहा। मैंने सरकार से अनुरोध भी किया कि मेरे साथ ऐसे किसी व्यक्ति को रहने दिया जाए जिससे मैं दो बातें कर सकूं, अपने विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान कर सकूं। देश की विभिन्न जेलों में हमारे आंदोलन के

हजारों साथी बंद पड़े थे। उनमें से ही किसी एक को चंडीगढ़ में मेरे साथ रखा जा सकता था। परन्तु सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। इस दृष्टि से मेरे साथ इन्दिराजी की सरकार का व्यवहार विदेशी अंग्रेज़ी सरकार के व्यवहार से भी बुरा था। क्योंकि सन् '४२ के आंदोलन के सिलसिले में जब मैं (१९४३ में) गिरफ्तार होकर लाहौर में दाखिल हुआ तो पहले वहां भी कुछ महीनों तक मुझे बिल्कुल अकेला ही रखा गया और मैं सरकार से साथी की मांग करता रहा। अंत में उस विदेशी सरकार ने मेरी प्रार्थना सुनी और जब डा० राममनोहर लोहिया लाहौर किले में लाए गए तो हर दिन एक घंटे तक उनसे मिलने और बातचीत करने की इजाज़त मुझे मिली। लेकिन इस स्वदेशी सरकार का रवैया तो अजीब रहा। हां, कुछ दिनों के बाद वह इसके लिए तैयार हुई कि मैं चाहूं तो अपने निजी सेवक गुलाब यादव को साथ रख सकता हूं। परन्तु मुझे तो सेवक से अधिक साथी की ज़रूरत थी। इसके अलावा गुलाब भी कैदी बनकर ही मेरे साथ रह सकता था। यानी एक बार मेरे साथ रहने पर उसको फिर बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। यह मुझे मंजूर नहीं था कि वह मेरे साथ बिना कसूर कैदी बनकर रहे। इस प्रकार आखिर तक मुझे अकेला ही रहना पड़ा, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा थी।

—कैसी थी वह जगह जहां आप नज़रबंद थे ?

चंडीगढ़ अस्पताल के जिस कमरे में मुझे नज़रबंद रखा गया था, वहां घूमने के लिए तंग गलियारा (कारीडोर) था, जिसके दोनों तरफ के कमरों में मेरे सशस्त्र पहरेदार थे। हृदय का रोगी होने के कारण मैं खुली हवा में घूमना-फिरना चाहता था। बहुत आग्रह करने पर करीब ढाई महीने के बाद १८ सितम्बर को मुझे अस्पताल के ही अहाते में स्थित उसके अतिथि-भवन में ले जाकर रखा गया जिसके सामने के मैदान में मैं थोड़ा टहल-फिर सकता था। परन्तु वहां मैं कुछ ही दिन रह पाया क्योंकि अचानक एक दिन (२७ सितम्बर को) मेरे पेट में भयानक दर्द शुरू हुआ। वैसे दर्द का अनुभव मुझे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। डाक्टरों ने दवाएं दीं, जिससे दर्द कम हो गया। परन्तु ८ अक्तूबर को और फिर अक्तूबर के ही आखिरी दिनों में वैसा ही दर्द शुरू हुआ। उसके कारणों की जांच और

चिकित्सा के लिए मुझे ३१ अक्तूबर को फिर अस्पताल के उसी कमरे में ले जाया गया जहां मैं पहले था और रिहाई के दिन तक वहीं रखा गया। १२ नवम्बर '७५ को उसी कमरे से अधमरा होकर मैं बाहर निकला।

—मोरारजी भाई···

—जी।

—जब आप २५ जून की रात गिरफ्तार हुए तो आपको कैसा लगा ?

—मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे सन् चौहत्तर से ही यह आशंका थी कि ऐसी कोई दुर्घटना जरूर होगी। इसीके नाते मैंने इस बीच दो बार अनशन किए थे ताकि यहां की जनता को नैतिक बल और साहस मिले जिसके आधार पर वह भविष्य में संघर्ष और त्याग कर सके।

—नानाजी देशमुख, आपको कैसे गिरफ्तार किया गया ?

—क्यों ?

—क्योंकि आप तो ऐसे पकड़ में आने वाले नहीं !

—बिल्कुल। पच्चीस की रात, मुझे किसीने फोन पर कहा, आप आज रात यहां (दीनदयाल स्मारक भवन) मत रहिए। गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं सीधे भागा पालम एयरपोर्ट—श्री जयप्रकाश नारायण छब्बीस की सुबह हवाई जहाज से पटना जाने को थे, मैं उन्हें गिरफ्तार होने से बचा लूं, पर यहां पहुंचते ही मुझे पता चला कि जे० पी० तो गिरफ्तार हो चुके। फिर तो चुपचाप मैं एयरपोर्ट के बाथरूम में चला गया। वहां अपनी डायरी, लोगों के पते, 'खतरनाक' कागजात सबको फाड़कर फ्लश में डाल दिया और भेष बदलकर बाहर निकला।

—फिर कहां गए ?

—अंडर ग्राउंड (भूमिगत) हो गया। और डटकर काम करने लगा।

—पुलिस से कैसे बचते रहे ?

—वह कहानी लम्बी है और खतरनाक भी।

—पकड़े कैसे गए ?

—सफदरजंग इन्क्लेव के एक घर में दिन के वक्त पुलिस से घिरकर पकड़ा गया। वह घर भी ऐसा था कि वहां से न कहीं कूदा जा सकता था, न छलांग मारी जा सकती थी, न भागा ही जा सकता था।

—पुलिस आपको आसानी से पहचान गई ?

—बिल्कुल नहीं। मेरी फोटो से मेरी शक्ल, मेरा पहनावा, बिल्कुल भिन्न था।

—चन्द्रशेखर, आप जेल में क्या करते रहे ?

—मेरा कारावास कठोर तहनाई का था, मैं ही ऐसा अकेला कैदी था जिसे पत्र लिखने तक की इजाजत नहीं थी।

—फिर क्या करते थे एकाकी कारावास में ?

—अधिकतर बागबानी करता था, कुछ पढ़ता-लिखता भी था···

तमाम चेहरे मेरे सामने एक-एक कर आते रहे और एक क्षण ऐसा लगा जैसे मेरा ही चेहरा मेरे सामने आकर मुझसे पूछने लगा :

ऐसा क्यों ?

कैसे ?

वह शाम कैसी थी ?

आजादी मिलते ही महात्मा गांधी ने कहा था—सत्ता और सत्याग्रह में विरोध है। सत्याग्रह से सत्ता नहीं ली जाती।

पर सत्याग्रही कांग्रेस सत्ताधारी बनी। कांग्रेस आंदोलनात्मक संगठन था। और आंदोलनकारी तत्त्व, सत्ता और सत्याग्रही तत्त्व, इन दोनों से जो कांग्रेस शासन तंत्र, सत्ता स्वरूप विकसित हुआ उसीका लेखा-जोखा है भारत का वर्तमान इतिहास। एक अजब करुण चित्र है उस माहौल का।

दिन है, पर आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आंधी चलती है तो बादल फट जाते हैं। पर मौसम का पता नहीं चलता।

सन् सत्तर-इकहत्तर तक आते-आते भारतीय स्वराज्य की दशा बिल्कुल बिगड़ गई और वह अपनी दुर्गति के साथ किसी अंधेरी दिशा की ओर जाने लगी। जनता ने जिस उत्साह और विश्वास से इन्दिरा गांधी को अपना नेता चुना, उसी कांग्रेसी राज में, जनता की उतनी ही दुर्गति शुरू हुई। जनता दुःख से कराहने लगी···भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार ! जनता का कोई काम नहीं निकल सकता था, बगैर रिश्वत दिए। वह हर तरह के अन्याय के नीचे दबती चली जा रही थी। शिक्षा-संस्थाएं भ्रष्ट हो रही थीं। सारी युवा पीढ़ी का भविष्य अंधेरे में था। उसका जीवन नष्ट हो रहा था। जो शिक्षा युवकों को मिल रही थी, वह थी गुलामी की शिक्षा, अपमानित जीवन बिताने की शिक्षा, कलम घिसने की शिक्षा, घुटने टेककर जीने की शिक्षा। और वैसी शिक्षा पाकर भी नौकरी के लिए दर-दर ठोकरें खाने की विवशता।

दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ रही थी। एक सर्वग्राही नैतिक पतन की हवा चल पड़ी थी। जितने ही ज़ोर से 'गरीबी हटाओ' के नारे लगते, उतनी ही गरीबी बढ़ती जा रही थी। नीचे जितनी गरीबी बढ़ रही थी, ऊपर उतनी ही अमीरी फूल-फल रही थी। जिस कदर अमीरी नैतिक पतन की ओर जा रही थी, उसी तरह गरीबी उदासी, निराशा और कायरता में डूबने लगी थी। सत्ता के मद में शासन-तंत्र जितना ही निरंकुश, अनुत्तरदायी और शक्तिलोलुप हो रहा था, जनतंत्र, लोक-चेतना की बुनियाद उतनी ही ढह रही थी।

बिहार राज्य के किसी दूर-दराज पिछड़े गांव के अंचल में सर्वोदयी कार्यकर्ताओं की टोली के साथ एक सत्तर साल का क्रान्तिदर्शी, जयप्रकाश, पैदल घूम रहा था और चारों ओर आंख उठाकर देख रहा था :

देश की परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। आश्चर्य होता है कि लोग यह कैसे सहन कर रहे हैं, कैसे लोग अपना पेट भर रहे हैं। जनता के दिलों में जो असन्तोष की, जो विद्रोह की भावना है, जो रोष है, वह विस्फोट बनेगा ! क्या जनता चुप रहेगी ? अब इस लोकतंत्र के दायरे में जो संवैधानिक तरीका है, उससे जनता की समस्याओं का कोई उत्तर मिलता नहीं है। क्या करेगी जनता ? सरकार के वादे हैं, लेकिन वे वादे कैसे पूरे होंगे ? कोल्हू के बैल की तरह यही जो तंत्र है, यही जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, इसीमें हम घूमते रहेंगे तो जनता को भांग भी नहीं मिलेगी। अतः इन बीमारियों की जड़ में जाना है।

बहुत सोचने-विचारने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई नेता, कोई दल, कोई व्यक्ति या समूह कहीं से आकर जनता का उद्धार नहीं कर सकता। जनता को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होती है। जिस हद तक जनता स्वयं अपनी संगठित शक्ति का निर्माण कर सकेगी, उसी हद तक राज्य की दमन-शक्ति को निरर्थक बनाकर शांतिमय संघर्ष द्वारा अपनी नियति बदल सकेगी। देश की कोटि-कोटि जनता को संकल्प लेना होगा कि रावी के तट पर जिस पूर्ण स्वराज्य का संकल्प हमने लिया था उसकी पूर्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करेंगे।

जिनके हाथ में इस समय देश की सत्ता है, व्यवस्था और नीतियों के परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में उनका दृष्टिकोण और आचरण सर्वथा अनुचित और अविवेकी रहा है। व्यापार में, उद्योग में और हर जगह भ्रष्टाचार अवश्य है, लेकिन यह दूर नहीं हो सकता जब तक कि राजनीति में, शासन में और सत्ता में जो भ्रष्टाचार है उस पर काबू नहीं

पाया जाए। अन्य क्षेत्रों के भ्रष्टाचारियों को पोषण मिलता है—सत्ता के द्वारा, राजनीति के द्वारा। आज यह भ्रष्टाचार सीमा को पार कर गया है। जवाहरलालजी के ज़माने में भ्रष्टाचार नहीं था क्या ? ज़रूर था। लेकिन इन्दिराजी के ज़माने में जितना यह रोग बढ़ा है उतना 'क्रमिक' यह कभी नहीं था। जनता की रोटी इस भ्रष्टाचार के सवाल से जुड़ी हुई है। अरबों रुपया देश का न जाने कहां गया, किसके खीसे में चला गया ? जनता के पास नहीं पहुंचा।

केन्द्र सरकार जन-भावनाओं को सुनती ही नहीं। आज यह संघर्ष भारत की जनता और प्रधानमंत्री के बीच है और यह तब तक चालू रहेगा जब तक जनता के हाथ में सत्ता की लगाम न आ जाए। जनता को पावर को 'कंट्रोल' करना होगा, 'टेम' करना होगा। पावर के ऊपर, सत्ता के ऊपर, शक्ति के ऊपर, चाहे वह धन की शक्ति हो चाहे राज्य की शक्ति हो, उस शक्ति के ऊपर काबू रहे, अंकुश रहे जनता का, जयप्रकाश नारायण का नहीं, जनता का रहे, छात्रों का रहे, युवकों का रहे।

इसके लिए लाखों-लाखों लोगों को दिल्ली आकर संसद का घेराव करना होगा। संसद से कहना होगा कि देश की 'हाइयेस्ट कमाण्ड' दिल्ली में बैठी सरकार नहीं, जनता है। जिसको जनता चाहती नहीं है, वह कुर्सी पर नहीं रहेगा। 'तन्त्र' के ऊपर 'लोक' की लगाम रहे, तभी सच्चा लोकतंत्र बनेगा।

हवा चली

सत्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है और यह किस शक्ति से चलाई जा सकती है, इसे तब गांधी ने इतने खुले शब्दों में नहीं बताया था। अब जे० पी० ने कहा—क्रांति लोकशक्ति द्वारा होती है, उसे पूर्णतः अहिंसक होना पड़ेगा। क्रांति घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। क्रांति को प्रक्रिया में भी परिवर्तन लाना होगा। उसीमें पुराने समाज का बदलना और नये का बनना—दोनों साथ-साथ और कदम ब कदम होते हैं।

यही है बिहार आंदोलन की भावनात्मक पृष्ठभूमि।

और उन गांवों में घूमते-घूमते सच्चाई की परतें एक के बाद एक

उतरती चली जा रही थीं। मुसहरी या मिथिला के नक्सलवाद की जड़ में माओवाद नहीं था। यहां के नक्सलवाद की जड़ में भ्रष्ट चुनाव के जहर, जात-पांत से पनपी प्रतिहिंसाएं, सरकारी तंत्र के झूठ, अत्याचार, सामाजिक अन्याय, शोषण और मुकदमेबाज़ियां थीं। इस अंचल में दर्जनों जवान फरारी जीवन बिता रहे हैं। अनगिनत युवक वर्षों से जेल में सड़ रहे हैं और न जाने कितने लोग पुलिस और सरकारी व्यवस्था के झूठे मुकदमों में फंसे हैं।

जे० पी० के आसपास वे सारे युवक आ रहे थे, जिन्हें अब तक हिंसा में विश्वास था। दूर खड़े वे युवक अपलक देखने लगे थे जिन्हें राजनीतिक दलों और नेताओं से अब तक घृणा हो चुकी थी। उनके मानस में कोई सपना उभरने लगा। सी० पी० एम०, जनसंघ, समाजवादी पार्टियां, शोषित दल के लोग, पुरानी कांग्रेस के सदस्य, खादी ग्रामोद्योग और सर्वोदय के कार्यकर्ता, जो लोकधारा से हटकर केवल अपने-अपने दल के हितों और संदर्भों में ही सोचने के लिए विवश थे, वे एक नयी सच्चाई के आमने-सामने खड़े थे। सभी क्रांतियों में केन्द्रीय प्रश्न सत्ता का ही होता है और सभी क्रांतियों का आयोजन जनता के लिए, लोक के लिए, सत्ता प्राप्त करने के नाम पर किया जाता है, तथापि हमेशा क्रांति करने वालों में से ऐसे मुट्ठीभर लोगों द्वारा सत्ता हड़प ली जाती है, जो सबसे ज्यादा निर्मम होते हैं। और ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी मान्यतानुसार सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। प्रजातंत्र के नाम पर भ्रष्ट चुनाव-पद्धति भी वही बंदूक है जो चुनाव से पहले ही काले पैसों और गुंडों द्वारा लुटवाकर हथिया ली जाती है। और यह बंदूक जन या लोक के हाथ में नहीं, बल्कि हिंसा के उस संगठित तंत्र के हाथ में रहती है जो हर सफल क्रांति और अब केवल चुनाव-क्रांति में से उसकी पार्टी, सेना या उसके दल के रूप में पैदा होती है।

तो हिंसा और तंत्र से भी ऊपर हर मनुष्य की अपनी एक अस्मिता है। खाली हाथ भी मनुष्य अन्याय और झूठ का विरोध कर सकता है। इस नये विश्वास की अभिव्यक्ति, मिथिला की भूमि से चलकर छोटा नागपुर का पठार पार कर गंगा की तराई से होकर बिहार के छात्र और युवक तक

पहुंची जो १८ मार्च, १९७४ को सुबह दस बजे पटना की असेम्बली को घेर लेते हैं—शुद्ध सत्याग्रही भाव से। सारे युवक छात्र स्वयं अपने नेता थे। बारह मांगें थीं, आठ शिक्षा संबंधी और चार सार्वजनिक—भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी और शिक्षा में आमूल परिवर्तन से सम्बन्धित। राज्यपाल विधानसभा में तब तक भाषण न करें जब तक ये मांगें पूरी न हों। उधर दिन के ठीक साढ़े ग्यारह बजे पटना शहर में आग लगा दी जाती है। 'सर्चलाइट' और 'सुजाता' जलने लगते हैं, दूकानें लूटी जाती हैं। शासन जैसे खत्म हो जाता है। यह सब किया गया छात्र और युवक आंदोलन को बदनाम करने और उसे हिंसक रूप देने के लिए। तीन बजे के बाद पुलिस की फायरिंग शुरू होती है और शाम होते-होते पटना शहर में करफ्यू लग जाता है।

८ अप्रैल को जे० पी० के नेतृत्व में पटना में हजारों सत्याग्रहियों का मौन जुलूस निकलता है। सभी के मुंह पर केसरिया पट्टियां, सभी के दोनों हाथ कमर के पीछे, पूरा जुलूस मौन। जो कुछ कहना है वह हवा में खिंच गया है—हमारे हृदय क्षुब्ध हैं और जबान पर ताला लगा हुआ है। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार, सत्ता ही है जिम्मेदार। लाठी, गोली, हिंसा, लूट, किसीको इनकी मिले न छूट।

पटना अग्निकांड से गया गोलीकांड, उसके बाद तीन-चार-पांच अक्तूबर को संपूर्ण बिहार बंद होता है। इस बीच सारी जेलें सत्याग्रहियों से भर दी जाती हैं।

लोकनायक जयप्रकाश। जयप्रकाश जो बिहार की धरती पर हल जोत रहे हैं। वह तो अभी कल तक सर्वोदयी जयप्रकाश थे, यह लोकनायक का विशेषण किसने कब दे दिया? छात्र-संघर्ष और युवा-विद्रोह से जो लोक-चेतना फूटी, उसका नायकत्व केवल जयप्रकाश को मिला।

क्यों? जयप्रकाश को ही क्यों?

मिथिला में उस अकालग्रस्त सूखी धरती पर जनक को ही क्यों हल चलाने के लिए दिया गया? क्योंकि राजा जनक, राजा जनक थे, पर वह विदेह भी थे। वह सब कुछ थे, पर कुछ भी नहीं थे।

एक मनोरंजक कथा है। शायद ऋषि का नाम याज्ञवल्क्य था। वह संपूर्ण चिंताओं से मुक्ति का रहस्य तलाश रहे थे। किसीने कहा—भाई, राजा जनक के पास जाओ। जरूर कोई न कोई उपाय बता देंगे। सो ऋषि गए राजा जनक के पास। बोले—हे विदेह, मैं चिंतामुक्त होना चाहता हूं। इसका कोई उपाय बताइए। विदेह ने कहा—इसमें क्या बात है, आइए मेरे साथ। दोनों चल पड़े। रास्ते में एक सूखा पेड़ मिला। विदेह ने कहा—महाराज, दोनों हाथों से इस पेड़ को मजबूती से बांध लो। पकड़ लो। ऋषि ने उसे अपनी बांहों में भर लिया। तब राजा जनक ने कहा—ऋषि, अब आज्ञा दो कि यह पेड़ आपको छोड़ दे। ऋषि बोले—महाराज, यह ठूंठा पेड़ किसीकी कैसे आज्ञा मान सकता है? तो? फिर आप कैसे इस पेड़ से अलग होंगे? ऋषि ने कहा—इसमें क्या है, मैं खुद इसे छोड़ देता हूं। तो छोड़ दो। ऋषि ने छोड़ दिया।

विदेह चुप खड़े थे। ऋषि अवाक् देखते रह गए। इतनी सरल सीधी बात! पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा था, मैंने पेड़ को पकड़ रखा था।

कुछ ऐसे ही थे जयप्रकाश। विदेह जैसे। सब कुछ कर देना, करते रहना, पर कुछ नहीं बांधना, लेना। चाहे साम्यवादी, मार्क्सिस्ट जे० पी० हों, चाहे कांग्रेस सोशलिस्ट के संचालक जयप्रकाश हों, चाहे समाजवादी, फिर सर्वोदयी जयप्रकाश नारायण हों, देना, केवल देना, बांधना-लेना कुछ नहीं। तभी बिहार के उन छात्रों और युवकों ने बहत्तर वर्ष के जिस वृद्ध को अपना नायक ही नहीं, लोकनायक बनाया, उसमें कोई न कोई बात तो थी।

वह बात वही थी—अपार हिम्मत, त्याग, निर्मल सच्चाई, ईमानदारी और अकलुष चरित्र की बात, जो आसानी से समझ में नहीं आती। अक्सर जो खीझ तक उत्पन्न कर जाती है। यह कैसा विचित्र आदमी है! कभी लोकप्रिय व्यवहार नहीं करता, चाहे वह कभी शेख अब्दुल्ला की रिहाई या नागालैंड की स्वतंत्रता की बात हो या चीन का आक्रमण, पाकिस्तान और बंगला देश का प्रश्न हो। दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी मानव-मुक्ति और न्याय का सवाल पैदा हुआ, वहां जयप्रकाश की साझेदारी मौजूद!

दिल्ली मार्च

सम्पूर्ण बिहार बंद के बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटने लगीं। दिल्ली में ६ मार्च का वह अभूतपूर्व जुलूस, वह लोक मार्च, और बोट क्लब मैदान में जे० पी० का वह विशालतम जन-समूह के सामने भाषण—यह पूरी एक घटना ऐतिहासिक थी। दिल्ली ने शायद ही पहले इतना बड़ा जन-समूह देखा हो। इतनी बाधाओं के बावजूद जबकि बसों के परमिट रद्द कर दिए गए, लोग दिल्ली की सीमाओं पर रोक लिए गए। इस जन-समुदाय को देखकर सत्ताधारियों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। जनता ने तय किया है कि सत्ताधारी अगर उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे तो उनको सुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। हम यह काम शांति से करेंगे और गांधीजी के रास्ते से नहीं हटेंगे। लगभग एक साल से चल रहे इस शांति-पूर्ण आंदोलन को इसलिए हिंसक बताया जा रहा है ताकि उसके बहाने तानाशाही थोपी जा सके। सरकार खुद हिंसा भड़काना चाहती है। हिंसा से ही मांगें पूरी की जाती हैं। यह परंपरा नेहरूजी ने चलाई थी। आंध्र के लोगों की अलग प्रदेश की मांग तभी मानी गई जब रामलु उपवास करके मर गए और लगभग एक करोड़ की रेल सम्पत्ति नष्ट हुई। बिहार में लोग सभी शांतिपूर्ण तरीकों से बता चुके हैं कि उन्हें यह सरकार और विधानसभा नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री को अगर बिहार की जन-मांगों के बारे में कोई भी शक हो तो वे जनमत-संग्रह करवा लें। हमारी चुनौती है कि ९०-९५ प्रतिशत मत विधानसभा को भंग करने के पक्ष में पड़ेंगे। लोग शांति को नहीं छोड़ें। अगर केन्द्रीय सरकार बिहार की भ्रष्ट सरकार को बचाती रहेगी तो हमें केन्द्रीय सरकार का भी त्यागपत्र मांगना पड़ेगा। १८ मार्च को फिर पटना में प्रदर्शन होगा और सरकार और विधायकों से इस्तीफे मांगे जाएंगे। १९ से २६ मार्च तक बिहार के सभी चुनाव क्षेत्रों में सभाएं और प्रदर्शन होंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने-अपने राज्यों में लौटकर ७ अप्रैल तक संकटकालीन स्थिति, जो पहले से चली आ रही है, उसे हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करें। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकटकालीन स्थिति हटाना जरूरी है। जे० पी० ने कहा—मुझ पर पुलिस और सेना को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। अगर यह सही है तो वे मुझे कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते? आज जो संघर्ष चल रहा है वह सेना और पुलिस के लोगों का भी संघर्ष है। उनके भी बच्चों का भविष्य इस संघर्ष से जुड़ा हुआ है।

हम आज घोषणा करते हैं कि अब जो लोक कहेगा, वही होगा। लोकतंत्र के विरुद्ध मैं नहीं, प्रधान मंत्री हैं। पर हम सब यह नहीं चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं। इस प्रदर्शन के बाद यह आन्दोलन सारे देश में फैलने वाला है।

बिहार-बंद भारतीय प्रजातंत्र का ही नहीं, संसार की प्रजातांत्रिक परम्परा का द्वितीय प्रदर्शन था। एक प्रदेश की सम्पूर्ण जनता ने एक स्वर और संकल्प से बिहार की सरकार (आज उसे सरकार कहना अपने-आपमें विडम्बना है) और केन्द्र सरकार की बिहार नीति के प्रति अविश्वास और विरोध प्रकट किया। परन्तु इतने बड़े जन-प्रदर्शन का असर वर्तमान शासकों पर नहीं पड़ा। शासक दल ने अपने संसदीय बहुमत के आधार पर एक ओर जनता की भावनाओं को ठुकरा दिया, दूसरी ओर तानाशाही तरीकों से जनांदोलनों को कुचलने का रास्ता अपनाया। ऐसी स्थिति में आंदोलन के सूत्रधार जयप्रकाशजी के सामने दो ही विकल्प थे। या तो इस आंदोलन को अधिक तीव्र किया जाता, या जन-संघर्ष समितियों के माध्यम से समानान्तर सरकार का कार्यक्रम चलाया जाता। परन्तु शासक दल इस बात के लिए तुला हुआ था कि आंदोलन को हिंसक तरीकों से कुचला जाए और हर कोशिश से आंदोलन को हिंसक बनाया जाए, जिससे दमन-चक्र को क्रूरता के साथ चलाने का मौका मिल सके। इसके दो ही परिणाम हो सकते थे कि हिंसक दमन के सामने जनता दब जाती अथवा लगभग गृहयुद्ध की स्थिति आ जाती। ये दोनों स्थितियां देश और समाज के व्यापक हित के विरुद्ध थीं।

दूसरा विकल्प वही था जो जे० पी० ने स्वीकार किया है। उन्होंने जनांदोलन को व्यापक और गहरे स्तर पर फैलाने के लिए लम्बे समय की योजना बनाई, और साथ ही इन्दिरा गांधी की इस चुनौती को भी उन्होंने स्वीकार किया कि आंदोलन के पक्ष में जनता है, इसका निर्णय चुनाव में

ही होगा। अब बिहार सरकार मात्र का सवाल नहीं रह गया, केन्द्र की सरकार, शासक दल और उसकी नेता इन्दिरा गांधी को एकसाथ चुनौती देना अनिवार्य हो गया। सिद्धांत रूप में जे० पी० का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि उनका आंदोलन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी और निकम्मी शिक्षा के विरुद्ध है। यदि शासक दल भी उनके आंदोलन में साथ हो जाता है तो उसका भी सहयोग वांछित है। अगर यह दृष्टि शासक दल को मिल सकती तो देश में सामाजिक क्रांति का चक्र-प्रवर्तन बिना संघर्ष के हो सकता था। पर सिद्धांत रूप में यह ठीक होकर भी व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। शासक दल ही नहीं, प्रतिपक्ष के वे सभी दल और नेता जो राजनीति के ज्ञाता और गद्दी-परिवर्तन के खेल में रुचि रखते हैं, कभी सम्पूर्ण सामाजिक क्रांति के पक्षधर नहीं हो सकते, उसके औज़ार नहीं बन सकते। शासक दल ने तो पिछले चार-पांच वर्षों में शक्ति को अपने तक केन्द्रित रखने के तरह-तरह के दांव-पेंच खेले हैं। इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व को इसी क्रम में इतना शक्तिशाली बना दिया गया है कि वह मनमाने ढंग के मुख्य मंत्रियों के कान पकड़कर उठाती-बैठाती हैं। और यह उनका और उनके दल का प्रजातंत्र है।

अतः इस स्थिति में शासक दल की जे० पी० के आंदोलन के प्रति वही प्रतिक्रिया हुई है जो होनी चाहिए। अतः जे० पी० को स्वतः शासक दल और उसके नेताओं ने विवश कर दिया है कि वे भ्रष्टचार, तस्कर व्यापार, चोरबाज़ारी, आदि की संरक्षक सरकार से सीधे टक्कर में आ जाएं। अतः जे० पी० ने चुनाव की चुनौती के साथ अपने आंदोलन का केन्द्र दिल्ली को बनाया। यह स्वाभाविक है क्योंकि यदि इन्दिरा की सरकार से टक्कर लेना है तो आंदोलन का केन्द्र दिल्ली ही होगा। उन्होंने ६ मार्च को दिल्ली जाने का आह्वान इसी दृष्टि से किया था। और इधर इसी दृष्टि से जे० पी० ने सैकड़ों जन-सभाएं सम्बोधित कीं।

६ मार्च के दिल्ली मार्च को पुनः अभूतपूर्व सफलता मिली। इस बात को उन अखबारों ने भी दबी ज़बान से स्वीकार किया है जो अपनी सरकार-भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। झूठ बोलकर गलत और मनगढ़न्त आरोपल गा-कर मन बहलाया जा सकता है। पर शासक दल इस सत्य को छिपा नहीं

सकता। यह अवश्य है कि ज्यों-ज्यों शासक दल ने जे० पी० से संघर्ष लेने की स्पष्ट नीति अपनाई है, जे० पी० के आंदोलन के साथ प्रतिपक्ष जुड़ता गया है। जब कहा जाता है कि प्रतिपक्ष के दल जे० पी० का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस प्रकार जनमत का समर्थन पाकर शक्ति में आना चाहते हैं। एक तो जे० पी० तथा उनके साथ वे सारे लोग जो इस आंदोलन के साथ राजनीतिक दलों से अलग रहकर जुड़े हुए हैं और शक्ति की राज-नीति के विरुद्ध लोकशक्ति पर विश्वास रखने वाले हैं, इन (जो भी हो) के शासन को भी जन-शक्ति के विरुद्ध नहीं चलने देंगे। और यह तथा इन दलों और उनके नेताओं को साफ दिखाई देना चाहिए कि गद्दियों की राजनीति अब जन-शक्ति के सामने चलने वाली नहीं है, और यदि लोक-शक्ति को खत्म करके यह चलने वाला है तो इस देश में तानाशाही को कोई रोक नहीं सकता।

बारह जून से पच्चीस जून तक

उस व्यापक संघर्ष, और उस बड़े आंदोलन के बीच, कहीं एक किनारे एक 'नन्हीं'-सी घटना हो रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी, जो रायबरेली चुनाव-क्षेत्र से चुनी गई थीं, के खिलाफ राजनारायण द्वारा चुनाव याचिका लड़ी जा रही थी।

यूं तो इस लड़ाई का सिलसिला काफी पुराना था। कांग्रेस बनाम सोशलिस्ट, नेहरू बनाम डा० लोहिया, पश्चिम बनाम पूरब, गोरे बनाम काले, वगैरह-वगैरह। पर यह इन्दिरा-राजनारायण याचिका प्रसंग धीरे-धीरे महाभारत का रूप धारण कर लेगा और अन्त में इतना विस्फोटक हो जाएगा, भला किसको पता था? दाढ़ी बढ़ाए, सिर पर हरा कपड़ा बांधे, हाथ में छड़ी घुमाते हुए बिल्कुल बनारसी अंदाज़ में राजनारायण को चाहे किसी और ने यह गाते हुए—सिर बांधे कफनिया हो शहीदों की टोली निकली—न सुना हो, पर बनारस की गलियों में और दिल्ली के चौराहों पर राजनारायण का यह बनारसी अंदाज़ बहुतों को सुनाई पड़ा—राजा, काट दे लहासी···गुरु अब की मामिला गजब्बा ह्वै गजब्बा।

सो सचमुच गज़ब। १२ जून, १९७५ को इलाहाबाद हाईकोर्ट के

न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।

इलाहाबाद के इस फैसले ने एक ओर राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन की कमजोरियों, खामियों और विरोधाभासों को उजागर किया तो दूसरी ओर गैर-साम्यवादी प्रतिपक्ष को एक-दूसरे से और नज़दीक आने और चुनौतियों को कमर कसकर सामना करने की अतिरिक्त प्रेरणा दी। इसका प्रमाण नई दिल्ली में २१ से २५ जून के बीच मिला, जब जनता मोर्चा के घटकों और अकाली दल की कार्यकारिणी की मिली-जुली बैठक हुई।

यह बैठक अभूतपूर्व थी।

इतने विभिन्न दलों की कार्यकारिणी के सदस्य एक मंच पर बैठकर विचार-विमर्श करें, एक समान रणनीति की, एक कार्यक्रम की बात करें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

पर यह अचानक नहीं हुआ। प्रतिपक्षियों को एक-दूसरे के नज़दीक आने की ज़रूरत १९७१ के आसपास ही महसूस होने लगी थी। गुजरात में १९७५ के शुरू में 'जनता मोर्चा' के निर्माण से इसकी शक्ति और क्षमता का भी परीक्षण हो चुका था।

'एक नेतृत्व, एक कार्यक्रम और अनुशासन' ये शब्द थे गुजरात के जनता मोर्चा के मुख्य मंत्री बाबूभाई पटेल के।

२३ जून को आखिरकार जब जे० पी० पटना से दिल्ली पहुंचे और गांधी शांति प्रतिष्ठान की अतिथिशाला में ठहरे···नहीं, नहीं, भूल हो रही है। मामला कुछ आगे-पीछे हो रहा है।

२२ जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सभा हुई, जिसे जे० पी० संबोधित करने वाले थे। मगर जिस विमान से वह दोपहर में कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने वाले थे, उसकी उड़ान 'तकनीकी' कारणों से रद्द कर दी गई। इसलिए जनता मोर्चे के नेताओं ने ही उसे संबोधित किया। सभा में मोरारजी भाई ने ऐलान किया कि पांच दलीय मोर्चा श्रीमती गांधी से इलाहाबाद का फैसला मनवाने के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन करेगा।

मोरारजी भाई ने कहा—'करो या मरो···मौजूदा सरकार से देश को खतरा है।'

राजनारायण बोले—'अदालत के फैसले के आधार को 'तकनीकी' बताना जनता की आंखों में धूल झोंकना है।'

लालकृष्ण आडवानी का कहना था—'गुजरात में जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया और अदालत ने श्रीमती गांधी को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया।'

मधु लिमये ने पूछा—'इन्दिराजी के बिना किसका काम नहीं चलेगा? ···मुनाफाखोरों और देश का शोषण करने वालों का काम नहीं चलेगा।'

इस सभा के बारे में एक घटना और भी याद रखनी होगी। प्रतिपक्षियों ने पहले २२ जून को विराट प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके जवाब में कांग्रेस ने २० जून को ही एक विराट सभा आयोजित कर डाली। इधर जयप्रकाशजी ने, जो तब तक अपने-आपको मुख्यतः बिहार तक ही सीमित रखने की घोषणा कर चुके थे, व्यस्तता के कारण दिल्ली में २२ जून की सभा संबोधित करने से इनकार कर दिया था, पर बाद में वह काफी आग्रह के बाद दिल्ली आने को राज़ी हुए।

सहसा उत्प्रेरक का प्रवेश

भारतीय मंच पर जिस महाभारत नाटक का पर्दा १२ जून को इलाहाबाद में उठा, १३ जून को उसी नाटक का दूसरा पर्दा नई दिल्ली में उठा। यद्यपि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की सुविधा प्रदान की थी, पर प्रतिपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतज़ार तक का सब्र नहीं था। उन्होंने एकसाथ प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की मांग को लेकर १३ जून को राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना दिया। १५ जून को प्रधान मंत्री के समर्थन में कांग्रेस-कम्युनिस्ट दलों के प्रदर्शन हुए। उन दिनों दिल्ली की हवा ऐसी थी कि जैसे कोई अराजक क्रांति होगी। दोनों तरफ से ऐसे भयानक दबाव कि अचानक कुछ भी टूट सकता था। चारों ओर आंधी का शोर था। हर तरफ तूफान आने से पहले का सन्नाटा था।

२० जून को ही देशभर के सारे मुख्य मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास आ चुके थे। सारा कांग्रेस हाई कमान इन्दिराजी के निवास स्थान, १, सफदरजंग रोड, पर आ घिरा था।

वह २१ जून की सुबह थी। दिन के दस बजे से ही तेज़ गर्म हवा काटने लगी थी। पर १, सफदरजंग रोड का बंगला, विशेषकर वह कमरा जिसमें श्रीमती गांधी अपने सहयोगियों के साथ बैठी थीं, पूर्णतः वातानुकूलित था। वह गंभीर और शांत थीं। सफेद खादी सिल्क की साड़ी में वह कुछ थकी-थकी-सी लग रही थीं। शायद पिछली रात वह सो नहीं सकी थीं। प्रधान मंत्री के पद से उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना था। इस्तीफा उन्होंने अपने हाथ से लिख लिया था। बस सोच रहीं थीं कि इसे राष्ट्रपति के पास भेजा कैसे जाए? कमरे में बिल्कुल सन्नाटा घिरा था। अचानक दरवाजे पर तेज़ कदमों से किसीके आने की आवाज़ हुई। एक झटके से दरवाज़ा खुला—दृश्य में जिस उत्प्रेरक (कैटलिक एजेण्ट) चरित्र—संजय गांधी का अचानक प्रवेश हुआ, उससे उसी क्षण दृश्य में एक आमूल परिवर्तन हो गया।

श्री संजय ने पूर्ण विश्वास से कहा—अब तक आप लोगों को जो कुछ करना था, वह कर लिया। मैं सब कुछ चुपचाप देख रहा था। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। यह हैं मेरी मां, मैं हूं इनका पुत्र—संजय गांधी···

यह कहते हुए पुत्र ने मां के त्यागपत्र को फाड़ते हुए कहा—अब मैं अपनी मां की देखभाल खुद करूंगा। धन्यवाद! अब तक मैं दर्शक था, अब लोग मुझे देखेंगे। लोग सोचते थे, मेरी मां अकेली है। मैं हूं अपनी मां के साथ।

अचानक इस चरित्र के प्रवेश, कार्य और संवाद का जो गहरा प्रभाव उस कमरे में बैठे हुए लोगों पर पड़ा, उसकी एक सीधी प्रतिक्रिया यह हुई कि लोग नंगे पैर वहां से भागने को विवश हुए।

बाहर हवा में एक नया स्वर गूंजा—संजय गांधी, जिंदाबाद!

यह स्वर, यह शब्द इतना नया था, इतनी तेज़ी में अचानक यह शब्द बोला गया कि लोग एक-दूसरे का मुंह देखते रह गए।

फैसला

उसी रात को सिर्फ तीन आदमियों के बीच एक फैसला किया गया। और उस फैसले को अपने साथ लिए हुए सारे मुख्य मंत्री २३ जून को अपने-अपने राज्य की राजधानी पहुंच गए। उस गुप्त फैसले के अनुसार पूरे देश में गुप्त कार्यवाही शुरू हो गई।

सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्णअय्यर ने श्रीमती गांधी के प्रतिवेदन पर २४ जून को जो सशर्त स्थगन आदेश दिया, उसके अनुसार, वह मुकदमे का फैसला होने तक लोकसभा में मतदान के अपने अधिकार से वंचित रहेंगी। लेकिन प्रधान मंत्री के रूप में काम करने का उनका अधिकार बना रहेगा। उन्होंने श्रीमती गांधी के वकील एन० ए० पालकीवाला की यह दलील स्वीकार नहीं की कि दुर्बल आधार पर किए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्हें बेशर्त स्थगन आदेश प्राप्त करने का हक है। श्रीमती गांधी और राजनारायण दोनों को यह स्वतंत्रता होगी कि यदि वे चाहें तो १४ जुलाई को न्यायालय खुलने पर उस निर्णय के विरुद्ध दावा दायर कर सकते हैं।

यह निर्णय सुनाए जाने के तत्काल बाद, दिल्ली में, राजनीतिक क्षेत्रों में सरगर्मियां तेज़ हो गईं। कांग्रेसी और प्रतिपक्षी दोनों खेमों ने अपने-अपने ढंग से राहत की सांस ली, क्योंकि दोनों ने अपने-अपने ढंग से उसे अनुकूल पाया।

शाम को कांग्रेस संसदीय दल की एक विशेष बैठक में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया गया। कुछ असंतुष्ट कांग्रेसियों और 'यंग टर्क' —चन्द्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, कृष्णकांत की भी अलग बैठक हुई और उसमें श्रीमती गांधी के त्यागपत्र पर बल दिया गया।

गैर-कम्युनिस्ट पांच प्रतिपक्षी दलों ने श्रीमती गांधी के त्यागपत्र के लिए देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा की।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीमती गांधी का समर्थन करते हुए उनसे आग्रह किया कि 'वह दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के दबाव के कारण त्यागपत्र न दें।'

राजनारायण के वकील शांतिभूषण ने कहा कि यदि श्रीमती गांधी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया होता तो उनकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई होती और उससे एक स्वस्थ मिसाल और परंपरा बनी होती।

न्यायमूर्ति कृष्णअय्यर ने पूछा—स्वस्थ राजनीतिक परंपरा ?

भूषण ने उत्तर दिया—स्वस्थ राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक परंपरा।

इसपर न्यायमूर्ति ने कहा—नैतिक और राजनीतिक परंपराओं को कानूनी परंपराओं से कुछ लेना-देना नहीं है।

किसे पता था, इससे बहुत बड़ा फैसला इससे पहले ही ले लिया जा चुका है। उसके आगे कानून के फैसले, दलों के विचार, समाचारपत्रों की सुर्खियां कोई माने नहीं रखतीं।

२४ जून की रात तक पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। इतने विस्तार और दूर तक तैयारियां हो चुकी थीं कि किस प्रदेश की पुलिस किस दूसरी जगह किस रास्ते अचानक आकर किस नेता को कैसे कहां कितने बजकर कितने मिनट पर गिरफ्तार करेगी। जयप्रकाश किस गाड़ी में, किस कार में मोरारजी भाई—और किस बड़ी गाड़ी में चन्द्रशेखर सहित दिल्ली के अन्य नेता कैसे कहां ले जाए जाएंगे, सबकी तैयारी मुकम्मिल थी। यहां तक तैयारी थी कि सोहना के डाकबंगले में दोपहर के भोजन में क्या चीज जयप्रकाश को खिलाई जाएगी और क्या चीज मोरारजी भाई को ?

पूरे भारतवर्ष में यही तैयारी थीं। इसका श्रेय श्रीमती गांधी की गुप्त संस्था 'ग' को दिया जाता है।

मजेदार बात यह है कि देशव्यापी गिरफ्तारियां, २५ जून की आधी रात को और आपातस्थिति लागू २६ जून की सुबह—यानी साढ़े तीन बजे रात, और आपात स्थिति की घोषणा सुबह साढ़े आठ बजे।

बिल्कुल घबड़ाई हुई श्रीमती गांधी टूटते-बिखरते शब्दों, वाक्यों में, कांपती आवाज से रेडियो पर राष्ट्र के नाम अपना संदेश दे रहीं थीं :

"प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत् रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं

को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया है। आंदोलनों से वातावरण भर गया है जिनमें हिंसात्मक वारदातें हुई हैं। कुछ लोग तो हमारे सशस्त्र सैनिकों तथा पुलिस को विद्रोह करने के लिए उकसाने लगे हैं। हमारे सैनिक और पुलिस अनुशासित और महान देशभक्त हैं और वे उनकी झांसेबाजी में नहीं आएंगे; फिर भी इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।... विघटनकारी तत्त्व पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और साम्प्रदायिक भावना उभारी जा रही है जिसने हमारी एकता को खतरा है।

"मुझ पर सभी प्रकार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता मुझे बचपन से जानती है। मेरा सारा जीवन जनता की सेवा में बीता है। यह एक निजी मामला नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि मैं प्रधान मंत्री रहती हूं या नहीं, लेकिन प्रधान मंत्री का पद महत्त्वपूर्ण है और इसे जान-बूझकर बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास न तो प्रजातंत्र के हित में है, न राष्ट्र के।

"अब हमें इनके नये कार्यक्रमों का पता चला है जिनसे सारे देश में सामान्य कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से कानून और व्यवस्था को चुनौती दी गई है। क्या कोई भी सरकार, जो सरकार है, देश के स्थायित्व को ऐसे खतरे में पड़ने दे सकती है ? कुछ के कार्यों से अधिकांश लोगों के अधिकार खतरे में पड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जिससे देश के भीतर निर्णायक रूप से कार्य करने की राष्ट्रीय सरकार की क्षमता कमजोर होती है, वह बाहरी खतरे को निश्चय ही प्रोत्साहन देगी। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें।

"आंतरिक स्थायित्व के खतरे से उत्पादन और आर्थिक उन्नति की संभावनाओं पर भी असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में निश्चित कार्रवाई से हमें कीमतों को बढ़ने से रोकने में व्यापक रूप से सफलता मिली है। हम अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने तथा विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से गरीब और असुरक्षित वर्गों तथा उन लोगों की, जिनकी आय निर्धारित है, कठिनाइयों को दूर करने के और उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।"

हिन्दी भाषा में श्रीमती गांधी का वह राष्ट्र-संदेश बहुत खराब था, शायद इसके पूर्वाभ्यास का समय न था। पर अंग्रेजी में संदेश इतना खराब नहीं था। शायद अंग्रेजी भाषा में ऐसे संदेशों की अपनी परंपरा थी, पर हिन्दी भाषा में वैसा पहला ही राष्ट्र-संदेश था।

पर जो भी हो, २६ जून के उस राष्ट्र-संदेश से सारा भारत सन्न रह गया। लोग चुपचाप एक-दूसरे का मुंह देखते रह गए। एक अजीब खौफनाक चुप्पी उस काली सुबह, न जाने किस क्षितिज से आई थी और सबके माथे पर कोई अदृश्य भार रखकर पूरे परिवेश में डालने लगी थी। चुप्पी के उस भार से आदमी तिल-तिल कर दबने लगा था, उसी घड़ी से। और हर दिन वह लगातार छोटा और छोटा होने लगा था।

जो कल तक पर्वत की तरह ऊंचा था, आज अचानक मिट्टी का लौंदा जैसा दिखने लगा। जो कल तक मस्तक ऊंचा किए कुछ कह रहे थे, आज शर्म ने उनका माथा झुक गया। जो कल तक शेर थे, आज चूहे हो गए। अधिकांश पढ़ा-लिखा आदमी, विशेषकर बुद्धिजीवी अपने छिपने के लिए बिल तलाशने लगा। बड़ी तेजी से, सुविधाभोगी समाज उस बिल में जा छिपा।

अब तक उस चुप्पी के नीचे दबकर लोगों की कराह बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि २७ जून को 'आपात्कालीन घोषणा क्यों ?' एक दूसरा संदेश आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम प्रसारित किया गया।

इस प्रसारण में श्रीमती इन्दिरा गांधी की आवाज बिलकुल संभली हुई थी। लगा कि इन चौबीस घंटों में उन्हें आत्मविश्वास हासिल हो गया। संदेश प्रसारण का पूर्वाभ्यास अब होता है, या उसकी अब कोई जरूरत नहीं रह गई। संदेश दिया—" आपात्कालीन घोषणा क्यों करनी पड़ी। जो हिंसा का वातावरण देश में फैला था, उससे हमारे एक 'मिनिस्टर' की हत्या हुई और 'चीफ जस्टिस' की जान पर हमला हुआ। विरोधी दलों ने एक कार्यक्रम बनाया, सारे देश में बंद, घेराव, आंदोलन और मजदूरों तथा पुलिस और फौजियों को भड़काने का। इस विशेष कोशिश में कि केन्द्र सरकार का काम बिलकुल रुक जाए।···कार्यक्रम इस महीने की उनतीस तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं

कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।···इस तरह का कार्यक्रम जो कुछ विरोधी दलों ने सोचा था, वह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है और किसी भी मापदण्ड से राष्ट्रहित के विरुद्ध है। इसको रोकना जरूरी है।

" जब से आपात्कालीन घोषणा हुई, देश में सामान्य स्थिति है।··· इस शांति को हमें बनाए रखना है।···हमको यह समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होती है जिसको पार नहीं कर सकते। हिंसात्मक कार्य और नासमझी के सत्याग्रह उस इमारत को ही तोड़ सकते हैं, जो इतनी मेहनत और आशाओं से इतने बरसों में बनी है।

" आपको मालूम है कि अखबारों की आजादी में मेरा पूरा विश्वास है लेकिन जैसे सब आजादियां हैं, इसमें भी जिम्मेदारी और संयम होना चाहिए। जब पहले कहीं दंगे हुए हैं, चाहे भाषा के नाम से, चाहे धर्म के नाम से, तो गैरजिम्मेदारी से लोगों ने लिखा है। इससे स्थिति और गंभीर हुई है। इस खतरे से बचना जरूरी है। कुछ अर्से से कई अखबार गलत खबरें, जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय यह है कि शांति और स्थिरता की स्थिति बनी रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है।

" हमारा इरादा है कि उत्पादन बढ़ाएं जिससे रोजगार बढ़े और ज्यादा अच्छा वितरण भी हो। बिजली की फौरन जरूरत है, कृषि के काम के लिए और उद्योगों के लिए भी। हमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ करना है, उनकी कठिनाइयां दूर करनी हैं।"

एक ओर पूरा देश, पूरा जन-मानस अभी कराह भी नहीं पाया था कि सरकारी और कांग्रेसी दोनों स्तरों से आपात् स्थिति का भयंकर स्वागत होने लगा। आपात् स्थिति के मंच पर न जाने कहां से इतने विदूषक आए, कवि और लेखक आए, नाचने-गाने वाले और कव्वालियां आईं। हाथ जोड़े पत्रकार आए। जो कल तक कुछ थे, आज इतने कुछ और हो गए कि पहचान पाना असंभव। शब्द बदल गए। आवाजें बदल गईं। हंसने के ढंग में एक बुनियादी फर्क आ गया। बोलने और चुप रहने, सोचने और अभि-

व्यक्त करने के बीच जो मौन सचाई होती है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ गया।

कुछ शीर्षस्थ लेखकों, कलाकारों, खिलाड़ियों, पत्रकारों के हस्ताक्षर-युक्त विज्ञापन छपने लगे आपात् स्थिति के समर्थन में। सारे समाचारपत्र, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और कांग्रेस कार्यसमितियों द्वारा इन्दिरा गांधी के प्रति समर्थनों से भर गए। यही एक बात, सारे मुख्य मंत्रियों, कांग्रेस अधिकारियों और उनके समर्थकों से अलग-अलग ढंग से सुनाई पड़ती—'कि देश में कुछ तत्त्वों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थीं कि जिनके कारण प्रधान मंत्री को ऐसे सख्त कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा।'''कोई भी राष्ट्र देश की कानूनी सरकार को अपदस्थ करने का आह्वान बर्दाश्त नहीं कर सकता'''जब प्रजातांत्रिक संस्थाओं को गिराने के लिए हिंसा चालू की जाए तो आपातकालीन घोषणा जैसे सख्त कदम उठाने ही पड़ते हैं।'

आंतरिक सुरक्षा के नाम पर मीसा

२७ जून को राष्ट्रपति ने संविधान की धारा ३५९ (१) के अंतर्गत आपात् स्थिति के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अदालतों में अपील करने के अधिकार को निलंबित किया। धारा १४, २१ और २२ के अंतर्गत अदालतों में अपील करने के अधिकार को समाप्त किया गया। ३० जून को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश जारी करते हुए यह घोषणा की—गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई कारण देने की ज़रूरत नहीं है।

प्रधान मंत्री ने २८ जून को अपने मंत्रिमंडल में एक विशेष परिवर्तन किया, जिसके अनुसार श्री विद्याचरण शुक्ल, (इन्द्रकुमार गुजराल की जगह) सूचना तथा प्रसारण मंत्री बनाए गए।

दो दिनों में ही गुजराल क्यों हटाए गए, इसके पीछे एक छोटी-सी घटना है। २६ जून की सुबह रेडियो के प्रथम समाचार-प्रसारण में जयप्रकाश की गिरफ्तारी का समाचार मुंह से निकल गया। कुछ लोग कहते हैं २५ जून की आधी रात को जिस आवाज़ ने फोन पर चन्द्रशेखर को जे० पी० की गिरफ्तारी का समाचार दिया, वह आवाज़ गुजराल की ही थी—और यह तब काफी बड़ा अपराध था। इस बड़े अपराध के अनुसार बड़ी सज़ा गुजराल को इसलिए नहीं दी गई कि उन पर रूस की मेहरबानी थी और वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने 'कार्ड होल्डर' (सदस्य) थे।

१ जुलाई को २० सूत्री कार्यक्रम घोषित हुआ—"केवल एक ही जादू है जो गरीबी को दूर कर सकता है और वह है स्पष्ट दूर-दृष्टि के साथ-साथ कड़ा परिश्रम, दृढ़ इच्छा और कठोरतम अनुशासन। हममें से प्रत्येक को अपने-अपने स्थान पर केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने साथी नागरिकों के लिए और अधिक काम करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। राज्य की सम्पत्ति का अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। इसे नष्ट करने पर दण्डात्मक जुर्माने किए जाएंगे। सभी तरफ हमें और अधिक संयम बरतने की भी आवश्यकता है। जो खपत स्पष्ट रूप से कम की जा सकती है, उसे कम करने का सरकार का कर्तव्य है, परन्तु नागरिकों का भी उत्तरदायित्व है। राष्ट्र के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यही रास्ता है।

"कानून तोड़ने, राष्ट्रीय गतिविधियों को समाप्त करने तथा अनुशासन और अवज्ञा के लिए सुरक्षा सेनाओं को उकसाने से आर्थिक अराजकता और गड़बड़ी हो सकती थी और हमारा देश पृथकतावादी प्रवृत्तियों और विदेशी खतरे का शिकार हो जाता। नफरत के बादल कुछ छंट जाने पर हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को और अधिक स्पष्टता और महत्त्व के साथ देख सकते हैं। आपात्कालीन स्थिति से हमें अपने आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर मिला है।··· "

शुक्रवार ४ जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाते इस्लामी और आनन्द मार्ग को निषिद्ध घोषित कर देने के बाद केन्द्र सरकार ने उन सब व्यक्तियों को दंड का अधिकारी घोषित कर दिया जो अर्द्धसैनिक और अति-वादी कार्यवाहियों में किसी तरह से भी हिस्सा लेते और सहयोग देते हुए पाए जाएं।

९ जुलाई तक सारे देश में व्यापक छापे डालकर पुलिस ने तमाम चीज़ें बरामद कीं। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार १,४०६ गिरफ्तारियां

हुई, जिनमें थे ६७८ राष्ट्रीय स्वयंसेवक और १६० आनन्द मार्ग के और बाकी नक्सलवादी और जमाते इस्लामी।

'बम्बइया फिल्मों में तस्करों को धड़ल्ले से खलनायक के रूप में पेश किया जाता रहा है। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने देश के बहुत से हिस्सों में उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया।'

ऐसे विशेष समाचार ही अब विशेष संवाददाताओं द्वारा विशेष ढंग से दिए जाने लगे। ये समाचार अब विशेष ढंग से समाचारपत्रों में छपने लगे। सरकार और 'समाचार' इन दोनों की यही कोशिश होने लगी कि लोग अब राजनीतिक व्यक्तियों और जेल में पड़े नेताओं के नाम भूल जाएं और उन्हें अब सिर्फ याद आएं तस्करों के नाम—हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, शुक्लानारायण बखिया, पूंजाजी शाह, रामलाल नारंग, आदि-आदि···। राष्ट्रीय गाथाओं और चरित्रों को भूलकर लोग अब इन तस्करों की चरित्र-कथाएं पढ़ें। तभी तो उसी 'मीसा' के अंतर्गत यूसूफ पटेल भी गिरफ्तार किया गया और उसीमें मोरारजी भाई और राजनारायण भी गिरफ्तार किए गए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के समर्थन में प्रतिदिन उनके निवास-स्थान के सामने लोग इकट्ठे किए जाते। इन्दिरा गांधी को रोज कुछ बोलना था, इसके लिए एक भीड़ की जरूरत हमेशा होती। उसीके सहारे जेल में बंद नेताओं के बारे में बुरा-भला कहना रहता।

ऐसी भीड़ दूर-दूर से मेल ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों और ट्रकों में लादकर दिल्ली ले आई जाती। एक ऐसी ही भीड़ के सफर के बारे में घटना घटी। रेल राज्यमंत्री, मोहम्मद शफी कुरेशी का हुक्म होता है कि पूरी गाड़ी के मुसाफिर बिना टिकट रेल से यात्रा करेंगे—बिल्कुल मुफ्त। उस समय के उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, सी० एस० परमेश्वरम् ने आपत्ति की—इससे राष्ट्र के चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा।

इसका सीधा असर यह हुआ कि उसी रात परमेश्वरम् को समय से पूर्व ही जबरदस्ती अवकाश दे दिया गया।

उन शुरू के दिनों में प्रधान मंत्री हर किसीको केवल उत्तर देती थीं। कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता था। केवल उत्तर पाने के लिए मात्र जिज्ञासा कर सकता था। सारी ट्रेड यूनियनें, प्रेस, समाचार, अफसर, नेता,

शिक्षक, छात्र, बच्चे-बूढ़े, कलाकार, मजदूर-किसान, लेखक, सबको वह लगातार उत्तर देती रहतीं --

"सारे प्रतिबंधों के बावजूद देश का लोकतंत्री ढांचा अपरिवर्तित है··· इन सब प्रतिबंधों के बावजूद मेरा ख्याल है कि हमारा देश दुनिया का सबसे अधिक तनावहीन देश है।···प्रतिपक्षी दलों का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था—सरकार को और वस्तुतः समस्त राष्ट्रीय गतिविधियों को ठप्प करके राष्ट्र की लाश पर आगे बढ़कर सत्ता हथियाना।···आपात्कालीन स्थिति लागू होने के पहले प्रेस का एक भाग सचाई और तथ्यों को जिस तरह दबा रहा था, उसे रोकने का एकमात्र रास्ता सेंसर नहीं था, पर क्या किया जाए,···देश में जो प्रतिक्रियावादी तत्त्व हैं उनका विदेशों से कोई संबंध नहीं रहने दिया जाएगा।"···

इस बीच श्रीमती गांधी बहुत बोलतीं। अखबारों में केवल वही छपतीं या उनकी प्रतिछाया, प्रतिध्वनि छपती और सुनाई पड़ती।

जे० पी० का पत्र—इन्दिरा के नाम

यह बात तक कहीं नहीं छपी कि कौन-कौन गिरफ्तार हुए हैं। जे० पी० कहां हैं, कैसे हैं? लोग अचानक कहां अदृश्य हो गए? एक तरफ शोर, केवल शोर, दूसरी तरफ बिलकुल सन्नाटा— इस स्थिति ने भारतीय जन-मानस को भीतर ही भीतर अति कल्पनाशील बनाया। कहां क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, इसका पहला जायजा हमें उस दिन मिला जब चंडीगढ़ से २१ जुलाई को जयप्रकाश नारायण का श्रीमती गांधी के लिखे हुए खत की एक प्रतिलिपि मिली --

" प्रिय प्रधान मंत्रीजी,

" समाचारपत्रों में आपके भाषणों और भेंट-वार्ताओं के जो विवरण छपते हैं, उन्हें पढ़कर मैं हैरान रह जाता हूं! आपने जो कुछ किया है, उसे सही और उचित सिद्ध करने के लिए नित्य कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है। क्या इसीलिए कि अन्तरात्मा दोषी है और वह आपको अन्दर से कचोटती है! आपने प्रेस तथा हर प्रकार के सार्वजनिक मतभेद और असहमति का

मुंह बंद कर दिया है। अब आपको क्या भय है कि कोई आपकी आलोचना करेगा, या आपकी बातों का खंडन करेगा ? निर्भय होकर आप झूठ बोलती जा रही हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर रखती जा रही हैं। लेकिन अगर आप सोचती हों कि इस तरह जनता की नज़र में आप अपने को पाक-साफ और नेकनीयत सिद्ध कर सकेंगी और विरोध को राजनीतिक दृष्टि से मिट्टी में मिला देंगी तो आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। यदि आपको मेरी बात में संदेह हो तो आपात्काल को समाप्त कीजिए, जनता के मूल अधिकार उसे वापस दीजिए, प्रेस को पुनः स्वतंत्र कीजिए, उन सबको मुक्त कर दीजिए जिन्हें आपने जेलों में बंद कर रखा है, और जिन्होंने सिवाय इसके दूसरा कोई अपराध नहीं किया है कि देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। इतना करके देख लीजिए। नौ वर्ष कम नहीं होते, महोदया ! इतने दिनों में जनता ने, जिसे भगवान ने पांच स्थूल इन्द्रियों के अलावा एक छठवीं इन्द्रिय सूझ-बूझ और सूक्ष्म परख की दे रखी है, आपको अच्छी तरह समझ लिया है।

"जहां तक मैं समझ सका हूं आपके सारे गीतों का एक ही राग है—वह यह कि (क) योजना सरकार को ठप्प करने की थी और (ख) एक आदमी ऐसा था जो सिविल और सैनिक कर्मचारियों में विद्रोह भड़का रहा था। मुख्य राग आपका यही है, यद्यपि कुछ अन्य राग भी आप अलापती रही हैं। समय-समय पर आप, मुख्य विषय से हटकर, अपने दूसरे विचारों की खैरात भी बांटती रहती हैं, जैसे यह कि राष्ट्र का महत्त्व लोकतंत्र से अधिक है, या यह कि 'सामाजिक लोकतंत्र' (सोशल डैमोक्रेसी) भारत के लिए अधिक उपयुक्त है। इसी धुन से मिलती-जुलती आपकी अन्य बातें भी होती हैं।

"सारी बदमाशी की जड़ में मैं ही हूं, इसलिए मैं बता दूं कि सचाई क्या है। हो सकता है कि मेरी बातों में आपकी रुचि न हो, क्योंकि जो कुछ झूठ-सच आप कह रही हैं तथा तथ्यों को जिस तरह तोड़-मरोड़ रही हैं, वह आप अनजान में नहीं, जानबूझकर, योजनापूर्वक कर रही हैं। फिर भी कम से कम इतना तो हो जाए कि सचाई हमेशा के लिए कागज़ पर अंकित हो जाए।

"सबसे पहले सरकार ठप्प करने की योजना के बारे में कहूं। कतई ऐसी कोई योजना नहीं थी और आप भली भांति जानती हैं कि नहीं थी। मैं बता दूं कि सचमुच क्या योजना थी।

"भारत के सभी राज्यों में बिहार एक ऐसा राज्य था, जहां जन-आंदोलन था। लेकिन वहां भी मुख्य मंत्री के अनेक वक्तव्यों के अनुसार, आंदोलन बहुत पहले ही 'फिस' हो चुका था—अगर कभी रहा भी हो तो। किन्तु यदि आपके सर्वव्यापी गुप्तचर विभाग ने ठीक-ठीक जानकारी दी हो तो आपको जानना चाहिए कि सचाई क्या है ? सचाई यह है कि बिहार में आंदोलन फैल रहा था और देहातों में बिलकुल नीचे तक पहुंच रहा था। मेरी गिरफ्तारी तक 'जनता' सरकार गांव से लेकर ब्लाक तक बनाई जा रही थी। आशा थी कि बाद में यह क्रम जिले और राज्य तक पहुंचता।

"अगर आपने 'जनता सरकारों' का कार्यक्रम देखा होगा तो आपके ध्यान में यह बात आई होगी कि कार्यक्रम ज़्यादातर रचनात्मक था। सामग्रियों का सार्वजनिक वितरण, प्रशासन की निचली सीढ़ियों पर भ्रष्टाचार की रोकथाम, आपसी झगड़ों का मेल-मिलाप और पंचफैसले के पुराने जाने-माने तरीकों से निबटारा, हरिजनों को उनका हक दिलाना, तिलक दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना, आदि काम जनता सरकारों के जिम्मे थे। इन कामों में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे किसी तरह राजद्रोही या विनाशकारी कहा जा सके। जहां जनता सरकारें अच्छी तरह संगठित थीं, उन्हीं जगहों में कर-बंदी के कार्यक्रम उठाए जाते थे। जब शहरी क्षेत्रों में आंदोलन ज़ोरों पर था तो धरना और 'पिकेटिंग' द्वारा कुछ दिनों तक सरकारी कार्यालयों का काम ठप्प करने की कोशिश की गई थी। पटना में जब भी विधानसभा का अधिवेशन होता था तो सदस्यों से इस्तीफा देने का आग्रह किया जाता था और उन्हें भीतर जाने से शांतिपूर्वक रोका जाता था। ये 'सविनय अवज्ञा' के सोचे-समझे कार्यक्रम थे, जिनमें राज्य-भर में हजारों लोग—पुरुष और स्त्री—गिरफ्तार हुए थे।

"अगर इसे ही बिहार सरकार को ठप्प करना माना जाए तो आजादी की लड़ाई के ज़माने में असहयोग और सत्याग्रह द्वारा ब्रिटिश सरकार को ठप्प करने के लिए हम लोगों ने इसी तरह के प्रयत्न किए थे। लेकिन वह

ऐसी सरकार थी जो शस्त्र के बल पर कायम हुई थी जब कि बिहार की सरकार और विधानसभा संविधान के अनुसार स्थापित हुई है। तो किसीको क्या अधिकार है कि जनता द्वारा चुनी हुई किसी सरकार या विधान-सभा से हट जाने की कहें ? यह आपका एक प्रिय प्रश्न है जिसे आप बार-बार पूछती हैं। इसका उत्तर दिया जा चुका है—एक नहीं, न जाने कितनी बार। उत्तर ऐसे लोगों ने दिया है, जिनका इस विषय पर अधिकार है। उनमें वे भी शामिल हैं जो संविधान के जाने-माने वकील और विशेषज्ञ हैं। उत्तर यह है कि लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार निश्चित रूप से प्राप्त है कि वह ऐसी सरकार के इस्तीफे की मांग कर सकती है जो जनता द्वारा निर्वाचित होने के बावजूद भ्रष्ट हो गई हो और कुशासन पर उतारू हो। और यदि विधानसभा ऐसी सरकार का समर्थन करती है तो उसे भी जाना चाहिए ताकि जनता निकम्मे प्रतिनिधियों के स्थान पर अच्छे प्रतिनिधि चुन सके।

"किन्तु इस स्थिति में एक प्रश्न उठता है। जनता की इच्छा क्या है, यह कैसे ज्ञात हो ? जानने का एक ही उपाय है जो लोकतंत्र में मान्य है। जहां तक बिहार का संबंध है, पटना में बड़ी से बड़ी रैलियां हुईं, जुलूस निकले, राज्य-भर के निर्वाचन-क्षेत्रों में हजारों सभाएं हुईं। तीन दिन का बिहार बंद हुआ, ४ नवम्बर को अविस्मरणीय घटनाएं घटीं और १८ नवम्बर को पटना के गांधी मैदान में अभूतपूर्व सभा हुई। क्या ये प्रदर्शन जनता के संकल्प के पक्के प्रमाण नहीं थे ? इसके विपरीत बिहार की सरकार और कांग्रेस ने अपने पक्ष में क्या प्रमाण दिए ? क्या वहां ६ नवम्बर का दयनीय जवाबी प्रदर्शन, जिसकी व्यूह-रचना स्वयं श्री बरुआ ने की थी और जिस पर जैसा कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, ६० लाख की असाधारण रकम खर्च की गई, सही प्रमाण बन सकता है ? मैंने बार-बार मांग की थी कि अगर ये प्रमाण भी पक्के और अंतिम न माने जाएं तो जन-मत गणना करा ली जाए, लेकिन आपको जनता के सामने जाने में भय लगता था।

"बिहार आंदोलन के सिलसिले से एक और महत्त्व की बात का उल्लेख कर दूं। उससे इस प्रकार के आंदोलन की राजनीति को समझने में मदद मिलेगी। बिहार के छात्रों ने आंदोलन कुछ अचानक नहीं छेड़ दिया। पहले उन्होंने एक सम्मेलन किया जिसमें अपनी मांगें तय कीं। उसके बाद मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले, एक से अधिक बार मिले। लेकिन बिहार की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ने छात्रों की बातों को कोई महत्त्व ही नहीं दिया। तब छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। घेराव के दिन जो दुखद घटनाएं घटीं, उन्होंने बिहार आंदोलन को नजदीक ला दिया। इतने पर भी छात्रों ने मंत्रिमंडल के इस्तीफे या विधानसभा को भंग करने की मांग नहीं की। कई हफ्ते बीते जिनके दौरान गोलियां चलीं, लाठीचार्ज हुए और मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां हुईं। यह सब होने पर 'छात्र संघर्ष समिति' ने विवश होकर मंत्रिमंडल के इस्तीफे और विधान-सभा को भंग करने की मांग की। इस बिन्दु पर पहुंचकर अन्तिम निर्णय हो गया और कदम उठ गया।

"इस प्रकार बिहार सरकार के लिए पूरा मौका था कि वह चाहती तो आमने-सामने बैठकर शांति के साथ सब मसले हल कर सकती थी। छात्रों की कोई मांग ऐसी नहीं थी जो अनुचित रही हो या जिसके संबंध में समझौता संभव न रहा हो। लेकिन बिहार सरकार ने संघर्ष का रास्ता पसन्द किया—संघर्ष यानि घोर दमन का रास्ता। यही उत्तर प्रदेश में हुआ। दोनों जगह सरकार ने सुलह का, आपसी चर्चा से प्रश्नों को हल करने का रास्ता नहीं पकड़ा। रास्ता पकड़ा विवाद और संघर्ष का। अगर इससे भिन्न रास्ता होता तो कतई कोई आंदोलन न होता।

"यह एक रहस्य-भरी पहेली है। इन सरकारों ने बुद्धिमानी से काम क्यों नहीं किया—यह प्रश्न बार-बार मेरे मन में उठा है और मैंने इस पर गहराई से विचार किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सूझ-समझ से काम न लेने में मुख्य बाधा रही है—'भ्रष्टाचार'। सरकारें अपने भीतर के भ्रष्टाचार का हल नहीं निकाल सकी हैं, विशेष रूप से ऊपर के लोगों के भ्रष्टाचार का, मंत्रियों के भ्रष्टाचार का। और यही सरकार और प्रशासन का भ्रष्टाचार इस आंदोलन का केन्द्रबिन्दु रहा है।

"जो कुछ भी हो, इस प्रकार का आंदोलन बिहार के सिवाय दूसरे किसी राज्य में नहीं था। उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह अप्रैल में शुरू हो गया था लेकिन

जन-आंदोलन बनने में बहुत देर थी। दूसरे राज्यों में संघर्ष समितियां तो बन गई थीं किन्तु जन-आंदोलन की संभावना कहीं नहीं प्रकट हुई थी। और चूंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा था, विरोधी दलों का ध्यान सामने दिखाई देने वाले चुनाव-संघर्ष पर अधिक था न कि ऐसे संघर्ष पर जिसमें सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम भी होता। इसलिए जिस योजना की बात आप करती हैं—सरकार ठप्प करने की योजना—वह आपके दिमाग की उपज है जिसकी ईज़ाद आपने अपने तानाशाही तरीकों को उचित सिद्ध करने के लिए की है।

"लेकिन तर्क के लिए एक क्षण के लिए मैं मान लेता हूं कि ऐसी योजना सचमुच बनी थी। तो क्या आप पूरी ईमानदारी से विश्वास करती हैं कि अभी कल तक आपके जो सहयोगी थे, भूतपूर्व उपप्रधानमंत्री तथा चन्द्रशेखर जो कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य थे, वे भी इस योजना में शरीक थे? फिर वे और उनकी तरह बहुत-से दूसरे लोग क्यों गिरफ्तार किए गए हैं?

"नहीं, प्रिय प्रधान मंत्रीजी, सरकार को ठप्प करने की कोई योजना नहीं थी। यदि कोई योजना थी भी, तो एक सामान्य निर्दोष थोड़े समय की, जो उस समय तक चलाई जाती, जब तक सुप्रीम कोर्ट से आपकी अपील का फैसला न हो जाता। यह वही योजना थी जिसकी घोषणा २५ जून को नानाजी देशमुख ने रामलीला मैदान में की थी। इसी योजना पर उस दिन शाम को मैंने अपना भाषण भी दिया था। कार्यक्रम यह सोचा गया था कि कुछ चुने हुए लोग आपके निवास के सामने या उसके निकट सत्याग्रह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक के लिए आप अपना पद छोड़ दें। यह कार्यक्रम सात दिन तक दिल्ली में चलता और उसके बाद राज्यों में भी शुरू होता। जैसा मैंने ऊपर कहा है, यह कार्यक्रम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ही चलता। मैं नहीं समझ पाता कि यह कार्यक्रम किस प्रकार राजद्रोही, विनाशकारी या खतरनाक कहा जा सकता है। लोकतंत्र में हर नागरिक को सविनय अवज्ञा का अधिकार है। यह अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता। जब न्याय और सुधार के दूसरे सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो वह अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि इसमें सत्याग्रही जान-बूझकर कानून में निर्धारित दंड अपने ऊपर

आमंत्रित करता है। गांधीजी ने लोकतंत्र में यह एक नया आयाम जोड़ा था। कैसी विडम्बना है कि गांधी के ही भारत में यह आयाम मिटाया जा रहा है!

"यह जान लेने की बात है—बड़े महत्त्व का मुद्दा है—कि सत्याग्रह का इतना कार्यक्रम भी विरोधियों को न सूझता, अगर आप धैर्य रखतीं और चुपके से अपने पद पर चिपकी रहतीं! लेकिन आपने ऐसा न करके कुछ दूसरा ही किया। आपने पिछलग्गुओं द्वारा अपने निवास के सामने सभाएं कराईं प्रदर्शन कराए, जिनमें आपसे अनुरोध किया गया कि आप त्यागपत्र न दें। आपने इन सभाओं और प्रदर्शनों में भाषण दिए, अपनी स्थिति के पक्ष में लचर दलीलें दीं और विरोधियों के सिर पर झूठे आरोप थोपे। आपके निवास के सामने हाईकोर्ट के उस जज का पुतला जलाया गया, और शहर में पोस्टर चिपकाए गए जिनमें जज और सी० आई० ए० का नाता बताया गया था। जब ऐसी घृणित घटनाएं रोज़ घटने लगीं तो विरोधियों के सामने क्या विकल्प रह गया, सिवाय इसके कि वे शरारत का जवाब दें? जवाब भी कैसे दें? हुल्लड़बाजी से नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित सत्याग्रह से, अपने बलिदान से। यही वह 'योजना' है, जिस योजना से आपकी क्रोधाग्नि भड़की है, जिसने जनता की स्वतंत्रता छीनी है और जिसके कारण लोकतंत्र पर इतना घातक प्रहार हुआ है।

"प्रेस की आज़ादी क्यों छीन ली गई है? इसलिए नहीं कि भारतीय प्रेस गैरज़िम्मेदार था, बेईमान या सरकार विरोधी था। सच बात तो यह है कि किसी भी देश में जहां स्वतंत्रता है, प्रेस इतना ज़िम्मेदार निष्पक्ष और विवेकशील नहीं है, जितना भारत में है। वास्तव में यहां के प्रेस पर आपका गुस्सा तब भड़का, जब हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजधानी के सभी अखबारों ने, यहां तक कि ढुल-मुल टाइम्स आफ इंडिया ने भी, बड़े ज़ोरदार और तर्कसंगत सम्पादकीय लेख लिखे जिनमें यह सलाह थी कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो प्रेस की आज़ादी आपको हज़म नहीं हुई। बस विचार-स्वातंत्र्य की अंतिम आशा और अवसर भी खत्म हो गया, और आपने एक झटके से प्रेस का गला घोंट दिया। इस कल्पना से ही आदमी चौंक पड़ता है कि प्रेस की स्वतंत्रता जैसी बहुमूल्य स्वतंत्रता जो

लोकतंत्र का प्राण है, मात्र एक प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत खीज के कारण खत्म कर दी जा सकती है।

"आपने विरोधियों पर यह आरोप लगाया है कि वे देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह काम आपकी ओर से होता है। इस महान् पद का सम्मान जितना आपने स्वयं गिराया है, उतना दूसरे किसीने नहीं। क्या इसकी कल्पना भी की जा सकती है कि किसी लोकतंत्रीय देश का प्रधान मंत्री ऐसा भी हो सकता है जिसे अपनी संसद में इस कारण से मत देने तक का अधिकार न हो कि वह चुनाव में भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है! (सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है। संभव यही है कि भय और आतंक के इस वातावरण में बदल दे—लेकिन जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक आपका अपराध और मत देने के अधिकार का छीना जाना—दोनों कायम हैं।)

"वह 'एक व्यक्ति' जिसके लिए कहा जाता है कि उसने सेना और पुलिस में राजद्रोह भड़काया, इस अभियोग से इनकार करता है। उसने इतना ही किया है कि सेना और पुलिस के जवानों को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया है। इस सम्बन्ध में उसने जो कुछ कहा है वह कानून के अन्तर्गत है—संविधान, आर्मी एक्ट, पुलिस एक्ट, सबके अन्तर्गत।

"इतना मैंने आपके मुख्य मुद्दों—सरकार ठप्प करने तथा सेना और पुलिस में राजद्रोह फैलाने के बारे में कहा। अब आपके कुछ छोटे मुद्दों और अन्य विचारों के बारे में कहूंगा।

"लोकतंत्र का राष्ट्र से अधिक महत्त्व नहीं है—आपकी कही हुई यह बात छपी है। प्रधान मंत्री महोदया, क्या आप सीमा से बाहर जाकर धृष्टता नहीं दिखा रही हैं? आप ही अकेली नहीं हैं, जिसे राष्ट्र की चिन्ता हो। जिन लोगों को आपने कैद कर रखा है, उनमें अनेक ऐसे हैं, जिन्होंने देश के लिए आपसे कहीं अधिक किया है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उतना ही देशभक्त है जितनी आप हैं। इसलिए कृपा करके हमारे घावों पर नमक मत छिड़किए, हम लोगों को देशभक्ति का पाठ मत पढ़ाइए।

"राष्ट्र बड़ा या लोकतंत्र, यह विकल्प नहीं है। एक को छोड़कर दूसरे को अपनाने की बात ही नहीं हो सकती। राष्ट्र कल्याण की ही भावना से प्रेरित होकर २६ नवंबर १९४९ को भारत की जनता ने अपनी संविधान सभा में यह घोषणा की थी कि, 'हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतंत्रीय गणराज्य बनाने का दृढ़ संकल्प लेकर अपने लिए यह संविधान स्वीकार कर रहे हैं।' वह लोकतंत्रीय संविधान मात्र एक अध्यादेश से या संसद के कानून से तानाशाही के संविधान में नहीं बदला जा सकता। अगर बदला जा सकता है तो भारत की जनता के द्वारा ही। विशेष रूप से इसी निर्णय के लिए नयी संविधान सभा का चुनाव हो तो उसके द्वारा जनता की यह घोषणा हो सकती है। संविधान पर हस्ताक्षर हुए एक चौथाई शताब्दी बीत गई। अगर आज तक न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे की प्राप्ति 'सभी नागरिकों' को नहीं कराई जा सकी है तो दोष संविधान और लोकतंत्र का नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी का है जिसकी दिल्ली में इतने वर्षों से लगातार सत्ता रही है। इस विफलता के कारण ही जनता में और युवकों में इतना असंतोष है। असंतोष का इलाज दमन नहीं है। उल्टे दमन विफलता को कई गुना बढ़ा देता है।

"बेशक मैं देखता हूं कि आजकल अखबार नई नीतियों, नये अभियानों और नये उत्साह की खबरों से भरे रहते हैं। जाहिर है कि आप खोए हुए समय की कमी पूरी करने की कोशिश कर रही हैं यानी जो काम आप नौ वर्षों में नहीं कर सकीं, उसे करने का दिखावा अब कर रही हैं। लेकिन आपके '२० सूत्रों की' वही गति होगी जो पहले '१० सूत्रों और स्फुट विचारों' (स्ट्रे थॉट्स) की हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। एक दूसरी बात का भी विश्वास दिलाता हूं। स्वार्थियों, बे रीढ़ के अवसरवादियों और जी-हुजूरों की पार्टी—दुःख है कि कांग्रेस ऐसी ही बन गई है—कभी कोई सार्थक काम नहीं कर सकती। (कांग्रेस के सभी लोग ऐसे नहीं हैं। इने-गिने अपवाद हैं। कुछ की सदस्यता समाप्त कर दी गई है और कुछ बंद कर दिए गए हैं। यह तानाशाही का धर्म है कि पार्टी के भीतर भी आलोचना का अधिकार नहीं रह जाता।) प्रचार बहुत होगा, कागज पर घोड़े खूब दौड़ाए जाएंगे लेकिन

सर-ज़मीन पर स्थिति जैसी है, वैसी ही बनी रहेगी। गरीबों की हालत—देश के अधिक भागों में उन्हीं का प्रबल बहुमत है—पिछले वर्षों में लगातार बिगड़ती ही चली आ रही है। यह भी काफी होगा कि और अधिक न बिगड़े। लेकिन उसके लिए आपको राजनीति और अर्थनीति के प्रति अपना पूरा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा।

"मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है पूरी स्पष्टता के साथ लिखा है, चबा-चबा कर बातें कहने की कोशिश नहीं की है। मैंने ऐसा गुस्से में नहीं किया है या इस नीयत से भी नहीं किया है कि शब्दों में आपकी बराबरी करूं। नहीं, वैसा करना अपनी बेबसी और कमज़ोरी दिखाना होता। मैं ऐसा इसलिए भी नहीं लिख रहा हूं कि मुझे अहसास नहीं है कि मेरे स्वास्थ्य की कितनी चिंता रखी जा रही है। मेरी यही कोशिश है कि नंगा सत्य आपके सामने रख दूं, जिसे आप ढकती और तोड़ती-मरोड़ती रही हैं।

"यह मेरा कर्तव्य था जो सुखद नहीं था, फिर भी मैंने पूरा किया। अब सलाह और नसीहत से कुछ शब्द कहकर समाप्त करूं! आप जानती हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी ज़िन्दगी का काम पूरा हो चुका है। प्रभा के जाने के बाद अब क्या है, कौन है जिसके लिए जीऊं? भाई और भतीजे का अपना परिवार है और छोटी बहन के लड़के-लड़कियां हैं—बड़ी बहन तो बरसों हुए, मर चुकीं। शिक्षण समाप्त करने के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है और बदले में कभी किसी चीज़ की कामना नहीं की है। अब मैं पूरे संतोष के साथ एक कैदी की हैसियत से भी आपके शासन में मर सकता हूं।

"क्या आप ऐसे मनुष्य की सलाह सुनेंगी? कृपा करके उस नींव को मत बर्बाद कीजिए जिसे राष्ट्रपिता ने और आपके उदारमन पिताजी ने डाला था। आप जिस रास्ते पर चल रही हैं, उस पर दुःख और संघर्ष के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। विरासत में आपको एक महान परम्परा, ऊंचे मूल्य और क्रियाशील लोकतंत्र मिला था। अपने बाद के लिए बस इनका ध्वंसावशेष मत छोड़ जाइए। इन सबको दोबारा जुटाने-संवारने में बहुत दिन लग जाएंगे। इसमें मुझे ज़रा भी शक नहीं है कि ये चीज़ें दोबारा तो आएंगी ही। जिस जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष किया और नीचा

दिखाया, वह तानाशाही की शर्म और अपमान को हमेशा के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती। मनुष्य की आत्मा पर विजय नहीं पाई जा सकती, दमन उसका चाहे जितना किया जाए। आत्मा कब्र से खड़ी होगी। रूस में भी दबी हुई आत्मा धीरे-धीरे ऊपर आ रही है।

"आपने 'सामाजिक लोकतंत्र' (सोशल डैमोक्रेसी) की बात कही है। इन शब्दों से दिमाग के सामने कितना सुन्दर चित्र खिंच जाता है? किन्तु आपने पूर्वी और मध्य यूरोप में देखा है कि वास्तविकता कितनी कुरूप है। नंगी तानाशाही और अंत में रूस का आधिपत्य—यही स्थिति है। कृपा कीजिए, भारत को ढकेलकर उस भयंकर दुर्दिन की ओर मत ले जाइए।

"क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये कठोर, क्रूर कदम किस लिए उठाए गए हैं? क्या सिर्फ २० सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए? पहले के १० सूत्रों पर अमल करने से आपको किसने रोका था? सारा असंतोष, विरोध, सत्याग्रह था ही इस कारण कि आपने कार्यक्रम पर—यद्यपि वह बहुत अपर्याप्त था—अमल नहीं किया ताकि उस कष्ट और बोझ में कुछ तो कमी आती जिसके नीचे जनता और युवक कराह रहे थे। यही बात तो चन्द्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत और उनके मित्र कहते रहे हैं जिसके लिए उन्हें दंड मिला है।

"आपने कहा है कि देश में 'दिशाहीनता' आ गई थी। लेकिन क्या दिशाहीनता विरोधियों के या मेरे कारण आई? दिशाहीनता आई आपके अनिर्णय के कारण, इस कारण कि आपमें खुद कोई दिशा तय करने और उसमें चलने की प्रेरणा नहीं थी। आप उसी समय तेजी के साथ और नाटकीय ढंग से, चलती दिखाई देती हैं, जब आपकी व्यक्तिगत स्थिति के लिए खतरा पैदा होता है। खतरा टल गया तो फिर वही ढीलमढील और दिशाहीनता आ जाती है। प्रिय इन्दिराजी, अपने को ही देश मत मानिए। अमर आप नहीं, भारत है।

"आपने विरोधियों पर और मेरे पर हर तरह की बदमाशी थोपी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सही कदम उठाएं—जैसे २० सूत्री कार्यक्रम, मंत्रियों के स्तर पर भ्रष्टाचार, चुनाव संबंधी सुधार, आदि के संबंध में—और विरोध पर भरोसा करें और उसकी सलाह

पर ध्यान दें तो हम सब लोग खुशी से आपके साथ सहयोग करेंगे। उसके लिए लोकतंत्र को समाप्त करने की क्या जरूरत है? अगला कदम आप ही उठा सकती हैं। आप सोच लें।

"इन शब्दों के साथ विदा। ईश्वर आपका साथ दे।

जयप्रकाश नारायण"

आधी रात से काली रात

दिल्ली में २५ जून की आधी रात को पहली गिरफ्तारी जयप्रकाश की हुई। उस रात पूरे देश में पहले गिरफ्तारियां हुईं, फिर आपात् स्थिति लगी। पर कैबिनेट द्वारा इसकी पुष्टि २६ जून को सुबह छः बजे हुई और प्रधान मंत्री ने उसकी घोषणा रेडियो से सुबह आठ बजे की।

घोषणा सुनकर लोग बस एक-दूसरे का मुंह देखने लगे थे। उन्हें कतई पता या अनुभव ही नहीं था कि यह क्या चीज़ है? उन्हें इसका अनुमान और पता धीरे-धीरे हुआ। जैसे-जैसे सचाई अनुभव से गुज़रती गई, वैसे-वैसे खामोशी बढ़ती गई।

२६ जून सुबह छः बजे कैबिनेट की मीटिंग श्रीमती इन्दिरा गांधी के निवास स्थान पर—इसकी कभी किसीने पहले कल्पना भी नहीं की थी। सुबह सात बजे से पहले कभी किसी मंत्री की नींद खुलने का कोई सवाल ही नहीं था। सुनते हैं, लोग जबरन नींद से उठाए गए और वे जो कपड़े पहने थे, उन्हीं में सीधे प्रधान मंत्री के घर लाए गए। अधिकतर उस हड़-बड़ाहट में नंगे पैर भागे आए थे। कोई बटन बंद करते हुए कार से बाहर निकला, कोई भीतर ही भीतर 'राम-राम' कह रहा था।

क्योंकि किसीको कुछ भी पता नहीं था। प्रधान मंत्री के अलावा जिन तीन व्यक्तियों को पता था, उनमें से एक पिछले कमरे में बड़े चैन से सो रहा था, दूसरा हेलीकॉप्टर से हरियाणा और दिल्ली के आसमान पर उड़ रहा था और दूरबीन से बाहर देख रहा था। तीसरा वायुयान से कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था।

वह कैबिनेट मीटिंग अपूर्व थी। केवल तीन मिनट की। एक मिनट लगा चुपचाप, बिना कुछ जाने, पूछे, समझे (विरोध करने की बात कहां थी?), उस कागज़ पर हस्ताक्षर करने में। एक मिनट लगा सिर्फ इतना कहने और सुनने में कि अब आप लोग जा सकते हैं और तीसरा मिनट लगा प्रधान मंत्री को सलाम करने में।

हतप्रभ दो बुजुर्ग मंत्री बाहर बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। न कहीं जाने की इच्छा हो रही थी, न इतना साहस ही रह गया था कि एक-दूसरे से कुछ पूछें; कुछ बात करें। वे भी चुपचाप मुंह देखते रह गए और आंखों-आंखों में ही कुछ जान गए। वे जान गए जो गत अठाईस वर्षों के कांग्रेसी राज में उनकी कीमत थी। कीमत अब पूरी तरह से जनता अदा करे, हम अब 'राज' करेंगे।

नसबंदी इसी 'राज' का राजतिलक समारोह था। अनुशासन पर्व इसी राज की सजावट थी। 'मीसा' इसी राज की विषकन्या थी। 'समाचार' इसी राज की कुटनी थी। 'बुलडोजर' इसी राज की सलामी थी।

घर लौटकर लोग मुंह-हाथ भी नहीं धो पाए थे, (आज बैड-टी से नींद नहीं खुली थी) कि फिर फरमान आया, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का। सब भागे।

उस बैठक की कार्रवाई तीन घंटे तक चलती रही। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस का सख्त पहरा था। मुख्यतः आर्थिक मुद्दों पर ही श्रीमती गांधी बहुत जोर-जोर से बोलती रहीं। कांग्रेसाध्यक्ष श्री बरुआ ने काफी तालठोंक जबान में सूचना दी कि उन्होंने श्री चन्द्रशेखर, मोहन धारिया, लक्ष्मीकांतम्मा, रामधन और शम्भुनारायण मिश्र को कांग्रेस कार्यकारिणी से मुअत्तल कर दिया है। राजविदूषक वाली मुखमुद्रा से कहा, "आपात्कालीन स्थिति की घोषणा से देश की परिस्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन आ गया है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अब आर्थिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए अधिकाधिक सक्रिय हो।"

१ जुलाई को इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम घोषित किया।

दिल्ली के ४७ संपादकों ने ६ जुलाई को प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी द्वारा हाल में उठाए गए सभी कदमों में अपनी आस्था व्यक्त की, जिनमें समाचारपत्रों पर लगा 'सेंसर' भी शामिल है। अखिल भारत समाचार-संपादक सम्मेलन के दो भूतपूर्व अध्यक्षों—श्री अक्षयकुमार जैन (नवभारत टाइम्स) और श्री रणवीर (मिलाप)—तथा ४५ अन्य संपादकों ने श्रीमती गांधी को दिए गए ज्ञापन में कहा कि 'सेंसर' में किसी तरह की ढील देना

लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा।'

पांचवीं लोकसभा का अब तक का सबसे अल्पकालिक अधिवेशन था—२१ जुलाई को आरंभ हुआ और २८ जुलाई को समाप्त। मुख्य काम संविधान के अनुछेद ३५२ की व्यवस्था के अनुसार दोनों सदनों द्वारा आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की संपुष्टि थी। इस बार प्रश्नोत्तर काल, स्थगन प्रस्ताव की नोटिसों तथा 'जीरो आवर' में उठाए जाने वाले मुद्दे कार्यसूची में शामिल नहीं किए गए। दर्शक-दीर्घा बिलकुल सूनी थी। किसीको प्रवेश नहीं मिला।

वही होगा जो उसकी इच्छा है

—वह कौन है ?

—इन्दिरा गांधी !

—इन्दिरा गांधी क्या है ?

—भारत।

—भारत क्या है ?

—इन्दिरा।

उस राज दरबार में राज विदूषक प्रजा का मनोरंजन कर रहा था, ऐसा प्रजा समझती है। नहीं, प्रजा अब जनता हो गई थी। वह सब कुछ समझ रही थी और सब कुछ देख रही थी।

नहीं, जो मैं चाहूं, वही देखे प्रजा। उसकी इसी इच्छा की पूर्ति का पहला कदम था, पहली अगस्त से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र और कर्नाटक के चुने हुए २० जिलों के २,४०० गांवों में कुल ३५ लाख जनता के लिए खास तौर पर तैयार दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाया जाना। खेती, आरोग्य, शिक्षा, परिवार-नियोजन और सांस्कृतिक एकता ये हैं इन कार्यक्रमों के विषय।

७ अगस्त को संविधान (३९वां) संशोधन विधेयक पारित करने के बाद लोकसभा का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित।

८ अगस्त, उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़। इन्दिरा का कोप।

—धत्त ! हर बात में उसी का नाम ।

—वही है चारों ओर, बबुआ हो !

—कैसे ?

—और कहीं कुछ नहीं लौकत ।

—अच्छा ।

—हूं ।

—बस बस, भइया चुप । चौप्प !

११ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया—प्रधानमंत्री की चुनाव याचिका पर सुनवाई २५ अगस्त तक स्थगित ।

१७ अगस्त से केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मकानों का सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ । साथ ही इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा लोगों की सम्पत्ति पर घरों पर छापे डालने शुरू हुए ।

—यह सब इतना काला धन कहां से आया ?

—बताऊं ?

—'शट-अप' ।

फिर वही चुप्पी ।

'लाकर्स' पर छापे । जिस घर में अधिकारी जब चाहे घुसकर तलाशी ले रहा है ।

—यह क्या है ?

—सुनिए···

—खबरदार !

सब थरथर कांप उठे ।

—क्या सचमुच पकड़-पकड़कर बाल काटे जा रहे हैं ?

—नहीं भाई, वे खबरें दूसरे राज्यों की हैं : दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है ।

—कोई कह रहा था, यहां भी शुरू हो गया है ।

—फिर तो पता नहीं ।

अखबारों में यह खबर जरूर पढ़ने को मिली थी कि केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने दो वकीलों की याचिका नामंजूर कर दी जो राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस के इंस्पेक्टर-जनरल की बाबत थी कि वे लोगों को मनमानी सजा देते हैं और उनके बाल काट देते हैं । वे अदालत से अपने केशों की सलामती चाहते हैं ।

—ऐ लौंडे ! दाढ़ी मूड़ता है या नहीं ?

—सरकार···

—चल बे !

उस दिन दिल्ली के सैकड़ों हज्जाम जो सड़कों के किनारे, गली-कूचों में घूम-फिरकर नाई की रोज़ी-रोटी कमाते थे, उन्हें पकड़ लिया गया—जवानों की दाढ़ी मूड़ने के लिए, फिर बाद में पता चला, वे हज्जाम जेल भेज दिए गए, जेल में 'मीसा' बंदियों की मूंछ-दाढ़ी मूड़ने ।

आपात् स्थिति

२६ जून १९७५ को देश में अचानक जो आपात् स्थिति लागू हुई, उसका स्वरूप और चरित्र क्या था ? वह चीज़ क्या थी ?

अनुभव तो सभी ने किया । हर स्तर के आदमी, हर तरह के समाज और पूरे देश ने । खासकर समस्त हिन्दी क्षेत्र और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल ने; और सबसे अधिक दिल्ली ने उसे भोगा ।

जिस तरह से यह इमरजेंसी तानाशाही का भारतीय मॉडल था, उसी के अनुरूप उसका मॉडल कार्यक्षेत्र दिल्ली और समूचा हिन्दी क्षेत्र था ।

१८५७ में यही क्षेत्र था, १९४२ में यही क्षेत्र था और अब १९७५ में भी यही क्षेत्र था । यहीं सबसे अधिक कड़ाई से प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया । जनता के मौलिक अधिकार छीने गए । भयंकर ढंग से नसबन्दी हुई । आतंक के जितने उपाय हो सकते हैं, सबके प्रयोग यहीं हुए । लाखों लोगों को सींखचों के अंदर बंद कर दिया गया । एक अजब तानाशाही थोप दी गई ।

इतना आतंक और भय क्यों फैलाया गया ? सिर्फ इसीलिए नहीं कि श्रीमती गांधी सत्ता की कुर्सी पर बैठी रहें, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए भी कि जो जन-आंदोलन प्रजातांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के लिए हिन्दी

क्षेत्रों से उठकर पूरे देश में फैलता जा रहा था और बहुत तेज़ी से जो सम्पूर्ण क्रांति की शक्ल लेने जा रहा था, उसकी बुनियाद को ही खत्म कर दिया जाए। जे० पी० के विचार एवं लोक-संघर्ष से मज़बूत होते हुए संगठनों को ही दफना दिया जाए।

वह राजशक्ति द्वारा लोकशक्ति को नष्ट करने का एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र था। जून से लेकर अगस्त तक देश में लाखों लोगों को गिरफ्तार कर देश की जनता में आतंक फैलाने का उद्देश्य तो इस तानाशाही सरकार का था ही, साथ ही साथ वह देश में भीतरी और बाहरी संकट का हौव्वा खड़ा कर जनता में भ्रम पैदा कर उसे अपनी शरण में लेने का भी उपाय था ताकि जनता यह समझे कि देश में भीतरी और बाहरी जो संकट खड़ा हुआ है, उसे सरकार ही हल कर सकती है और देश में आपात् स्थिति की घोषणा कर जो दमन की कार्रवाई हुई है, वह उसी संकट से निपटने के लिए की गई है तथा यह दमन की कार्रवाई भी देश और समाज के शत्रुओं के साथ हुई है। यही कारण है कि समाचारपत्रों में गिरफ्तार आंदोलनकारियों के नाम और संख्या की जानकारी नहीं दी गई। अगर कोई तस्कर पकड़ा गया, चोर-बाज़ार का माल ज़ब्त किया गया, घूसखोर इंसपेक्टर संस्पेंड किया गया या किसी 'निकम्मे' अफसर को समय से पहले पेंशन दे दी गई तो उसका खूब ढिंढोरा पीटा गया। स्वभावत: ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का जनता ने स्वागत और समर्थन किया।

इस शक्ति के खिलाफ जेलों के सींखचों के भीतर से, भूमिगत लोगों से आवाज़ें उठीं तो असलियत का पता चला कि हमारी प्रधान मंत्री बहुत ही निर्मम महिला हैं। उन्होंने तानाशाही का भारतीय मॉडल तैयार किया है। एक तरफ सामान्य जन के जीवन में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं, दूसरी तरफ इन्दिरा की तानाशाही का सक्रिय विरोध करने वालों, मुक्ति चाहने वाले गरीब तथा किसान-मज़दूरों के सामाजिक-आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को सेना की नंगी बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें जेल की सींखचों में बंद किया जा रहा है, उल्टा लटकाकर पीटा जा रहा है, पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक-दूसरे की जननेन्द्रियों को मुंह में रखने के लिए क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। उनकी मां-बहनों

के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है—एक तरफ संसद चल रही है, संसदीय प्रणाली के औचित्य की दुहाई दी जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जेल में नज़रबंद हैं और मजबूर होकर इस्तीफा दे रहे हैं, संसद में कार्यवाही हो रही है। उसका पूर्ण विवरण भी समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। एक तरफ 'गरीबी हटाओ' के नारे की तरह २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का धुंआधार प्रचार हो रहा है, गरीब-किसान-मज़दूरों को आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की दुहाई दी जा रही है, बड़े-बड़े उद्योग घराने देश के शोषक उनके २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का स्वागत कर रहे हैं, (क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया?) मज़दूरों के बोनस और हड़ताल के अधिकार को ज़ब्त कर लिया गया है। मज़दूरों और मज़दूर नेताओं को इंदिरा के घोषित युवराज संजय के गुण्डों एवं सेना से पिटवाया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है।

तानाशाही के इस भारतीय मॉडल की विशेषताएं हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। इस तानाशाही के रचयिता अच्छी तरह जानते हैं कि केवल सरकार के दमन से कोई क्रांतिकारी आंदोलन, जिसने जन-जीवन के बुनियादी सवाल उठाए हैं, हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। इसलिए संपूर्ण क्रांति को समाप्त करने की शक्ति सरकार के साथ-साथ समाज के अन्दर से भी निकलनी चाहिए, ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए कि संपूर्ण क्रांति समाज के दिलोदिमाग से ही निकल जाए, और वह खुशी-खुशी सरकार के पीछे-पीछे चलने लगे। सरकार की दृष्टि में अनुशासन का यही अर्थ है। इस दृष्टि से दमन के अलावा दो काम और किए जा रहे हैं—एक संगठन और दूसरा प्रचार, धुंआधार प्रचार।

रिक्शा चालक, गरीब किसान से लेकर ऊपर तक लोगों ने महसूस किया—आज इन्दिरा सरकार बहुत प्रगतिशील बन गई दिखती है। लेकिन यह जानना चाहिए कि हर तानाशाही सरकार झूठ और दमन पर टिकी रहती है। लोग सोचने लगे, सत्ताधारियों की तरफ से आज 'समाजवाद' का नारा बहुत ज़ोरों से लगाया जा रहा है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। हिटलर ने भी 'समाजवाद' में अपना विश्वास प्रकट किया था और २५ सूत्री आर्थिक कार्यक्रम चलाया था। वर्षों पूर्व मुसोलिनी भी क्या एक

'समाजवादी' नहीं था ? इन समाजवादों का एक ही अर्थ होता है—फासिज्म ! और फासिस्टवादी सरकार देश के मिल-मालिकों और पूंजीपतियों से प्राप्त धन की आधारशिला पर खड़ी होती है। लोकसभा में पारित एक बिल के अनुसार अब तालाबंदी, पूर्ण बंदी और मजदूरों की छटाई करने के पहले मालिकों को निर्धारित सूचना देकर तथा केन्द्र या राज्य सरकार से आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। उस बिल ने कांग्रेसी सरकार द्वारा मिल-मालिकों को ऐसी अनुमति देने के पहले कांग्रेस दल को इनसे लम्बी रकमें वसूलने का रास्ता और साफ कर दिया है। लोग देखने लगे—अब सरकार और मिल-मालिक आपस में सांठ-गांठ कर मजदूरों का दोहरा शोषण करेंगे और मजदूर इस शोषण के खिलाफ हड़ताल नहीं कर सकेंगे। मजदूरों के हित के नाम पर ही सरकार ने उनका अधिकार (हड़ताल और बोनस का) छीन लिया है। ऐसा कहकर किसीका शोषण करना आसान भी हो जाता है।

आपात् स्थिति से पहली बार आधुनिक भारत को अपने अनुभवों से तानाशाही की कुछ सच्चाइयों का पता चला।

तानाशाही के लक्षण और उसके काम करने के साधन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तानाशाही का प्रमुख साधन या हथियार भय है। तानाशाह समाज में भय और आतंक का वातावरण बनाकर अपना स्थान मजबूत बनाता है। बीसवीं सदी की तानाशाही अपनी ही प्रजा को भयभीत और आतंकित कर देने की कला में पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। उसके लिए अनेक प्रकार की पुलिस व्यवस्था, अर्धसैनिक व सैनिक संगठनों और अनेक ढंग से गुप्तचर संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। वह कैदियों और दुश्मनों को दंडित करके भय के वातावरण को और मजबूत बनाती है। मनुष्य पहले कभी जिस क्रूरता की कल्पना भी नहीं करता था, उस हद की क्रूरता तक वह इन सजाओं द्वारा पहुंच गया। जेलों में दी जाती सैकड़ों अमानुषी सजाएं, कॉन्सन्ट्रेशन कैम्प्स, जहरीली कोठरियां या साइबेरिया की ठिठुरती ठंड में पानी की खुराक पर कड़ी मजदूरी करवाना, ये उन सजाओं के कुछ नमूने मात्र हैं। इन सजाओं का एक दूसरा प्रकार है, कैदियों को तरह-तरह के रसायन पिलाकर, अंधेरी कोठरी में एकान्तवास में रखकर या उन पर

तेज रोशनी डालकर उन्हें विक्षिप्त बना देना। इस सदी के तानाशाहों ने विज्ञान का भरपूर उपयोग अमानुष बनने में किया है।

तानाशाह का दूसरा प्रमुख साधन है भ्रम। कितना भी दबंग तानाशाह हो, प्रजा के समर्थन के बगैर वह टिक नहीं सकता। इसीलिए जन-समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे जनता को भ्रम में रखने के तरह-तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं। ज्यादातर तानाशाह अपने कार्यकाल के प्रारंभ में किसी न किसी प्रकार का आर्थिक कार्यक्रम लोगों के सम्मुख रखते देखे गए हैं। हिटलर, मुसोलिनी और स्तालिन ने इस प्रकार के कार्यक्रम चालू किए थे। इसके मूल में देश को आर्थिक रूप से स्वायत्त करने की भावना के साथ-साथ स्वयं जनता का कल्याण करने वाला, तारक है, ऐसा भ्रम पैदा करने की भावना भी उसके मन में काम करती है। जैसे-जैसे ये आर्थिक कार्यक्रम लागू करने की बात आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे पहली भावना से दूसरी भावना ज्यादा प्रबलतर होती देखी जाती है। और इसीलिए 'देश ही तानाशाह और तानाशाह ही देश है' वाला सूत्र अंत में गूंजने लगता है। लाखों लोगों के मन में देश एक अमूर्त वस्तु होती है, जबकि तानाशाह साक्षात् मूर्त रूप में होता है, इसलिए भोली-भाली जनता देशभक्ति के बदले धीरे-धीरे तानाशाह-भक्ति करने लगती है। इसीमें तानाशाह को रुचि होती है।

तानाशाह भ्रम के हथियार का कई तरीकों से प्रयोग करता है। कभी वह ऐसा भ्रम पैदा करता है कि वह हर वक्त देश के सबसे दलित व्यक्ति के साथ रहता है जबकि वास्तविकता यह है कि वह हमेशा दलितों का समर्थन खोजता रहता है। कभी ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश में लगा रहता है कि उसकी व्यवस्था वैज्ञानिक प्रगति के लिए आवश्यक है। जबकि चाहे तानाशाह रहे, चाहे न रहे, विज्ञान तो आगे बढ़ता ही रहेगा। कभी-कभी तानाशाह धर्म की रक्षा के लिए या संस्कृति के उद्धार के लिए काम करते हैं ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि तानाशाही स्वभावतः मानव-धर्म और मानवीय संस्कृति के खिलाफ ही होती है। कभी तो तानाशाह स्वयं को भ्रष्टाचार दूर करने वाला प्रदर्शित करना चाहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि जो व्यवस्था स्वयं एक भ्रष्टाचार है, उसके मातहत भ्रष्टाचार निवारण की प्रक्रिया देर तक नहीं टिक सकती।

अपने बारे में भ्रम बढ़े, इसलिए वह कभी अपनी पकड़ को ढीली करके लोगों को यह दिखाने की कोशिश करता है कि अब वह काफी उदार हो गया है। परन्तु ऐसी उदारता क्षणभंगुर होती है। लोगों के मन में जैसे ही यह भ्रम घर कर लेता है, वह अपनी लगाम पुनः खींच लेता है।

तानाशाह का दूसरा एक हथियार है द्वेष। 'फूट डालकर राज करने' का साम्राज्यवादी सूत्र तानाशाह को देश के आंतरिक प्रश्नों से निपटने में मदद रूप हो जाता है। इस काम के लिए वह द्वेष के साधन का उपयोग करता है। किसी स्थान पर वह जाति विशेष के प्रति द्वेष के रूप में प्रगट होता है। कभी वह किसी वर्ग विशेष के प्रति द्वेष के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार के द्वेष की चरम सीमा प्रकट हुई थी, जब हिटलर ने साठ लाख यहूदियों की हत्या की और स्तालिन ने कुलाक जाति को जड़ से नेस्तनाबूद किया। इसका अभी का उदाहरण मिलता है, पाकिस्तान में हाल में हुई अहमदिया जाति वालों की बड़ी संख्या में की गई हत्याएं।

तानाशाही का एक विदित अस्त्र है 'देश पर संकट है' ऐसा माहौल खड़ा करना। कहीं यह 'मज़हब खतरे में है' के रूप में प्रकट होता है। कहीं यह 'साम्राज्यवादी देश अपने देश को खत्म करने की योजना बना रहे हैं' के सूत्र में प्रकट होता है, तो कहीं वह प्रतिक्रांति के भय के रूप में प्रकट होता है। मानव समाज जब भयभीत हो जाता है। झूठा भय खड़ा करके फिर अपना ही सहारा देना, तानाशाह का यह तरीका जाना हुआ है। हर शासक इस तरीके का प्रयोग कमोबेश रूप में करता है। तानाशाह के हाथ में ये तरीके और ज्यादा क्रूर बन जाते हैं।

जेल से छूटकर २३ मार्च, १९७६ को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विरोधी दल के नेता, चौधरी चरणसिंह ने जो भाषण दिया, वह एक ऐसा साक्ष्य है जिससे आपात् स्थिति का सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है :

" रोजाना क्या किस्सा होता था कि पहले मैं बरेली की बात सुनाता हूं। वहां पर रमेश आनन्द नाम का एक छात्र था, जो एम० एस-सी० फस्ट ईयर (मैथेमैटिक्स) का विद्यार्थी था जिसकी उम्र २३ वर्ष थी। उसे २० अक्तूबर, १९७५ को घर से सर्किल इंसपेक्टर, कोतवाली, ने बुलाया और सायं ६ बजे से रात्रि २ बजे तक उसको पीटा गया। दोपहर २ बजे बंदी

बनाया गया। ४ बजे एक दूसरे लड़के वीरेन्द्र अटल को घर से लाया गया और ४ बजे से ही दोनों से एकसाथ पूछ-ताछ शुरू की गई। साइक्लोस्टाइल मशीनों के बारे में गालियों की बौछार करते हुए उनसे पूछा गया। उत्तर बताने से इंकार करने पर उनको पीटना शुरू किया गया, बाद में जिलाधीश श्री माताप्रसादजी भी आ गए। उनको देखकर पीटने वालों की हिम्मत और बढ़ गई। बजाय कम होने के और क्षमा याचना का रवैया अख्तियार करने के, डी० एम० की आंख बतला रही थी कि ठीक कर रहे हो और उन्हें रस्सी से हाथ बांधकर पीटना शुरू कर दिया गया। पीटते-पीटते ४ बेंत तोड़ डाले गए परन्तु दोनों में से किसीने भी अपना मुंह नहीं खोला। यह देखकर हाकिम राय इंसपेक्टर का क्रोध और भड़क गया। डी० एम० को खुश करने का उसे अच्छा मौका नज़र आया। अतएव उसने बिजली के पिलास से रमेश आनन्द के हाथ का अंगूठा बड़ी क्रूरता से दबाया, खून की धार बह चली। इसके बाद अंगुली दबाई और बहुत ही बेजा-बेजा गालियां दीं। इसके बाद उसने एक-एक करके वीरेन्द्र अटल के हाथ की अंगुलियों को लहूलुहान कर दिया और कहा, सब नाखून खींच लूंगा, नहीं तो बताओ, कहां रहता है प्रचारक, कहां होता है साइक्लास्टाइल, आदि। जब नाखूनों को पिलास से दबाने पर वे कुछ भी नहीं कर पाए तो ज़मीन पर, मौजूदा गवर्नमेंट से मतभेद करने की वजह से, पटक दिया गया और पैर ऊपर करके बेंतों से इतनी पिटाई की गई कि तीन बेंत और टूट गए। दोपहर से लेकर अगली दोपहर तक चाय भी नहीं दी गई, भोजन तो दूर रहा। २९ अक्तूबर को दोपहर पैदल चलाकर और हथकड़ी डालकर जेल भेज दिया गया। जेल में सब कैदियों की मांग पर २९ अक्तूबर, १९७५ की रात में ही दोनों की डाक्टरी जांच हुई जिसमें प्रत्येक के शरीर पर चोट दर्ज की गई। इतना घोर अमानुषिक अत्याचार किया गया।

" चेतराम को तो इतना मारा गया कि पिटते-पिटते उनकी मृत्यु ही हो गई। इनका फोटो भी मौजूद है। इनकी कहानी सुन लीजिए। व्यवसायी, उम्र ४० वर्ष, काली बाड़ी, बरेली, २३ नवम्बर, १९७५ को सत्याग्रह, थाना सर्किल के इंस्पेक्टर, श्री रणविजयसिंह द्वारा पिटाई और मृत्यु। २३ नवम्बर, १९७५ को चेतराम ने अपने एक साथी शिवनारायण के साथ

सत्याग्रह किया। थाना सर्किल के इंस्पेक्टर, श्री रणविजयसिंह ने थाने ले जाकर लात, घूसों और डंडों से बहुत पिटाई की जिससे चेतराम के शरीर में बहुत मार्मिक चोटें आईं। बाद में उन्हें जिला जेल, बरेली, भेज दिया गया जहां चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इस प्रकार भारी चोटों की असहाय पीड़ा के कारण १२ दिसम्बर को उन्होंने शरीर छोड़ दिया और शहीदों में अपना नाम लिखा लिया। तानाशाही के नंगे नाच का यह एक नमूना है। ज्ञानेन्द्र देव, छात्र बी० एस-सी० फर्स्ट ईयर, बरेली कालेज, उम्र १६ वर्ष, उनका एक दूसरा साथी था जिसकी उम्र २२ वर्ष थी और एक अध्यापक तीसरा। इन तीनों लोगों ने बरेली कालेज में एक साथ सत्याग्रह किया। थाना बारादरी के इंस्पेक्टर श्री शैलेन्द्रनाथ खोसला ने थाने में जाकर उनकी बहुत पिटाई की और उनसे तरह-तरह पूछताछ की। पर इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। झक मारकर उन्हें जेल भेज दिया गया। विश्वबन्धु नाम के एक अन्य साथी भी थे।

"अब जिला पीलीभीत के उत्पीड़न की बात सुनिए। पीलीभीत में पुलिस शासन ने अपना आतंक फैला रखा था। वहां के पुलिस इंस्पेक्टर, श्री गौड़ और श्री तिवारी ने घोषणा कर रखी थी कि पीलीभीत में सत्याग्रह नहीं होगा। अब इसको साबित करना था कि सत्याग्रह नहीं हुआ। परन्तु सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रहियों की बेरहमी से पिटाई की गई।

"आगरा डिवीजन की पिटाई संबंधी बहुत-सी घटनाएं हैं लेकिन केवल दो सुनाता हूं। एक डाक्टर हैं. अलीगढ़ के श्रीनिवास पाली। उन्हें उनके घर से पकड़ा गया और पुलिस स्टेशन पर ले जाकर वहां उन्हें एक दरख्त पर पैर ऊपर करके लटका दिया गया, पैर ऊपर, सिर नीचे और इस तरह उनको दो दिन तक पीटा गया। एक लड़के को तो लोहे की छड़ से पीटा गया। २८ नवम्बर को श्री तेजसिंह तथा उनके साथी को जो अतरौली के रहने वाले थे, पुलिस लाइन, अलीगढ़, में ले जाकर पीटा गया और उनको पीने के लिए पानी की जगह पेशाब दिया गया। एक बूढ़ा किसान ज्ञानसिंह था; उसे इतना पीटा गया कि उसके दो दांत टूट गए। और इन सब लोगों से यह भी कहा गया कि तुम अपने जूतों से खुद अपने आपको पीटो या एक-दूसरे के जूते से एक-दूसरे को पीटो। बालीसिंह नाम के एक व्यक्ति को

इतना पीटा गया कि २६ दिसंबर, १९७५ को जेल में जाकर उसका इंतकाल हो गया। १८-१९ दिसंबर को सत्याग्रह हुआ था।

"इसी तरह से मथुरा में सिरोहा और डा० बी० चौधरी को बुरी तरह पीटा गया। पहली दिसम्बर को रामप्रसाद और उसके दूसरे साथी जो बनारसी पुल के रहने वाले हैं, उनको बलदेव और त्यागी नाम के पुलिस अफसरों ने खूब पीटा। इतनी पिटाई की कि उनके मुंह और नाक से खून बहना शुरू हो गया। एक पत्रकार का नाम है देवनन्दन कुरैशिया। काफी लोग उनको जानते हैं। उनकी पिटाई की गई और तब तक पीटा गया कि आखिर बेहोश हो गए। बुलन्दशहर के कई मामले हैं लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूं। लेकिन कानून अपनी जगह पर है। कानून के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। कानून के माने यह नहीं है कि नाखून खींच लिया जाए और पेशाब पिलाया जाए और लगातार पिटाई की जाए। यह बात नहीं है कि इसकी सूचना ऊपर के अफसरों को न हो।"'जेल से लोग छूटते थे और जेल के फाटक पर गिरफ्तार कर लिए जाते थे और दूसरे या तीसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा पेश हो जाता कि अमुक कोने पर ३० आदमी इकट्ठा थे और कह रहे थे कि गवर्नमेंट निकम्मी है। इस तरह फिर वह गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना था कि वह छूटते ही व्याख्यान देते थे। सेशन जज आर्डर करता तो उनको रिलीज (रिहा) करना पड़ता। फिर बाहर आए, फिर केस बना दिया गया। एक व्यक्ति को तीन दिन हवालात में पुलिस ने रखा, क्योंकि पुलिस के आफीसर के यहां शादी थी। फिर वह मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। मजिस्ट्रेट ने अपनी मजबूरी जाहिर की और सजा का हुक्म सुना दिया। परन्तु मजिस्ट्रेट को कौन कहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ क्या बर्ताव नहीं किया गया? वहां जिस तरह के कन्फरमेशन (स्थायीकरण) और प्रोमोशन (पदोन्नति) होते हैं वह भी मिसाल हैं। १९७३ की बात है कि फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। ३ न्यायाधीश उस फैसले के देने में शामिल थे। उन तीनों को सुपरसीड कर दिया जाता है। क्या वह नामाकूल थे, यह नहीं बताया जाता है और एक जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाता है। ज्यादा इनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं।

केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह सुपरसीड किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को ऊपर रखा गया जो हर प्रकार से जूनियर था, उसका असर पड़ना जरूरी है, उसका असर न पड़े, मुश्किल है और पंजाब हाई कोर्ट में भी यही हुआ कि एक सीनियर जज को, जिसका सारा 'बार', सारे वकील इज्जत करते हैं, सुपरसीड किया गया और नियुक्ति उस जज की की गई जिसका फैसला गवर्नमेंट के माफिक हुआ करता था। मैं जजों के खिलाफ नहीं कहूंगा। लेकिन फैसला गवर्नमेंट के माफिक होता था, इसलिए उनका प्रोमोशन हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के दो जज रंगनाथन् तथा अग्रवाल हैं। ऐसा इत्तिफाक कि इनके जजमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, कुलदीप नैयर, जो स्टेट्समैन के सम्पादक रह चुके हैं, विख्यात पत्रकार हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनसे इन्दिराजी खुश नहीं हो सकतीं। इसलिए इनको जेल भेज दिया।"

सिल गए होंठ

२२ जुलाई, १९७५ को राज्यसभा में एक आतंक-भरा सन्नाटा था। कांग्रेस पक्ष के सदस्य अपने विपक्षियों और स्वतंत्र मत रखने वाले लोगों को कुछ इस तरह देख रहे थे, जैसे कह रहे हों—कहिए, अब भी कुछ बोलने का दम है!

—है।

—समझ लीजिए और सावधान रहिए—हमारी राय से असहमति तक अपराध माना जाएगा।

—क्या?

—हम अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते।

—फिर यह पवित्र सभा क्यों?

—अब इस सभा की यही मर्यादा है कि सत्ता और हुकूमत के खिलाफ किसीका मुंह न खुले।

—खुलेगा।

—समय बर्बाद होगा, क्योंकि यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। सारे समाचार, प्रचार और प्रसार हमारी मुट्ठी में हैं।

—फिर भी हम बोलेंगे। शब्द ब्रह्म है···शब्द अक्षर है, जिसका कभी क्षय नहीं होता।

ये शब्द गुजराती के प्रसिद्ध लेखक उमाशंकर जोशी के थे। उन्होंने अपने पास बैठे कृष्णकांत की ओर देखा। कृष्णकांत यह बोलते हुए खड़े हुए—मैं उठता हूं बोलने, गहरे दुःख में, जो अंधकार अचानक पूरे देश पर छा गया है, उससे हर किसीका दम घुट रहा है। हमारे तमाम साथी अचानक गायब हो गए जो कल तक यहां हमारे साथ बैठते थे। जयप्रकाश नारायण, हमारे एक महानतम नेता और महात्मा गांधी के एकमात्र सच्चे प्रतिनिधि, इस आज़ाद भारत में अचानक इस तरह जेल के सींखचों के

भीतर बंद हैं। इससे हमारे दिलों में उदासी, निराशा के साथ ही साथ एक गहरी पीड़ा है। मैं अभियोग लगाने के लिए नहीं खड़ा हूं, बल्कि इस अंधेरे में सत्य की तलाश में उठा हूं।

इस मुल्क ने आज़ादी के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, पर जैसा भय, जैसी खामोशी अचानक हम पर उतरी है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे पाकिस्तान के शायर फ़ैज की ये लाइनें याद आ रही हैं :

आ गई फसले सुकूं चाक गरेबां वालो
सिल गए होंठ कोई जख्म सिले या न सिले
दोस्तो बज्म सजाओ कि बहार आई है
खिल गए जख्म कोई फूल खिले या न खिले।

—इसकी ज़रूरत क्या थी ?

—आपको कुछ पता नहीं। बैठ जाइए !

कांग्रेसी सदस्यों की तरफ से तमाम आवाजें उठी थीं चुप कराने के लिए। पर वह अकेली आवाज़ शब्द बनती जा रही थी—हमें पता है 'मीसा' के अंतर्गत २६ जून की सुबह अचानक सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। आपात् स्थिति लगने से पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं। आप कहते हैं, वे बहुत थोड़े-से ही लोग थे जो देश की भलाई के खिलाफ थे, पर इस सारे मुल्क पर यह घना अंधेरा क्यों ?

आज वे कौन लोग हैं जो बीस सूत्री कार्यक्रम के समर्थन में लगे हैं ? वे कौन हैं जो प्रधान मंत्री के बंगले के सामने खरीदे हुए लोगों की भीड़ जमा करने में लगे हैं ? वही कांग्रेसी हैं, जो अब तक सभी प्रगतिशील कार्यक्रमों के विरोधी रहे हैं—जिनका धंधा है काला बाज़ार, बेईमानी, दुश्चरित्रता, भ्रष्टाचार। क्या वजह थी कि कांग्रेस अपने किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकी ? यही हैं कांग्रेस की सारी नीतियों को असफल करने वाले।···हमारे राष्ट्रीय जीवन से इस तरह जे० पी० को हटाकर कितनी क्षति पहुंचाई गई है इस देश की गांधी मर्यादा और शील-परंपरा को।

दूसरी तरफ से किसीकी ऊंची आवाज़ आई—सुनिए···सुनिए मिस्टर एन० जी० गोरे। चीफ सेंसर, एच० जे० डी-पेन्हा के निर्देश सुनिए। फैसला

किया गया है कि संसद-सदस्यों की कोई भी बात, संवाद किसी भी तरह बाहर नहीं छपेगा।

—बैठ जाइए !

—चुप रहिए !

स्पीकर के सामने एन० जी० गोरे उठे और कहा—कांग्रेस ने जो कुछ किया, कितनी फाइरिंग, कितनी निर्दोष हत्याएं, जुल्म और अपराध, उसे छपने क्यों नहीं देते ? जयप्रकाश ने मांग की—इन जुल्मों और शासन-तंत्र की बेईमानियों और भ्रष्ट-मंत्रियों, एम० एल० ए०, एम० पी० की अनीतियों की जांच होनी चाहिए—यही है उनका राष्ट्रीय विरोध !

—सिर्फ इतनी ही बात नहीं है।

—और सुनिए !

वी० पी० दत्त बार-बार श्री गोरे को बोलने से रोकते रहे।

गोरे ने गुस्से में कहा—मिस्टर दत्त आप दिमाग से बिके हुए हैं। कल अगर इन्दिरा जे० पी० को रिहा करके कहे—चलो, मुझे सहयोग दो, तो आप कहेंगे—'देखो कैसा किया' ! मिस्टर दत्त, आपने कल कहा कि आर० एस० एस० ब्राह्मणों की संस्था है, तो देखिए ना, कांग्रेस के इन स्तम्भों को—वह बैठे हैं उमाशंकर दीक्षित, यह महाशूद्र हैं न ? वह बैठे हैं कमलापति त्रिपाठी, यह बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं, क्यों ? उमाशंकर जोशी ने बड़े ही घायल स्वरों में कहा—कल तक यह भारत देश एक देश था। एक प्रान्त के लोग दूसरे से जुड़े थे। आज हम अलग-अलग टुकड़ों में बांट दिए गए। अब हमें पता नहीं चलेगा कहां क्या हो रहा है। कल तक हम आज़ाद थे, स्वतंत्र। आज हमारी स्वतंत्रता छिन गई। अब हम जीकर क्या करेंगे ?

प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने कड़ी निगाहों से श्री जोशी को ओर देखा। जोशी का कवि-हृदय रो रहा था।

एन० जी० गोरे ने कहा—मैडम ! डी० एम० के०, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, बी० के० डी०, सी० पी० एम०, सोशलिस्ट, स्वतंत्र, अकाली दलों की ओर से मैं कहता हूं—हम इस सभा की बैठक में, फिर भी कुछ आशा के साथ भाग लेने आए थे, आशा थी यहां तो कुछ आज़ादी बची होगी। पर प्रेस पर पाबंदी का यह स्वरूप और ओम मेहता के ऐसे निर्देश

कि इस सभा के वे सारे नियम और परम्पराएं, प्रश्न करने, ध्यानाकर्षण लाने, विचार-विनिमय, प्रश्नोत्तर, आदि के अधिकार दिए जाएं तो अब बाकी क्या रहा ?

मैडम, इसके साथ हम इस सदन से अपने-आपको अलग करते हैं।

काला अखबार

आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन निषेध के लिए ९ दिसंबर, १९७५ को जो अध्यादेश जारी हुआ, उससे एक काले अखबार का जन्म हुआ और जन्म भी ऐसा कि कहीं समाचार भी नहीं छपा कि इस जन्म से कौन रोया कौन हंसा ? हां, जिन घरों में मंगल गाया गया, वे तब तक यह भूल चुके थे कि कोई समाचार होता है।

अखबार वाले इस काले अखबार के लिए कतई तैयार न थे। सब कुछ अप्रत्याशित हुआ।

ऐसे होता ही था।

हां, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अखबारों को, पत्र-पत्रिकाओं को, 'अधिक जिम्मेदार' बनाने के लिए अनेक उपायों की तजवीज कर रहा था और पत्रकार बंधु प्रेस क्लबों में सिगरेटें पीते, अखबार आचारण संहिता के बारे में ख्याली बातें कर रहे थे। अंग्रेजी और हिन्दी चारों संवाद समितियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय संवाद समिति बनाए जाने की पेशकश हो रही थी। मगर अचानक तीन अध्यादेश जारी हो गए :

पहला—जो संसद की कार्रवाई के प्रकाशन को निषिद्ध ठहराता है।

दूसरा—जो उन तमाम चीज़ों को अखबार के दायरे से दूर हटा देता है जिन्हें आपत्तिजनक सामग्री अध्यादेश की धारा ३ में परिभाषित किया गया है।

तीसरा—जो संविधान के अनुच्छेद १४, २१ और २२ को निलंबित करता है और उस रूप में किसी नागरिक का अदालतों की शरण में जाने का अधिकार खत्म करता है।

अध्यादेश में नौकरशाही को ही निर्णय करने और आदेश देने का पूरा अधिकार था। इसके खिलाफ पहली अपील भी कोई न्यायाधीश नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी ही सुनेगा—ऐसी व्यवस्था थी।

इस काले अखबार ने समाचार के कुछ सदस्यों के मन में भय, आशंका, संदेह भर दिया। प्रसिद्ध लोग घुटने टेककर बैठ गए। जो अब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अग्रलेख लिखते, भाषण देते नहीं थकते थे, अब 'अनुशासन पर्व' मनाने लगे।

'टाइम्स आफ इंडिया' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दोनों संस्थानों से काले पृष्ठ छपते रहे।

'इंडियन एक्सप्रेस' और 'स्टेटसमैन' केवल यही दो समाचारपत्र थे, जिन्होंने संघर्ष का पक्ष लिया और आज़ादी की लड़ाई में किसी तरह से भी नहीं डिगे।

जानते हैं क्या खोया है ?

नहीं, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हो भी नहीं पाती। अखबारों में वही इन्दिरा राज छपता है, सब स्वर्ग बनता जा रहा है। पर इस इमरजेंसी के बीच हमने इतना खोया :—

(१) पुलिस जब चाहे, आपको गिरफ्तार कर सकती है ? 'मीसा' में गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जाएगा, और अब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है कि आप किसी अदालत में फरियाद भी नहीं कर सकते। आपका घर लूट लिया जाए, आपकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जाए या आप मार भी डाले जाएं, आप कानून की दुहाई नहीं दे सकते। पुलिस का राज है, वह जो चाहे कर सकती है।

(२) आप किसान हैं। आपका लगान बढ़ गया है, बिजली, पानी, खाद का रेट बढ़ गया है। सरकार अपने रुपये की वसूली बड़ी बेरहमी से कर रही है। आप असहाय हैं। आप कुछ कर नहीं सकते।

(३) आप गरीब हैं, भूमिहीन हैं, मज़दूर, हरिजन, या आदिवासी हैं। आप यह भी नहीं कह सकते कि बीस सूत्री कार्यक्रम में जो

लाभ मिलना चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, आपके लिए जो कानून बने हुए हैं, वे लागू नहीं किए जा रहे हैं। कहीं आपकी सुनवाई नहीं।

(४) आप पत्रकार हैं। आपकी कलम बंद है। आप नहीं लिख सकते जो लिखना चाहें, आपको वही लिखना पड़ेगा जो सरकार चाहे।

(५) आप प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं। आप किसी गोष्ठी में नहीं जा सकते, लेख या किताब नहीं लिख सकते।

(६) आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभा नहीं कर सकते। आप किसी बुराई या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल सकते, शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर सकते।

(७) आप व्यापारी हैं। आपको अधिकारियों की पूजा करनी पड़ेगी, आप गलत काम करें या न करें। साथ ही युवक कांग्रेस को चंदा भी देना पड़ेगा।

(८) आप सामान्य नागरिक हैं। किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर में जाइएगा तो पहले से अधिक घूस देना पड़ेगा। इमरजेंसी है—रेट बढ़ गया है।

(९) नागरिक के जो अधिकार संविधान में माने गए थे, वे ठप्प कर दिए गए हैं। आपके बोलने, लिखने पर तो रोक है ही, आपके कहीं आने-जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है।

(१०) सरकार की पंचवर्षीय योजनाएं फेल हो चुकी हैं। गरीबी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही हैं। विषमता घटती नहीं। निकम्मी शिक्षा बदली नहीं जाती। प्रशासन भ्रष्ट और बेकार है। न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता। भूमि-व्यवस्था सामन्तवादी है। अपनी सारी निरंकुशता और विफलता को सरकार एकतरफा प्रचार से ढक रही है।

(११) आप मतदाता हैं। लोकतंत्र में आपको अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार है। लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा है। फरवरी, १९७६ में जो चुनाव होना चाहिए था, वह टाल दिया गया। आगे चुनाव कब होगा, कहना कठिन है, और होगा तो मुक्त, शुद्ध और पक्षपातरहित होगा, इसकी गारण्टी नहीं है।

सोचिए, कहां है हमारी स्वतंत्रता और हमारा लोकतंत्र? यह तानाशाही है, नंगी और निरंकुश—इन्दिराजी की तानाशाही। उनके बाद संजय गांधी की होगी!

क्या आप सोचते हैं कि आपने क्या खो दिया है? आपने खोया है स्वतंत्र, लोकतांत्रिक देश के नागरिक की हैसियत, अपना अधिकार, जान-माल की सुरक्षा, अपना सम्मान। तो बचा क्या?

आंखें खोलिए, देखिए, समझिए, बोलिए। जनता की आवाज उठेगी तो सत्ता हिल जाएगी।

(भूमिगत तरुण क्रांति, संघर्ष कार्यालय, पटना की ओर से प्रसारित)

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 'हैबियस कारपस' के प्रश्न पर फैसला दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता की अंतिम टिमटिमाती रोशनी भी बुझ गई।

बम्बई, २ मई, १९७६ को जयप्रकाश ने फिर भी यह लिखकर, प्रकाशित कर, कहा—श्रीमती गांधी की तानाशाही अब लगभग पूर्ण हो गई—व्यक्ति के रूप में भी, और सरकारी तंत्र में भी। सभी स्वतंत्रता-प्रेमी भारतीयों को साहस के साथ इस समस्या का सामना करना चाहिए कि किस तरह इतिहास का उल्टा, प्रतिगामी प्रवाह फिर सही दिशा में मुड़ेगा, और हम अपनी खोई हुई स्वतंत्रता वापस पाएंगे, और अपनी लोकतांत्रिक संस्थाएं फिर स्थापित कर सकेंगे। जाहिर है कि यह तभी हो सकेगा—अगर संविधान के रास्ते से करना हो तो—जब लोकसभा के मुक्त, शुद्ध और पक्षपातरहित चुनाव हों, जिनमें कांग्रेस की हार हो, और 'विरोध' विजयी होकर अपनी सरकार बनाए। सही है, यह कहना आसान है, करना कठिन, लेकिन यह भी उतना ही सही है, अगर ज्यादा नहीं, कि इतना सब तो करना ही है। कैसे, यही प्रश्न है। मेरा सुझाव है कि :

(१) पूरे देश में सभाएं हों—आम जनता की, तथा विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की—और उनमें मांग की जाए कि इमरजेंसी

उठायी जाए, राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं, लोकसभा के चुनाव कराए जाएं तथा प्रेस और बोलने की, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता वापस दी जाए।

(२) जो लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र, लोकतांत्रिक संगठनों में विश्वास करते हैं, वे फौरन, चाहे जिस तरह संभव हो, तीन-तीन, चार-चार की टोली बनाकर जनता में घुस जाएं, और लोगों को बताना शुरू कर दें कि क्या हो रहा है और कौन-से बुनियादी सवाल पैदा हो गए हैं? श्रीमती गांधी की तानाशाही का रथ बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि लोग चुप हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। लोग चुप और निष्क्रिय इसलिए हैं कि समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। एकतरफा प्रचार के कारण बहुत से लोगों ने मान लिया है कि जो हुआ है, उनकी भलाई के लिए हुआ है। इसलिए सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि लोगों को एक बार फिर बताया जाए कि स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के आधार क्या हैं, बुनियादी तत्त्व क्या हैं? यह काम समझदारी के साथ करना है। उसके लिए जरूरी है कि सरल भाषा में, जानकारी के साथ, और यह बताते हुए कि क्या करना है, पर्चे, फोल्डर, पुस्तिकाएं आदि तैयार की जाएं। ज़ाहिर है कि इनका प्रकाशन और प्रचार गैरकानूनी ढंग से ही हो सकेगा। बहुत-से लोग इन लिखित चीज़ों को पढ़ और समझ भी नहीं सकेंगे, लेकिन ये 'टेक्स्ट बुक' का काम करेंगी। इन्हें छोटी-छोटी गोष्ठियों में पढ़ा जाए जिनमें ज्यादातर छात्र तथा अन्य युवक और युवतियां शरीक हों।

कहने की ज़रूरत नहीं कि जो लोग इस तरह के निर्दोष, शैक्षणिक काम में शरीक होंगे, वे भी पकड़े जा सकेंगे, जेल भेजे और पीटे जाएंगे और उन्हें यातनाएं दी जाएंगी। उन्हें इन सबके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस देश में ऐसे काफी युवक और युवतियां हैं जो इन खतरों को जानते हुए भी पीछे नहीं हटेंगे।

(३) जनता के शिक्षण के साथ-साथ जनता के संगठन का काम भी होना चाहिए। बिहार आंदोलन में जन संघर्ष समिति और छात्र संघर्ष के रूप में संगठन हुआ था। मेरा सुझाव है कि बिहार के बाहर पूरे देश में जो संगठन बनें, उन्हें केवल 'नव निर्माण समिति' कहा जाए। पहचान के लिए नाम के पहले 'ग्राम', 'नगर', 'छात्र' आदि शब्द जोड़े जा सकते हैं।

यह 'त्रिविध कार्यक्रम' है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उन सभी लोगों को जो जनता की शांतिपूर्ण क्रांतिकारी कार्रवाई में तथा स्वतंत्र, समान और आत्मशासित नागरिकों के नये भारत में विश्वास करते हैं उन्हें यह 'त्रिविध कार्यक्रम' तुरन्त उठा लेना चाहिए।

हो सकता है कि कुछ लोगों को यह कार्यक्रम फीका लगे। लेकिन मुझे आशा है कि अगर वे गहराई से सोचेंगे तो उनके विचार बदल जाएंगे। बिहार आंदोलन ने भी अपना लक्ष्य सरकार से टक्कर लेना नहीं माना था। टक्कर तो आंदोलन से यों ही निकल आई, और जब निकल आई तो टक्कर ली गई। जो कार्यक्रम मैं सुझा रहा हूं उसपर अगर गंभीरता के साथ अमल किया गया और वह फैला और शक्तिशाली हुआ, तो टक्कर अनिवार्य हो जाएगी। लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, ज़िम्मेदारी होगी समाज की उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों पर जो सरकार के नेतृत्व में जनता की क्रांति को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा बिहार आंदोलन में हुआ, ऐसा ही अब भी होगा।

लेकिन, इतना ही नहीं करना है। जनता के आंदोलन का लक्ष्य था और आज भी है, सम्पूर्ण क्रांति, अर्थात् व्यक्ति और समाज के हर क्षेत्र में क्रांति, ताकि जीवन आज से अधिक अच्छा हो, पूर्ण हो और उसमें ज्यादा सुख और समाधान हो। इसका यह अर्थ है कि काम के लिए विशाल क्षेत्र पड़ा हुआ है। भारत में जाति-प्रथा का मिटना कई दृष्टियों से वर्ग-प्रथा के मिटने से ज्यादा जरूरी है। शिक्षा में क्रांति एक दूसरा क्षेत्र है जिसमें काम ही काम है। कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं, किन्तु सबको गिनाना ज़रूरी नहीं है। समझ-बूझ रखने वाले, कल्पनाशील, सक्रिय साथी अपना कार्यक्षेत्र स्वयं चुन सकते हैं।

इस तरह का काम होगा तो सामाजिक (जाति के भी) और आर्थिक निहित स्वार्थों से संघर्ष की नौबत आ सकती है। और, यह संभव है कि संघर्ष के कुछ क्षेत्रों में राज्यसत्ता का सहयोग भी मिले।

आतंक

जर्मन और इटली तानाशाही के समान सारे आतंकपूर्ण कार्य समाजवाद और प्रजातंत्र के नाम पर हुए। स्वभावतः सब कुछ जनहित के लिए किया गया। उसमें भी विशेषकर गरीब और पिछड़े लोगों के हित और कल्याण को सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया। महंगाई कम हो, जिन्दगी को रोजमर्रा खपत की चीजों के दाम कम हों, इसीके भीतर से वह बुनियादी तत्त्व पकड़ा गया जो एक ही सचाई के दो सिरे हैं। पहला पैदा करने वाला, दूसरा उपभोक्ता। इन दोनों सिरों के बीच है माल बेचने वाला—बनिया, व्यापारी, महाजन, सेठ-साहूकार।

इसलिए आपात् स्थिति का आतंक कहां से यथाशीघ्र, पूर्ण प्रभाव के साथ पैदा हो, इसके लिए पहले बनिया—महाजन पकड़ा गया।

स्थान : दिल्ली,
जगह : शाहदरा,
दिनांक : ३ जुलाई, १९७५, समय : दोपहर।

एक आदमी—ओ सेठजी, अबे बाड़ियां सुनता क्यों ड़ई ?

—जी सरकार !

—दस किलो फर्स्ट क्लास चावल, एक कुंटल बड़ियां गेहूं, अबे आर्डर लिखता है या नहीं !

—जी।

—मेरा मुंह का देखै।

—साहब मैं गरीब आदमी, मर जाऊंगा, मेरी पूंजी ही कितनी है !

—अच्छा तेरी यह मजाल। चीजों के दाम की लिस्ट कहां है ?

—यह लो सरकार !

—बेईमान कहीं का। हर चीज के साथ दाम बंधा, लगा होना चाहिए।

—लगा है सरकार !

—हींग और फिटकरी पर दाम नहीं लिखा। चल 'मीसा' में !

—क्यों ?

—तू आर० एस० एस० का आदमी है।

—यह क्या चीज है ?

—बता इसे···।

दूकान लूटी जाती है। दूकानदार की पिटाई होती है और भरे बाजार गिरफ्तार करके उसे ले जाया जाता है।

बात फैलती है। बातें होने लगती हैं। आतंक फैलने का इतना उम्दा केन्द्र और क्या हो सकता है। बनिया, महाजन से किसका सम्बन्ध नहीं होता ? सब इसी रास्ते से तो गुजरते हैं। पैदा करने वाला किसान, उपभोक्ता, अफसर और आसपास का सारा समाज, समाज की सारी संस्थाएं यहां जुड़ती हैं।

कीमतों के बहाने छोटे दूकानदारों से लेकर आय-कर के बहाने बड़े महाजनों और सेठ-साहूकारों पर छापे, जमानत, गिरफ्तारियों ने पूरे भारतीय समाज में डर पैदा किया। व्यक्ति कुछ नहीं है, धन की कोई ताकत नहीं है, किसीकी कोई इज्जत-आबरू नहीं है। सर्वशक्तिमान केवल राजतंत्र है, अफसर और पुलिस है, समाज को ऐसा अनुभव देकर केवल यह साबित किया जाने लगा कि व्यक्ति कुछ भी नहीं है। असली दूरगामी लक्ष्य यह था कि व्यक्ति की आत्मचेतना को इतना कुचल दिया जाए कि वह अंततः प्रजातंत्र के लिए बड़ा ही न हो सके।

इसके लिए न्यायालयों की शक्ति को इस तरह समाप्त करना कि आदमी कहीं न्याय पाने के लिए जा ही न सके, हारकर भय और आतंक के सामने आत्मसमर्पण करे—यह एक रास्ता चुना गया।

कैसा न्याय ?

राजनीतिक, अराजनीतिक, सर्वथा निर्दोष लोगों को, घरों, दफ्तरों, शिक्षा-संस्थाओं, कार्यालयों, उद्योगों, राह चलते, चुप बैठे लोगों को बिना कोई कारण बताए जेलों में डाल दिया जाता। जो उनकी जमानत के लिए दौड़-धूप करता, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। जो वकील ऐसे लोगों की पैरवी करता, उसे कठोर दंड का भय दिलाया जाता। दिल्ली में तीसहजारी कोर्ट के बाहर वकीलों की जगह इसलिए अचानक तोड़ी गई

कि लोग आतंकित हो जाएं। वकीलों का दल जब न्याय मांगने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो उनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया।

परतंत्र भारत में फील्ड मार्शल बावेल का एक नोट ६ जून, १९४४ को वाइसराय हाउस, नई दिल्ली से श्रम मंत्री मिस्टर एमरी के नाम था—'कुछ ही दिनों पहले की बात है—आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की पत्नी श्रीमती कृपलानी, जो अब जेल में हैं, पटना में एक आई० सी० एस० अफसर मजूमदार के घर पर गिरफ्तार हुईं। काफी दिनों से उनकी तलाश थी, वह कांग्रेस अंडरग्राउंड आंदोलन के नेताओं में से एक हैं। रुदरफोर्ड (गवर्नर, बिहार) ने मुझे लिखा है कि उसे मजूमदार की राजभक्ति के बारे में सदा संदेह रहा है—ऐसे दो-एक और भी आई०सी० एस० अफसर हैं बिहार में। सवाल यह है कि श्रीमती कृपलानी के बारे में कोई ऐसा घोषित अभियोग नहीं था, जिसके कारण अब मजूमदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। रुदरफोर्ड ने सोचा है कि मजूमदार से बिहार चीफ सेक्रेटरी द्वारा यह कैफियत ली जाय कि क्या वह अपने किन्हीं राजनीतिक विचारों के कारण नौकरों में रहने लायक है या उसे अवकाश ग्रहण करने के लिए कहा जाय, पेंशन लेने के बहुत करीब भी पहुंच चुका है। मैंने एस्फोर्ड को यह सलाह दी है कि जब तक किसी अफसर के राजनीतिक विचार सरकारी काम में बाधक नहीं होते, तब तक सरकार से उसका कोई मतलब नहीं।...यह गैरमुमकिन है कि अपने निजी विचारों के लिए किसी अफसर को सज़ा दी जाए।

(द ट्रांसफर आफ पावर—१९४२-७, खंड ४ पेज नं० १००८)

अपना उदाहरण

पहला : अमरपुर थाना (भागलपुर) अंतर्गत कौशलपुर ग्राम में हमारे एक साथी के घर पर २४ फरवरी को रात्रि तीन बजे अमरपुर थाना के बदहवास पुलिस अधिकारी करीब चार दर्जन सी० आर० पी० के साथ दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए। घर के सारे दरवाज़े एवं खिड़कियां तोड़ डाले एवं पड़ोसी घर वालों को पीटा, बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया। ज्ञातव्य है कि उस घर में महीनों से कोई नहीं रह रहे हैं। तानाशाही

व्यवस्था में और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? देखना है कि इन्दिरा की अनैतिक हिंसा जीतती है या हम आंदोलनकारियों की नैतिक सत्याग्रही अहिंसा।

स्वच्छ दिल्ली के नाम पर इन्दिरा गांधी की सरकार ने जामा मस्जिद के नज़दीक की दसियों साल पुरानी छोटी-छोटी दूकानों को उखाड़ फेंका। कुछ दुःखी दूकानदार इन्दरमोहन नामक एक ५२ वर्षीय व्यक्ति के पास गए। इन्दिरा गांधी की लल्लो-चप्पो में लगी सी० पी० आई० के मज़दूर नेताओं से इन्दरमोहन के अच्छे संबंध थे। वे उनके पास गए। तय हुआ कि संजय गांधी—तानाशाही के घोषित युवराज—इस काम में सहायक हो सकते हैं। इन्दरमोहन संजय के पास गए। उनसे बेगुनाह दूकानदारों के लिए मदद मांगी, पर उन्हें धक्के मिले।

और उसी शाम जब इन्दरमोहन खाना खाने बैठे ही थे कि ग्यारह गुण्डे उनके घर में घुस गए। उन्हें पीटा और उनके सर और जननेन्द्रियों को घातक चोट पहुंचाई तथा उनके बाल नोंच डाले। घबराए हुए नौकरों ने शोर मचाया। पर जब तक वह सहायता लेकर आता, गुण्डे इन्दरमोहन को घसीटकर घर से ले जा चुके थे। उनके हाथ बांध दिए गए और घसीटकर सात मील दूर दरियागंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब उन्होंने गिरफ्तारी का कारण पूछा तो जवाब मिला कि—'ऊपर का हुक्म है।' दूसरे दिन इन्दरमोहन को जामा मस्जिद के नज़दीक वाले पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उन्हें फिर से पीटा गया और पखाने में बंद कर दिया गया। तीन दिन के बाद जब एक वकील मित्र को इन्दरमोहन का पता चला, तब कहीं जाकर मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके इन्दर मोहन को रिहा कराया जा सका।

('क्रांतिनाद' दक्षिण बिहार छात्र युवा संघर्ष वाहिनी (भूमिगत) द्वारा मई, १९७६)

दूसरा : यों तो सारा देश आज तानाशाही के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। लेकिन पटना आकर में महसूस कर रहा हूं कि सारा बिहार जेल बन गया है। बिहार में पुलिस द्वारा धर-पकड़ तो पहले से ही जारी थी, पर मेरे आने के बाद उसमें और तेज़ी आ गई है। मुझे बताया गया है कि

पिछले दो वर्षों के दौरान जिस किसी व्यक्ति ने कभी आंदोलन में भाग लिया था, उसको पकड़कर बंद कर देने का निश्चय सरकार ने किया है। शायद उसे भय है कि मेरी उपस्थिति से फिर कहीं उनकी भावनाओं का तार बज न उठे। जनता से मुझको और मुझसे जनता को अलग रखने की कोशिश गत जुलाई से ही चल रही है। जिस दिन मैं यहां आया, तब से ही मेरे निवास पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, उन्हें पुलिस के लोग रोक कर पूछते हैं और उनका नाम-पता नोट करते हैं। इसलिए लोग यहां आने से भी डरते हैं। अधिकांश लोग तो मुझे सिर्फ देखने के लिए या स्वास्थ्य पूछने के लिए आते हैं। लेकिन पुलिस के भय से वे आ नहीं पाते, मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि वे समझते हैं कि पुलिस उन्हें बाद में परेशान करेगी। बंबई में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। पता नहीं, यहां का शासन क्यों इतना बुज़दिल है, क्यों इतना भयभीत है! मैं बीमार हूं और अपने घर आया हूं। मैं चाहता हूं कि सामान्य स्थिति शीघ्र लौटे। परन्तु शासन की नीतियों के कारण स्थिति सामान्य नहीं हो पाती।

—जयप्रकाश नारायण

(बिहारवासियों के नाम चिट्ठियों से)

—व्य व्यधान!

—क्या?

—आप क्या कह रहे हैं?

(जेल से छूटकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में चौधरी चरणसिंह कह रहे हैं।)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो विवाद है, वह राज्यपाल के अभिभाषण से परे है। मैं चाहूंगा कि वे अपने विचारों को सीमित रखें।···राजनीतिक विवाद को लेकर विवाद किया जाएगा तो स्थिति मेरे लिए कठिन हो जाएगी।

चरणसिंह : मैंने समझा नहीं कि मेरी क्या गलती है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न और उत्तर जो हो रहे हैं, उनसे मुझे दिक्कत होगी।

राज्यपाल के अभिभाषण तक ही सीमित रहें। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएं और विचार राज्यपाल के अभिभाषण पर करने हैं, उनसे दूर चले जाएं तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा।

श्री अब्दुल राऊफ लारी : जो विवाद उत्पन्न करें, उन्हीं को तो मना करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाएं।

श्री रामनारायण पाठक : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

आप हमारी बात को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा कर बैठ जाएं।

श्री चरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा था कि इमरजेंसी क्यों लागू की गई। प्राइम मिनिस्टर ने अनेक बार यह कहा कि अपोजीशन लीडर्स का दूसरे देशों से संबंध है, जिसका मतलब है कि हम देश के दुश्मन हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इन्दिराजी अनेक बार यह कह चुकी हैं, हज़ारों बार कह चुकी हैं कि अपोजीशन लीडर्स का दूसरे देशों से संबंध है। यह चार्ज है। इससे कड़ा चार्ज कोई नहीं हो सकता है एक पोलिटिकल (राजनीतिक) आदमी के लिए।

श्री रामनारायण पाठक : मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका जवाब दे दिया जाए।

श्री चरणसिंह : आपका तात्पर्य है कि मैं गलत कह रहा हूं। आप जिस ढंग से कह रहे हैं, राजनीतिक विवाद में फंस जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाएं, बीच में न बोलें।

श्री चरणसिंह : मैंने पूछा कि पत्र पहले क्यों नहीं पेश किया? पत्र फर्नांडीज साहब का है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, सज़ा हो जाए तो हम निन्दा करेंगे।···

चौ० चरणसिंह : यह कानून है, जिसके पास कोई जवाब नहीं होता वे ही यह कहते हैं कि हम सब लोग दुश्मन से मिले हुए हैं। आप हम सब पर न्यायालय में मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं?···औद्योगिक उत्पादन के बारे में कहा जाता है कि इमरजेंसी से पहले के ज़माने में वह बहुत कम हो गया था,

अब बढ़ गया है। बहुत खूब, आपकी नाकाबिलियत से जो गड़बड़ियां पैदा हुई हैं, उसके लिए भी क्या हमारी जिम्मेदारी है ? ए० आई० टी० यू० सी० शायद श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है जो आपके दोस्त सी० पी० आई० के हाथ में है। अगर हड़ताल हुई होगी तो आपके दोस्तों ने कराई होगी। एक दूसरा संगठन है—आई० एन० टी० यू० सी०।

श्री भीखालाल : इन आठ-नौ महीनों में देश में प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ गया है।

चौ० चरणसिंह : आप जब चाहते हैं तो बढ़ जाता है और जब चाहते हैं तो घट जाता है। श्रमिकों के जो सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण संगठन हैं, वे आपके हाथ में हैं, विरोधी दलों के हाथ में नहीं हैं। नाकाबिलियत आपकी अपनी, जिम्मेदारी विपक्ष की।

आपके २० प्वाइंट्स प्रोग्राम हैं। उनमें कहा गया है कि विद्यालयों एवं छात्रावासों में विपक्ष वाले अनुशासनहीनता फैलाते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग फैलाते हों, लेकिन कांग्रेस वाले भी कम नहीं हैं। हमने १९७० में निश्चय किया था कि कम्पलसरी स्टूडेंट्स यूनियन (अनिवार्य छात्र संघ) होना उचित नहीं। नतीजा यह हुआ कि हालांकि कांग्रेस वालों ने और विपक्ष वालों ने भी लड़कों को भड़काया, लेकिन न कोई गोली चली, न कहीं हिंसा हुई। मुमकिन है दस-बीस लड़के गिरफ्तार हुए हों। उस वर्ष सबसे अधिक पढ़ाई हुई। जिस तरह की पढ़ाई हुई और विद्यालयों में शांति रही, उसके बारे में मेरे पास उनके पत्र आए, जिनमें कहा गया था कि इतनी पढ़ाई विगत २० सालों में कभी नहीं हुई। आपके लीडर त्रिपाठीजी आए ५ तारीख को पावर (शासन) में और आते ही उन्होंने उस आर्डिनेंस (अध्यादेश) को वापस ले लिया और फिर अनिवार्य यूनियन्स बनीं। नतीजा क्या हुआ ? यूनिवर्सिटी जली। आज तक कहीं उतना बड़ा कांड नहीं हुआ लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था, (श्री त्रिपाठी) उनकी तरक्की हो गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर यहां पर लड़कों के झगड़े हुए हैं तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार ? जब गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हुई कि यूनियन्स न हों तो आपकी ओर से कोशिश हुई कि हों। जब मैं (दिल्ली) में था तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी थे

(एस० एच० ओ०)। उन्होंने मुझे बताया कि जब कभी बस जलाने में या यूनिवर्सिटी कैम्पस में बदमाशी करने की वजह से लड़कों को गिरफ्तार किया गया तो हमेशा कांग्रेस के लीडरों की ओर से कहा गया कि उनके ऊपर केस न चलाओ। शिकायत दर्ज कर ली। कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अनुशासनहीनता का दोष दिया जाता है हमको।

एक तर्क हमारे विरुद्ध यह भी दिया गया है कि हम तो प्रधान मंत्री के पद की बदनामी करते थे। कहा गया है कि हम उनकी शान नहीं बढ़ने दे रहे थे। हम तो चाहते हैं कि उनकी शान बढ़े, लेकिन डैमोक्रेसी में हमेशा यह होता है कि अपने काम से ही अपनी शान बढ़ती है। क्या हमने विलसन साहब की शान बढ़ा दी है ? उन्होंने अपने-आप यह कहा—'मैं आठ साल तक प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) रह चुका हूं। अब और अधिक समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहता।' लेकिन हमारी बहनजी ने टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि अभी तो मेरा काम बहुत बाकी है (क्योंकि गवर्नमेंट का काम बाकी है), देश है, सरकार है, हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। लिहाजा हमेशा ही देश को इन्दिराजी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि इससे उनकी शान बढ़ेगी या घटेगी ? मैं कहता हूं कि किसीके कहने से मेरी शान नहीं घटेगी, मेरे कुकर्मों से ही घटेगी। आप मुल्क को किधर ले जा रहे हैं ? आप चाहते हैं कि देश में एक दलीय शासन हो और सिवाय कांग्रेस के कोई दूसरी पार्टी न रहे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सदन में शांति रखें।

चौ० चरणसिंह : अपने दौरे में एक ज़िले में ही नहीं, मैंने अनेक स्थानों पर लिखा हुआ देखा है··· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन-सा तरीका है, इस तरह से आपस में बातचीत करने का ? यह नहीं होना चाहिए।

चौ० चरणसिंह : इन्दिराजी के बीस सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में तथा उनकी हुकूमत के दस साल पूरे होने पर एक उत्सव मनाया गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा हुआ है ? डि वेलरा सोलह वर्ष तक आयरलैंड के प्रधान मंत्री रहे, ग्लैडस्टन भी दस साल तक लीडर रहे, लेकिन कहीं भी इस तरह का कोई उत्सव नहीं हुआ।

नौजवान धर्मवीरजी का काम है, वे नाराज़ न हों, वे इस बात को सोचें। अगर प्राइम मिनिस्टर की अपनी निजी ओर से या पार्टी की तरफ से वह दिन मनाया जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन आपने सार्वजनिक उद्योगों को और प्राइम मिनिस्टर को एक बना दिया। क्यों? आखिर आप किधर जा रहे हैं?

एक आवाज : उसमें हर्ज ही क्या है?

चौ० चरणसिंह : हर्ज है। यह कोई डैमोक्रेसी नहीं है। राजा की वर्षी मनाई जाती है, रानियों की वर्षी मनाई जाती है कि उन्होंने दस साल तक राज्य किया। किसी भी डैमोक्रेटिक कन्ट्री में आज तक यह सुनने को नहीं मिला है कि इस तरह से कोई दिन मनाया गया हो। इस बारे में आप माननीय नारायणदत्तजी से ही पूछ लें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने स्टेट और पार्टी को एक बना दिया इन्दिराजी के साथ। इसको आप सोचें। जेल में मुझे पढ़ने को मिला कि 'मिल्क प्राइसेज कट आन आकेजन आफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज बर्थडे' (प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर दूध के मूल्य में कमी)। इसका मतलब यह हुआ कि किसी राजा को लड़का पैदा हो गया तो इसलिए छुट्टी रहेगी। मैं पूछता हूं कि क्या इसमें हर्ज नहीं है, और फिर आप मुझसे बहस करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मवीरजी, आप तो एक ज़िम्मेदार सदस्य हैं। सदन की मर्यादा कायम रखें और बैठने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग बैठने की कृपा करें। आप बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा?

चौ० चरणसिंह : मैं मिल्क प्राइस के बारे में कह रहा था।

प्रधान मंत्री के जन्म दिन पर दूध के मूल्यों में कमी :

बंगलौर, १८ नवम्बर : कल श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन की प्रतिष्ठा में सरकारी बंगलौर डेरी ने आज दूध के मूल्यों में और कमी करके रु० १.६० से रु० १.८० प्रति लीटर कर दिया है।

यह 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपा है। सुन लीजिए। इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, लेकिन दिया जा रहा है। किया यह जा रहा है कि एक ही आदमी है जो हिन्दुस्तान का मालिक है। यह

लोकतंत्र नहीं है। इसी सिलसिले में मेजर हबीबुल्ला खां (उनकी धर्मपत्नी यहां मेम्बर भी थीं) का एक पत्र मैं पढ़ना चाहता हूं। सुन लीजिए।

श्री ऊदल : अब लगता है कि वह समय नहीं आने वाला है।

चौ० चरणसिंह : यही मुझको भी लगता है। लेकिन आखिरी बात कहे देता हूं।

श्री ऊदल : आप कहिए।

श्री चरणसिंह : मैं यह बता दूं जो इसका मज़मून है।

एक माननीय सदस्य : ऐसे ही बता दीजिए, मान लेंगे।

चौ० चरणसिंह : मान लेंगे तो बड़ी भलमनसाहत है आपकी।

मैं कह रहा था कि लेटर लिखा है उन्होंने मेजर रणजीतसिंह को जो कि बस्ती के हैं। ये हमारी पार्टी के मेम्बर हैं। उन्होंने यह मूल पत्र मुझको दिया है। मैंने उसे साइक्लोस्टाइल्ड कराया था। दो कापी मैं लाया था, पर कहीं रह गई हैं। उसमें जो लिखा था, वह यह है···एक सेल बनाई गई है, नाम है···एक्स सर्विसेज यू० पी० कांग्रेस कमेटी सेल। मैं इसका कन्वीनर (संयोजक) मुकर्रर हुआ हूं, प्रदेश-भर के लिए। मैं चाहता हूं कि आप गोरखपुर डिवीज़न के संयोजक हो जाएं और इस सिलसिले में मुझसे बात कर लें। इसमें जो प्वाइन्टस लिए हुए हैं—जी० ओ० सी० इन०सी० सेन्ट्रल कमाण्ड और फिर है ए० ओ० सी० इन० सी० सेण्ट्रल एयर कमांड जो सर्विस आफीसर हैं। आप अपने इलेक्शन के ख्याल से उनका (अवकाश प्राप्त सैनिकों का) एक संगठन बना रहे हैं।

—समाचार।

—क्या?

—समाचार।

दो दिन तक अगर कोई अखबार श्रीमती इन्दिरा गांधी का फोटो नहीं निकालेगा तो उसका इलैक्ट्रिक और कनैक्शन कट ही जाएगा। 'ईस्टर्न इकोमानिस्ट' मशहूर अखबार है। उसने एक तस्वीर महात्मा गांधीजी की निकाली। वह महात्माजी के नोआखाली की यात्रा की तस्वीर है। वह सेंसर हो गई। सेंसर बोर्ड ने उसको निकाल दिया इसलिए कि इट इज़ लाइकली टू बी मिसइण्टरप्रेटेड (इसका अनुचित अर्थ लगाया जा सकता

है) अर्थात् अब गांधीजी का अपने देश में कोई स्थान नहीं रह गया है। अपनी लकुटिया लेकर अब वे विदेश जा रहे हैं। परन्तु सम्पादक ने इसका विरोध किया और सुनते हैं कि इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से देश का मस्तिष्क बनाया जा रहा है। अभी 'पायनियर' में एक खबर निकली है। वह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं केवल देश के हित में कह रहा हूं। इन्दिराजी की माताजी पर केस चला १९३१ में और जजमेंट अब निकालकर प्रदर्शित किया जा रहा है···स्टेट एक्जीविशन (सरकारी प्रदर्शनी) में। वही परिवार जो अब तक हुकूमत करता आया है, वही आगे भी करेगा। देश के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया। सन् १९३१ की बात है। कितने लोग जेल गए होंगे। गरीब औरतें, गरीब आदमी और कितने ही देशभक्त, लेकिन नहीं; जो प्रदर्शित किया जाएगा, वह केवल एक लेडी का···प्रधान मंत्री की माताजी का। मैं जानना चाहता हूं कि और लोगों के नाम व काम का प्रदर्शन सरकारी प्रदर्शनी में क्यों नहीं किया गया? ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिन्होंने कमला नेहरू से भी अधिक त्याग किया हो। इस प्रदर्शनी में इन्दिराजी की माताजी के खिलाफ जो जजमेंट शायद १९३१ में हुआ था, वह भी रखा गया है। वह जजमेंट ११ मार्च, १९७६ के 'पायनियर' में सारा ही दे दिया गया है। परन्तु इसके आखिरी वाक्य ही रेलेवेन्ट (प्रासंगिक) हैं:

आप देखेंगे, नेहरूजी के सन्देश के पहले पं० मोतीलाल नेहरू का भी मेसेज है ठीक उसके नीचे। ये सब एक्जीविशन (प्रदर्शनी) में रखे गए हैं। अखबार के शब्द इस प्रकार हैं:

(ठीक उसके नीचे और कमला नेहरू के चित्र से लगा हुआ एक और चित्र है जिसमें पं० मोतीलाल नेहरू की, अपनी अल्पायु पौत्री इन्दिरा की देखभाल करने के लिए जो प्रबंध उन्होंने किए थे, उनकी प्रगति के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई है)। दादा को इतनी फिक्र थी और आप लोगों को भी फिक्र करनी चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री का तप व तपस्या कितनी भारी है।

बीस सूत्री प्रोग्राम की उपलब्धि है साहब। दुनिया में किसी भी योग्य गवर्नमेंट के मातहत जो कार्य होने चाहिए, उन्हें आप इमरजेंसी आपात्

स्थिति की उपलब्धियां कहते हैं। इस प्रोग्राम में सिंचाई बढ़ाने का सूत्र भी है जिसे हम भी करने को कहते थे और अन्य लोग भी कहते थे।

एक बात और आप कहते हैं कि 'मीसा' में तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। तो यह इन्दिराजी ने कौन-सी नई बात कर दी, जिसका आप ढोल पीट रहे हैं? यह कानून पहले से बना हुआ था। सन् १९७१ में कौल कमीशन ने तस्करों के बारे में रिपोर्ट दी थी कि बहुत ज़ोरों से यह अपराध बढ़ रहा है तो उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई? लेकिन उस वक्त इलेक्शन होने वाले थे, तस्करों से रुपया लेना था, इसलिए कुछ नहीं किया गया और जब देखा कि जनता की नाराज़गी बढ़ रही है तो आपने यह कानून बनाया। बीस प्वाइंट प्रोग्राम क्या हो गया है जैसे कोई नई गीता लिख दी गई हो? तो क्या इन सब बातों के लिए इमरजेंसी की ज़रूरत थी? अखबारों में निकलता है कि जब से इमरजेंसी लागू हुई, तब से रेलों में बिना टिकट यात्रा कम हो गई है। टिकट लेकर पहले लोग नहीं चलते थे और जब से इमरजेंसी लागू हुई, टिकट लेने लगे हैं। तो साहब, जैसे पहले से कुछ सम्वत् चलते आए हैं, वैसे ही आप भी अब २६ जून से इन्दिरा सम्वत् चलाइए। बिना टिकट यात्रा के संबंध में एक खबर सुनिए:

'२ अगस्त: आपात् स्थिति की घोषणा के बाद से पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीज़न में सात हज़ार से अधिक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा के जुर्म में गिरफ्तार किए गए हैं। पी० टी० आई०।'

रतलाम डिवीज़न में सात हज़ार व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए। तो पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे? क्या कोई कानून नहीं था? इसी तरह से टैक्स कलेक्शन (कर वसूली) के बारे में है। २ अगस्त की खबर है:

"केन्द्र के वित्त राज्य मंत्री श्री प्रणवकुमार मुखर्जी ने आज कहा कि गत ४० दिनों में करों की जितनी वसूली हुई है, वह अभूतपूर्व उल्लास का विषय है।

बंबई टेलीविज़न को एक टेलीविज़न भेंट में उन्होंने कहा कि आपात् स्थिति के दौरान आबकारी की आमदनी और प्रत्यक्ष कर तथा अन्य करों

की वसूली में पर्याप्त उन्नति हुई है। इस आपात् स्थिति ने आलस्य को समाप्त कर दिया है।'

यह है आपका प्रोपैगंडा। इससे किसी अफसर की कुशलता नहीं बढ़ेगी, इससे बिना टिकट यात्रा नहीं रुकेगी। यह तो जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही काम कर्मचारी करेगा। इस इमरजेंसी में आप कुछ लोगों को जेल भेज देंगे। मानो हमने अर्थात् विरोधी पक्ष ने आदेश दिया था कि बिना टिकट वालों को न पकड़ो, हमने कहा था स्मगलिंग चलने दो, हमने यह कहा था कि सिंचित क्षेत्र न बढ़ाना, हमने कहा था कि लड़कों को लूटने दो, चाकू-छुरे चलने दो और उन्हें नकल करने दो। लोगों को गुमराह करने के लिए कि देखो कितना फायदा हुआ है इन कांग्रेस के विरोधियों को बंद करने से, इसलिए इनको जेल में रहने दो, जेल में रहना इनका ठीक है – यह सब प्रचार हो रहा है।

एक शिशु मंदिर की बात है। शिशु मंदिर एक छोटी-सी संस्था है जो जनसंघ के लोगों के हाथ में थी, आर० एस० एस० से उसका कोई मतलब नहीं था, उसको आपने ज़ब्त कर लिया। उन लोगों ने हाईकोर्ट में एक दावा दायर कर दिया, यह 'रिट' गवर्नमेंट के खिलाफ थी। चूंकि फैसला होने वाला था इसलिए आर्डिनेंस (अध्यादेश) द्वारा उसे ज़ब्त कर लिया जो कोर्ट का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। अब वह 'मीसा' या किसी में नहीं आए तो आर्डिनेंस लागू करके उनका हरण कर लिया। उसके ४०० अध्यापक हैं, उनकी तनख्वाह अब नहीं मिल रही है। आप सोचें, उन बेचारों का क्या होगा ? पूरे मुल्क में इस 'मीसा' में कितने ही ऐसे हैं जिनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको नोट कर लें। कानून में 'मीसा' के बंदी के लिए प्रावधान है। लोगों के बच्चे भूखों मर रहे हैं, उनके घर पर कोई जीविका कमाने वाला नहीं है, किन्तु ऐसे तमाम लोगों को कानून होते हुए भी कोई एलाउंस नहीं दिया जा रहा है। जुर्म बताते नहीं हैं, हाईकोर्ट का अधिकार ले लिया तानाशाह की तरह से, और लोगों को जेलों में डाल दिया। किन्तु उनके लिए जो प्रावीजन (प्रावधान) है एलाउन्स का, वह भी नहीं दिया तो उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। आप विचार कर लीजिए, इसपर भी

'रिट' होने वाली है, जेल में उसीको रखा जा सकता है जो कारागार कानून के अन्दर आता है, अर्थात् बंदी रखा जाता है जिस पर कोई आरोप हो या जिसको अदालत से सज़ा हो गई हो; उसको ही आप जेल में रख सकते हैं। आप उनको अंदर रखो या बाहर, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उनके बच्चों का प्रबन्ध करना आपका फर्ज है, उसपर आप पूरा ध्यान दें।

दूसरे छोर पर

आतंक के दूसरे छोर पर।

नसबंदी !

बुलडोजर !

दोनों का इस्तेमाल। कार्यक्रम इन्दिरा गांधी का बीस सूत्री, कार्यक्रम संजय गांधी का पांच सूत्री।

सत्य समाचार : नई दिल्ली का एक भाग—जंगपुरा। धूमधाम से शादी की तैयारी थी। दुल्हन के घर के सामने जैसे ही बारात आई, युवा कांग्रेस ने हवा में एक पोस्टर लहराया। लिखा था—'पहले नसबंदी, फिर सेहराबंदी।—**संजय गांधी**

सत्य समाचार : परिवार-नियोजन का एक दल पुलिस दस्ते के साथ हरियाणा में पिपली के पास नाहर गांव में पहुंचा। यह २५ नवम्बर, १९७६ की घटना है। दल ने एक अठारह साल के अविवाहित युवक को नसबंदी के लिए पकड़ा। युवक की बहन चिल्लाने लगी—मेरा भाई अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई। पर कोई प्रभाव नहीं। बहन ने एक कुल्हाड़ी से पुलिस इंस्पेक्टर पर आक्रमण किया। पुलिस की गोली से बहन और भाई दोनों की मृत्यु। गांव के लोगों ने घेर लिया। पुलिस की गोली से तीन मरे। पुलिस स्टेशन को आसपास के गांव वालों ने घेर लिया और पुलिस थाने में आग लगा दी। थानेदार सहित दो सिपाही ज़िंदा ही जल गए।

भाई-बहन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए आसपास के गांवों की करीब एक लाख जनता इकट्ठी हो गई। जनता दिल्ली की ओर मार्च करने लगी। सी० आर० पी० और पुलिस की ताकत उन्हें बढ़ने से रोकने में असफल हुई।

रक्षामंत्री, बंसीलाल ने इच्छा व्यक्त की कि सेना के लोग उन्हें बढ़ने से रोकें। सेना अधिकारी ने मना कर दिया।

सत्य समाचार : उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी सशस्त्र पुलिस दस्ते के साथ जीप और गाड़ियों में दिन डूबने के बाद चारों तरफ नसबंदी के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। जो भी रास्ते में मिलता है, उसे पकड़कर नसबंदी शिविर में पहुंचा दिया जाता है।

डर के मारे कुछ पुरुष लोग स्त्री का भेष बदल लेते हैं। अधिकतर लोग दिन डूबते-डूबते घर आ जाते हैं।

गश्त लगाती इन जीपों और गाड़ियों को दूर से ही देखकर लोग भागते हैं और खेतों में जंगलों में छिप जाते हैं।

सत्य समाचार : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर, बस्ती, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई ज़िलों में नसबंदी के अत्याचार के कारण जनता और पुलिस में भयंकर संघर्ष।

सत्य समाचार : नसबंदी के लिए 'मीसा' का दुरुपयोग।

सत्य समाचार : हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में लोग गांव के गांव एक जगह से दूसरी जगह छिपते-घूमते रहते थे। परिवार-नियोजन के दस्ते पुलिस के साथ पहाड़ी अंचल में इस तरह घूमते रहते—जैसे शिकारियों और दस्युओं का दस्ता शिकार के पीछे-पीछे घूम रहा हो।

कुछ भारतीय विद्वानों का कहना है कि विश्व बैंक के दबाव से नसबंदी का इतना भयंकर काम संजय गांधी ने किया। अमरीका का विचार है कि अगर भारत की आबादी इसी तरह बढ़ती गई तो यहां के लोग भूखों मरने लगेंगे। फिर भारत मजबूर होकर कम्युनिस्ट हो जाएगा।

पर लोगों का अनुभव है कि वह नसबंदी अभियान यहां के लोगों को भयभीत और आतंकित करने के लिए किया गया। जिसकी नसबंदी हो जाती है, वह वीर पुरुष नहीं रह जाता। संजय गांधी भारत को वीरविहीन

बनाकर इसपर मज़े से राज करना चाहता है। खुद तो राजा बनेगा ही अपनी मां के बाद, संजय का वंश ही आगे इस मुल्क पर राज करेगा—जैसे मुगलों ने किया, जैसे अंग्रेज़ों ने किया।

अक्तूबर '७५ से लेकर समूचा १९७६ इतना लंबा समय, सारा देश केवल यही नारे सुनता रहा और सर्वत्र देखता रहा :

अगला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं।
हम दो, हमारे दो।
नसबंदी कराओ, सुखी हो जाओ।
नसबंदी के कितने फायदे।
परिवार-नियोजन कराओ, देश को बचाओ।
निरोध का इस्तेमाल, कर दिया कमाल।
दूर दृष्टि, पक्का इरादा।
आपात् स्थिति अनुशासन पर्व है।
प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का हम समर्थन करते हैं।
हम सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

दिल्ली के सारे मुहल्लों में, चौराहों, गली-कूचों में नसबंदी शिविर खुले थे। वहां दिन-रात फिल्मी गीत बजते थे और लोगों को बेतरह उपदेश, लेक्चर सुनने पड़ते थे। लाउडस्पीकर के इस भौंड़े शोर के बीच सड़क पर चलना मुश्किल हो गया, किन-किन प्रलोभनों, दबावों और अत्याचारों से गरीब विवश लोग खुलेआम पकड़कर ले आए जाते थे नसबंदी के लिए। रेलगाड़ियों में बेटिकट पकड़े गए लोग, सड़क के किनारे बैठे मोची, पान, सिगरेट, मूंगफली, फल, आदि बेचने वाले लोग, रोज़ी-रोटी के लिए घूमते हुए मज़दूर, माली, वाले, बाबू, कारीगर और यहां तक कि भिखमंगों को पकड़कर जबरन सबकी नसबंदी हुई।

इस काल में जैसे पूरा देश एक नसबंदी शिविर बन गया था। नसबंदी के राजकुमार खलीफा का हुक्म जाता प्रांत के मुख्य मंत्रियों के पास। लक्ष्य तय होता कि इतने दिनों में इतनी नसबंदी। इसीके आधार पर यह साबित किया जाता कि कौन मुख्य मंत्री कितना नज़दीक है संजय गांधी के।

मुख्य मंत्रियों की आज्ञाएं प्रांत के सारे ज़िलों में होतीं। हर ज़िलाधिकारी को अपने ज़िले के नसबंदी कोटा को समय से पहले पूरा करके देना होता। विवश ज़िलाधिकारी को अपनी नौकरी की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति और शासन-तंत्र को इस्तेमाल करना होता। सारे विभागों के लिए नसबंदी कोटे बांट दिए जाते। फल यह होता कि तंत्र का सबसे निचला व्यक्ति जैसे स्कूल का मास्टर, अस्पताल का कंपाउंडर, ग्राम विकास क्षेत्र का वी० एल०डब्ल्यू०, नर्स और दाई, गांव का पटवारी, थाने का सिपाही, डाकखाने का डाकिया आदि की तनख्वाह तभी मिलती जब ये अपने मालिकों को नसबंदी के 'केस' देते।

पूरा देश इस तरह नसबंदी शिविर में कांपने लगा। अफसर अधिकारी नसबंदी के शिकार के लिए सशस्त्र दौरे करते। शहर से गांव के लोग भागकर अपने गांव जाते। गांव से भागकर लोग जंगल और खेतों में छिपते।

बुलडोजर

शहर में आतंक का प्रतीक था 'बुलडोजर' और 'रेड' (छापा मारना)। बुलडोजर प्रतीक का इस्तेमाल अनेक अर्थों में हुआ जैसे मकान गिराना, शहर को सुंदर करना, सड़क चौड़ी करना, पूरा का पूरा मौहल्ला चंद मिनटों में बर्बाद कर देना। विचारों, विश्वासों और संकल्पों पर 'बुलडोजर' चलाना।

आपात्कालीन शक्ति का प्रतीक बुलडोजर। प्रभुसत्ता और विध्वंस का औज़ार था बुलडोजर। जैसे 'मीसा' आपात्कालीन आतंक का प्रतीक था, जैसे सी० बी० आई० का प्रतीक था, ठीक उसी तरह राजसत्ता, शासन-सत्ता, और व्यक्ति की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था 'बुलडोजर'। गुस्सा आया कि 'बुलडोजर', कुछ दिखाना हुआ तो 'बुलडोजर'।

'बुलडोजर' का क्षेत्र व्यापक था, गंदी बस्तियों को दूर हटाना, झुग्गी-झोपड़ियों को शहर से बाहर करना, पुरानी घनी बस्तियों को ठीक करना, गाय, भैंस पालन (डेरी) को बस्ती से बाहर करना, लोगों की ज़मीन को सरकारी ज़मीन करना और हर जन-प्रतिरोध के सामने यही 'बुलडोजर' खड़ा कर देना। जैसे हिटलर की शक्ति का प्रतीक था टैंक, उसी तरह

आपात् स्थिति की ताकत 'बुलडोजर' के रूप में जानी जाती है।

दिल्ली का तुर्कमान गेट

आपात्कालिक शक्ति और विनाश का ऐतिहासिक दृश्य है तुर्कमान गेट। यह जगह पहले डी०ए०जी० (दिल्ली अजमेरी गेट स्लम क्लियरेंस स्कीम) के अंदर लाई गई। इस घनी बस्ती को तोड़ने-गिराने का काम १५ और १६ अप्रैल १९७६ को दो दिनों तक बड़ी शक्ति से चला।

१८ अप्रैल को कुछ मुसलमान स्त्रियों (मुख्यतः आबादी मुसलमानों की ही थी) ने 'बुलडोजर' के सामने सत्याग्रह करते हुए धरना दिया। लोग यहां से उठाकर जबरदस्ती दिल्ली से बाहर एक खुले मैदान में छोड़ दिए जा रहे थे। वहां औरतों के लिए न कोई परदा था, न ज़िन्दगी की कोई एक बुनियादी चीज़।

उसी समय जामा मस्जिद के इलाके में लोगों की जबरदस्ती नसबंदी किए जाने की खबर फैली। अब तक यहां पुलिस की सहायता से परिवार-नियोजन के अधिकारियों के अत्याचारों की शिकायतें प्रधान मंत्री तक पहुंच चुकी थीं, पर कहीं कोई असर नहीं।

डी० डी० ए० (दिल्ली डेवलपमेंट एथारटी) और पुलिस अधिकारी दोनों ने निरंकुशता से काम लिए। उस इलाके के किसी भी कांग्रेसी, राजनीतिक या समाज सेवी की कोई बात न सुनी गई। फलतः उस क्षुब्ध विरोधपूर्ण वातावरण में एक ओर हिन्दू-मुसलमान जनता, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और सी०आर० पी०। दोनों ओर तनाव-भरा वातावरण। मुसलमान लोग जो सैकड़ों सालों से यहां रहते आए हैं, वे इस तरह अपने बाप-दादों के घरों को छोड़ दिल्ली से बाहर त्रिलोकपुरी नहीं जाना चाह रहे थे।

इसी बात पर पुलिस की गोलियां चलीं। दोनों तरफ से मुठभेड़। पूरे दो दिनों तक पूरी तरह वह पूरा इलाका दिल्ली प्रशासन ने 'सील' (बंद) करा दिया। शेष दिल्ली से वह इलाका पूरी तरह से काट दिया गया। और वहां संघर्ष होता रहा।

उस पुलिस गोली कांड में २५ लोगों की मृत्यु हुई, २०० घायल हुए

और २९ लोग गंभीर रूप से घायल। न जाने कितने लोग लापता। कुछ लोग टूटते-गिरते हुए घरों के मलबों के नीचे दब गए। सी० आर० पी० केवल मारने के लिए ही गोली दागती थी, डराने के लिए नहीं, इसलिए जितने स्त्री-पुरुष, बच्चे, बूढ़े सी० आर० पी० से अपनी रक्षा के लिए मकानों में छिपे थे, वे सब उस 'बुलडोजर' से पिस गए।

एक हज़ार से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। सी० आर० पी० के कुछ जवानों ने भागते हुए लोगों को लूटा। अनेक अमानवीय अत्याचारों की घटनाएं हुईं। मुसलमान स्त्रियों ने अपने बाल-बच्चों सहित मस्जिदों, मकबरों, दरगाहों और मदरसों में छिपकर पनाह ली।

शाही मसजिद तक को तोड़ने में कोई संकोच न हुआ। आसफअली रोड की एक दूसरी मसजिद को भी आधा तोड़ गिराया गया।

दिल्ली प्रशासन ने खासकर इसी मुहल्ले पर क्यों इस तरह पहले 'बुलडोजर' लगाया, इसकी वजह समझ में नहीं आई। पर इसका एक पुराना इतिहास है और उसका नाम है 'डी० ए० जी० स्कीम'। उस पुराने इतिहास के पृष्ठों के अनुसार वह पुराना काम इसी समय क्यों पूरा किया जाना था, इसके पीछे वही आतंक जमाने का ही लक्ष्य था। पुलिस की गोली से मरे हुए कुछ लोगों के नाम हैं :—

(१) मुहम्मद आरिफ, वल्द मुहम्मद बशीन—फैक्ट्री मजदूर जामा मस्जिद क्षेत्र, उम्र २४ साल, साकीन २५९३, कूचा मीर हसन। (२) जहीरुद्दीन, वल्द नासिरुद्दीन, उम्र २५ साल, साकीन, खोरवाला फाटक। (३) जन्नत बेगम, बहिन मुहम्मद इब्राहीम, उम्र ३० साल, फाटक तेलियां तुर्कमानगेट के भीतर। (४) सलाउद्दीन, पुत्र मुहम्मद यामीन, उम्र १९ साल, निवासी १९४२, कूचा चेलान। (५) सुलेमान, वल्द स्वर्गीय बशीर, फाटक मीर हसीन, चितली कबर। (६) हफीज बरकत का पौत्र (नाम जैसा पाया गया), ड्यूड फर्नीचर शाप, गली ननवा तेली के दूसरी ओर तुर्कमान गेट। (७) इकबाल (दूसरे कागज़ातों की प्राप्ति अभी नहीं हुई) (८) पुत्र अब्दुल हक (नाम अभी प्राप्त करना है) निवासी मुहल्ला गधेवाल, तुर्कमान गेट। (९) अब्दुल मलिक, उम्र २२ साल (पुलिस अस्पताल में शल्य चिकित्सा हुई)। (१०) सागीर अहमद पुत्र मजीद अहमद,

उम्र १६ साल, निवासी ३८८९, गली खान खाना, जामा मस्जिद। (११) मोहम्मद आबिद, पुत्र मोहम्मद यासीन, उम्र १८ साल, निवासी १६७४, सुईवालान, जामा मसजिद।

गंभीर रूप से घायल ये लोग हुए : (१) भोला—निवासी फाटक तेलीयान (२) शहाबुद्दीन एलिस बबुआ, निवासी फाटक तेलीयान और (३) बोदम पुत्र मातिनी—३०३०, गली अनसारी, कलान मसजिद तुर्कमान गेट।

लापता लोगों के नाम इस प्रकार बताए गए : (१) वाहिद अली, पुत्र सलीमुद्दीन, निवासी २८२०, पहाड़ी भोजला। (२) घोटी बेगम, पत्नी बाबूखान, गली सैदान खान, पहाड़ी भोजला। (३) मोहम्मद रईस, पुत्र स्व० मोहम्मद हाशीम, गली तख्तवाली, सुईवालान, दिल्ली। (४) अफराज बेगम पत्नी अजीजुद्दीन, ११४३, तुर्कमान गेट, रकाबगंज। (५) मोहम्मद सुलेमान, गली तख्तवाली, सुईवालान। (६) रजिया बेगम, पत्नी मोहम्मद अबिल, निवासी ११४०, तुर्कमान गेट, रकाबगंज। (७) बदरुद्दीन, पुत्र इसलामुद्दीन, १२१२, रकाबगंज, तुर्कमान गेट।

सत्य समाचार : इक्कीस साल की युवती राजिया जिसने बुलडोजर के सामने लेटकर सत्याग्रह करना चाहा, उसे बी० एस० एफ० के जवान उठाकर ले गए। रजिया तीन दिनों के बाद पागल अवस्था में वहां फिर देखी गई।

सत्य समाचार : राजमोहिनी और राजपंत दोनों स्कूल अध्यापिका सखियों ने कुतुबमीनार से कूदकर आत्महत्या की। नसबंदी के लिए केस लाने में असफलता के कारण इन्हें ऐसा करना पड़ा।

सत्य समाचार : दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर के पास जहां अब शानदार राजेन्द्र प्लेस बन गया है, यहां पहले झुग्गी-झोंपड़ी वालों की बस्ती थी। जंगल और पत्थर काटकर गरीब लोगों ने यहां अपने घर बनाए थे। डी० डी० ए० ने सोचा, अब जमीन की कीमत काफी बढ़ गई है तो इन्हें

उजाड़कर इस जगह फ्लैट्स और गगनचुंबी इमारतें बनाकर क्यों न करोड़ों रुपये बनाये जाएं ?

एक बात मुख्य है। सवर्ण, आभिजात्य, धनी मुहल्लों में ये नीची अछूत जाति के लोग कैसे रह सकते हैं ? जैसे गांवों में सवर्णों की सीमा से दूर अछूत बस्ती होती है, उसी तरह शहरों में भी अछूत, गरीब शहर से बाहर ही तो रह सकते हैं।

भारतीय इतिहास रहा है—एक कमाए, दूसरा खाए। एक किसान है, एक जमींदार है—यह है भारतीय ग्राम समाज। शहरी समाज यह है कि मजदूर जमीन को समतल करके अपनी झोंपड़ी-झुग्गी बनाए, राज प्रशासन एकाएक उसे हथिया ले और पैसे वालों को मनमानी दामों पर बेच दे।

आंखों देखा

सोमवार, ६सितम्बर, १९७६। पटना, प्रातःकाल, पूरे नौ ट्रकों में भरे हुए नौजवान युवा कांगेस के प्ले कार्ड्स लिए सड़कों पर से तेज़ जा रहे हैं। बहुत ऊंचे नारे लगाते हुए इनक्लाब ज़िन्दाबाद, इन्दिरा गांधी ज़िन्दाबाद, संजय गांधी ज़िन्दाबाद, यूथ कांग्रेस ज़िन्दाबाद।

ठीक सुबह ७ बजे ट्रकों में भरे वे सारे युवक पटना हवाई अड्डे पर। भीतर प्रवेश के लिए उनसे कोई टिकट नहीं। प्रधान मंत्री, इंदिराजी के एक परम विश्वासपात्र बिहार में प्रधान मंत्री के प्रभाव का जायजा लेने के लिए आ रहे थे। क्या बिहार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या वर्तमान मुख्य मंत्री पर भरोसा किया जाए? चुनाव हो तो फल क्या होगा?

नेता को स्पष्ट उत्तर चाहिए था।

संध्या छः बजे वह नेता श्रीकृष्ण मेमोरियल के हॉल में बिहार के युवा नेताओं, पत्रकारों, और बुद्धिजीवियों को अपना भाषण दे रहा था। हॉल क्या पूरी इमारत बेतरह सजाई गई थी। बिलकुल जश्न का माहौल था।

सौ कारें, दो दर्जन जीप, आधे दर्जन पुलिस ट्रक हॉल के बाहर ठहरे थे। सजे हुए हॉल के भीतर सैकड़ों कुर्सियां खाली पड़ी थीं। मुश्किल से पचास लोग नेता का भाषण सुनने बैठे थे। नेता एक ही जादू, एक ही दूर-दृष्टि और पक्का इरादा बिषय पर धुआंधार बोल रहा था और हॉल में पूर्ण शांति थी।

—पर इतनी कम भीड़ क्यों?

अचानक भाषण के बीच वह नेता पूछ बैठा।

संयोजक प्रबन्धक अपने कार्यकर्ता से वे नौ ट्रक कहां गए?

—हां, वे लोग कहां हैं?

भाषण आगे नहीं बढ़ा। नेता गुस्से से हॉल के बाहर जाने लगा। तभी वे नौ ट्रक भरे लोग आए।

—कहां थे अब तक बत्तमीज़।

प्रबन्धक ने झुंझलाकर कहा—बेवकूफो, कहां थे?

युवक नेता ट्रक से नीचे उतरते हुए बोला—हम लोग एक बहुत ज़रूरी काम में लगे हुए थे। कोतवाली के सामने हम लोग महाशय जितेन्द्र के लिए नारे लगा रहे थे।

—यह जितेन्द्र कौन है?

—कांग्रेस एम० एल० ए०।

—क्या हुआ?

—वह गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

—क्यों? कैसे?

—आपने नहीं पढ़ा आज का अखबार। वह और उनके तीन दोस्तों ने मिलकर बिन्दू नामक एक स्त्री के साथ बलात्कार किया, जो एम० एल० ए० के पास कोई न्याय मांगने आई थी।

सादे वस्त्र में एक पुलिस के मुंह से निकला—हां, वह किसी मदद के लिए आई, थी बेचारी।

सरकार के किसी भी दफ्तर में तब तक काम नहीं किया गया जब तक नसबन्दी के मुंहमांगी तादाद में केस नहीं दिए गए। अस्पताल में रोगियों को इस बिनाह पर दाखिला नहीं दिया गया। राशन, तेल, चीनी, वगैरह की उचित दर दूकानों को भी स्टाक तक रीलीज नहीं किया गया जब तक नसबन्दी केस नहीं दे दिए गए। लाइसेंस परमिट वगैरह के लिए तो यह अनिवार्य कर ही दिया गया। मार्केट एसोसिएशन के लिए नसबन्दी का कोटा बांध दिया गया। व्यापारी नसबन्दी के एक-एक केस के लिए पांच-पांच सौ रुपये खर्च करते रहे। पुलिस को पैसा देकर या डाक्टर से केस लेकर पैसे देते रहे। बेचारे गरीब इस कदर पकड़कर ले जाए जाते रहे जैसे बेबस बकरे जिबह के लिए ले जाए जाते हैं!

पंजाब का एक व्यापारी (सर्वे फार्म से)

संजय गांधी के आगमन पर यहां के यूथ कांग्रेस के वर्करों ने छोटे-बड़

लगभग सभी दूकानदारों से जबरन सौ-सौ रुपये वसूल किए। जिसने सौ रुपये का संजय टैक्स देने में थोड़ी भी आनाकानी की उसको डी० आई० आर० में गिरफ्तार करने की धमकी दी गई।

फैजाबाद के एक गल्ला व्यापारी

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के नाम पर व्यापारियों को जबरन घटी हुई कीमत पर माल बेचने को पुलिस, डी० एम०, फूड कंट्रोलर, वगैरह ने बाध्य गया। जब स्टाक खत्म हो गया तो व्यापारियों ने नया स्टाक नहीं खरीदा। महंगा खरीदकर सस्ता वह आखिर बेच कैसे सकता था! इन्सपेक्टर से लेकर अदना सिपाही कोई न कोई गलती बताकर अपनी रिश्वत वसूल करता रहा। एक व्यापारी से तो सिर्फ इस पर वसूल कर लिए कि सारे स्टाक में सिर्फ एक तौलिये पर कीमत नही लिखी थी। (शाहदरा के एक व्यापारी के सर्वे से)।

मुझसे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस सेवा दल के शिविर के लिए एक हज़ार रुपये मांगे। इनकार करने पर मुझे 'मीसा' में गिरफ्तार कर लिया गया। आजकल मैं पेरोल पर हूं।

प्रतापगढ़ के एक व्यापारी से

आपात्काल में व्यापारियों पर चलाए गए देशव्यापी दमन के व्यापक सर्वेक्षण के फार्मों के अन्दर से कुछ नमूने हैं ये। न तो इसमें दमन के सभी प्रकार हैं और न ही अपवाद हैं।

सर्वेक्षण में प्राप्त ६४२ फार्मों में सत्ताधारी दल, युवक कांग्रेस, पुलिस प्रशासन से लेकर छोटे से छोटे सरकारी अमला के माध्यम से जैसे भीषण चक्र चले, उसका पूरा खुलासा ११ राज्यों के ८७ स्थानों के सर्वेक्षण से नहीं हो सकता। लेकिन इनसे भी जो कुछ सामने आता है, वह व्यापारी समाज पर हुए अत्याचार और उत्पीड़न का एक दर्दनाक चित्र उपस्थित करता है। केवल दो-चार राज्यों में यह स्थिति है, ऐसा नहीं है।

क्या आपात्काल के दौरान व्यापारियों को सरकारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा? इस प्रश्न के उत्तर में तमाम सर्वेपत्रों का एक ही

उत्तर था। अलबत्ता उसका कारण अलग-अलग बताया गया। संख्या के अनुसार ये कारण इस प्रकार थे :

(क) सरकार सारे समाज में दहशत पैदा करना चाहती थी। व्यापारी वर्ग पर होने वाले दमन से भय तेज़ गति से संक्रामक हो जाता है। क्योंकि इसका समाज से रोज़-रोज़ का सीधा नाता है।

(ख) जनता को सरकार की अनियंत्रित सत्ता का प्रत्यक्ष एहसास कराने के लिए।

(ग) यह बताने के लिए कि कीमतें व्यापारी वर्ग की मुनाफाखोरी के कारण बढ़ती हैं और इमरजेंसी के अधिकार से कीमतों को रोका जा सका है। इसमें सरकार ने एक तरफ अपनी गलत कर-नीति, वित्तीय नीति और उत्पादन की कमी आदि को छिपाकर सारा दोष व्यापारी समाज पर मढ़ने की कोशिश की।

(घ) टैक्स इंस्पेक्टर, शाप इंस्पेक्टर, पुलिस, सरकारी कारिंदों की उत्पीड़न में ज़बरदस्त चुस्ती का कारण आपात्काल का फायदा उठाकर रिश्वत से बेरोकटोक पैसा पैदा करना था। भ्रष्टाचार का ऐसा आलम पहले शायद ही कभी रहा हो। भ्रष्टाचार की इस प्रेरणा से भी अमला वर्ग ने व्यापारियों पर कहर ढाए।

(ङ) यह भी कारण बताया गया कि आम तौर पर सरकार की यह धारणा रही है कि व्यापारी विपक्ष के साथ है खास कर जनसंघ के साथ। इस 'अपराध' की सज़ा के तौर पर उन्हें सताया गया।

(च) स्थानीय कांग्रेसियों ने आपसी वैरभाव का बदला इस मौके पर लिया।

सरकार की किस एजेंसी ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न आतंक फैलाया है। सर्वे से सार्वदेशिक तौर पर जो तस्वीर उभरती है, उससे साफ है कि हर स्थान पर निम्नांकित में से कम से कम दो या तीन एजेंसियां सक्रिय रहीं —

(१) सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज़ महकमा (२) पुलिस (३) कांग्रेस और यूथ कांग्रेस (४) नगरपालिका या निगम (५) वेट्स एण्ड मेजरमेंट महकमा (६) फूड कंट्रोलर।

इनकी कार्रवाइयों का व्यापक असर इससे ही समझा जा सकता है कि

केवल ८७ स्थानों में हुई व्यापारियों की गिरफ्तारियों की संख्या २७२१ रही। निश्चय ही देश-भर में दस हज़ार से ज़्यादा व्यापारी गिरफ्तार किए गए। फैजाबाद, संगरूर, शिमला, गया, रोहतक, विजयवाड़ा, इन्दौर आदि बीसियों स्थानों के सर्वे फार्मों में ऐसे सौ से ज़्यादा मामले हैं जिनमें किसी व्यापारी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने कांग्रेस या यूथ कांग्रेस को चंदा नहीं दिया। गिरफ्तारियों और चालान के इससे कहीं ज़्यादा मामले ऐसे हैं जिन्हें महज़ रिश्वत न देने के लिए सताया गया।

सर्वे से एक स्पष्ट चित्र यह उभरता है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने आपात्काल का फायदा उठाकर पुलिस व सरकारी महकमों के दबाव से लगभग सारे देश में पैसा इकट्ठा किया। सर्वे फार्मों में इस तरह के अनगिनत ब्यौरों को देखकर यह विश्लेषक इस निश्चित नतीजे पर पहुंचा है। अगर सिर्फ इस पैसा बटोरने के मामलों की एक-एक स्थान पर पूरी जांच की जाए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे और आपात्काल की सड़ान और वीभत्सता का सही जायजा मिलने में मदद मिलेगी।

पैसा बटोरने के जिन तरीकों का इस्तेमाल किया गया, उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस तरह है— (१) नसबन्दी के नाम पर कैम्प लगाने, इमदाद देने से लेकर यों ही प्रचार करने के लिए, (२) ५० से लेकर सौ-सौ रुपये तक कांग्रेस का झण्डा जबरन सब व्यापारियों को बेचा गया। (३) संजय गांधी के स्वागत, थैली, स्वागत द्वार, यूथ कांग्रेस के शिविर, वगैरह के नाम पर। (४) कांग्रेसी नेताओं की सभा में जनता को ले जाने के लिए बसों या अन्य वाहनों के लिए। (५) कांग्रेस स्मारिकाओं के विज्ञापनों के लिए। (६) किसी बहाने छोटा-मोटा मेला करके उसमें जबरन स्टाल एलाट कर भारी रकमें ली गईं।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वेच्छा से कीमतों में कटौती करने के सिलसिले में पूछे गए सवाल के उत्तर में प्रायः यह कहा गया कि भयानक दबाव के कारण जब तक स्टाक था, तब तक कटौती की, लेकिन फिर स्टाक लाए ही नहीं। आम जनता को काफी तकलीफें हुईं। इसके कारण कीमतों में कुछ ही दिन कमी हुई। प्रायः यह भी हुआ कि बारह प्रतिशत कीमत बढ़ा कर दस प्रतिशत घटा दी गई।

नसबंदी के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्नों पर निम्नलिखित तथ्य सामने आए :

केन्द्र ने राज्यों का कोटा बांध दिया, राज्यों ने ज़िलों का। ज़िला अधिकारियों ने मनमाने ढंग से थानों, स्कूलों, मार्केट एसोसिएशनों, वगैरह के कोटे बांध दिए। छोटे-बड़े सब सरकारी काम में नसबंदी के केसों की शरूरत पड़ने लगी।

दिल्ली जैसे अनेक बड़े शहरों से जबरिया नसबन्दी के डर से मज़दूर काम छोड़कर गांव भाग गए।

सर्वेक्षण से यह भी बात स्पष्ट हुई कि नसबन्दी कोई दो-चार राज्यों में जबरिया ढंग से हुई हो, सो बात नहीं। सारे देश में हुई। राज्य सरकारों में संजय गांधी के समर्थन की होड़ लगी। मंत्रियों से लेकर अमलों तक ने जबरिया नसबंदी के अजीबोगरीब तरीकों के आविष्कार किए।

कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(१) आपात्काल में गुड़, चीनी, तेल, डालडा, खाद वगैरह की कीमतें अनाप-शनाप ढंग से बढ़ीं। बीस सूत्री कार्यक्रम से कीमतें बढ़ने से रुकीं नहीं। (२) कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई। आतंक कभी लोकप्रिय नहीं हो सकता। (३) आपात्काल के बारे में आम घृणा का वातावरण सारे मुल्क में है। (४) इस सरकार को ज़्यादा व्यापारी तानाशाही ही मानता है। आधे से अधिक कम अर्धतानाशाही मानते हैं। बहुत कम व्यापारी इसे लोकतंत्री मानते हैं। (५) विपक्ष के बारे में आम धारणा यह बनी है कि ये लोकतंत्री लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी मदद करनी चाहिए, ये भरोसा लायक हैं।

विभिन्न राज्यों के सर्वेफार्मों की कुछ छिटफुट जानकारियां :

दिल्ली : तिलक नगर मार्केट के प्रधान को, जिनका किसी दल से ताल्लुक नहीं था, कांग्रेसी नहीं चाहते थे। उन्हें प्रधान पद से हटाने लिए १०८-१५१ धारा में जेल भिजवा दिया गया। (ऐसी सैकड़ों अन्य घटनाएं अनेक स्थानों पर हुई हैं)।

पालम कालोनी के एक व्यापारी को बेकसूर पकड़ा गया और थाने में नंगा करके पीटा गया।

दिल्ली में दर्जनों कालोनियों में 'डिमालिशन' हुआ। अकेले तिलक नगर में १,००० से ऊपर दूकानों पर बुलडोजर फेर डाला गया। विदेशी पत्रकारों ने गफ्फार मार्केट का नुकसान कई करोड़ में आंका।

शाहदरा में बहुत-से खोंमचे वालों ने अपना धंधा ही बन्द कर दिया। पुलिस उनका खोंमचा उठाकर चलती बनती थी।

पंजाब : लुधियाना में पंजाब के नेता सरदार एम० एस० गिल आए थे तो मार्केट एसोसिएशन से जबरन पचास हजार से अधिक रुपया वसूल किया गया।

लुधियाना औद्योगिक बस्ती का एक कर्मचारी श्री सोहनलाल जबरिया नसबन्दी के बाद आज ६ महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा है।

पंजाब के एक होजरी व्यापारी लिखते हैं, मैंने जीवन-भर कांग्रेस को वोट दिया है। पर अब यह भूल नहीं होगी।

बिहार : गया के एक व्यापारी लिखते हैं—साहब, संजय गांधी क्लब ने जीना हराम कर दिया है। हर महीने उन्हें किसी न किसी बात के लिए मुंहमांगी रकम चाहिए।

पुरानी गोदाम गया के एक व्यापारी को चावल में मिलावट करने के नाम पर पकड़ा गया। आठ दिन कोतवाली में रखा गया। १५,००० रुपये रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया।

उत्तर प्रदेश : फैजाबाद के व्यापारियों के फार्मों में गुप्तचरों के भ्रष्टाचार के कई हवाले हैं—कचहरी रोड, रायबरेली से एक व्यापारी लिखते हैं कि 'डिमोलिशन' का नुकसान यहां कम से कम दस करोड़ का हुआ है।

प्रतापगढ़ में जबरिया नसबन्दी का इतना व्यापक प्रकोप रहा है कि गांव वाला जैसे ही नज़र आया, उसे पकड़कर आपरेशन कर दिया जाता था। गांव वालों ने शहर जाना ही बन्द कर दिया। लोगों ने घर से निकल बन्द कर दिया मानो कर्फ्यू लगा हो।

हिमाचल : कसौली युवक कांग्रेस रैली और परमार साहब को थैली भेंट करने के लिए मनमाना पैसा वसूल किया गया। मण्डी के गांवों में नसबन्दी की टीम आने की खबर मात्र से सारा गांव (मय औरतों के) जंगलों में चला जाता था।

किशोर के गीत—क्यों दिन गए बीत ?

तानाशाही पागलपन का एक नमूना और सामने आया है। सिर्फ कुछ हफ्ते पहले तक आकाशवाणी के विविध भारती से हर दूसरा गाना लोकप्रिय पार्श्वगायक किशोरकुमार का बजता था। लेकिन इन हफ्तों में उनके गीतों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू हो गया है। कारण ?

राजधानी में युवक कांग्रेस ने गीतों-भरी शाम का आयोजन किया। किशोरकुमार की हिमाकत देखिए कि उसने बिना पैसा लिए आने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, युवक कांग्रेस क्रुद्ध हो गई। सरकार ने फैसला कर दिया कि किशोर के गीत रेडियो पर नहीं सुनाए जाएंगे।

इन्दिरा सरकार की जेलों में शहीद हुए व्यक्तियों की सूची

१. वैद्य बैजनाथ कपिल : सदस्य, दिल्ली प्रदेश जनसंघ कार्यसमिति, मीसा, के अंतर्गत २४ जून, १९७५ को गिरफ्तार हुए। १ फरवरी, १९७६ को हृदय गति रुकने से मृत्यु। चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था उपलब्ध न कराई गई।

२. श्री तिलकराज नरूला : शाहदरा, ज़िला जनसंघ प्रधान, डी०टी०यू० के भूतपूर्व अध्यक्ष, २८ जून, १९७५ को गिरफ्तार, २५ अप्रैल, १९७६ को मृत्यु। उन्हें प्राइवेट चिकित्सा कराने की अनुमति नहीं दी गई थी।

३. श्री मोहनलाल जाटव : अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश भारतीय लोकदल, २५ जून, १९७५ को गिरफ्तार। १७ मई, १९७६ को सी० बी० आई० के कार्यालय में दबाव के कारण मृत्यु।

४. श्री भेरूलाल सरवारा : निवासी, कनकरोली, जिला उदयपुर, राजस्थान, २३ नवम्बर, १९७५ को सत्याग्रह के समय पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, २९ नवम्बर, १९७५ को उनके पेट में दर्द हुआ था और उन्होंने अहमदाबाद में इसकी चिकित्सा के लिए प्रार्थना की थी, परन्तु देर तक सुनवाई न होने के कारण १४ जनवरी, १९७६ को मृत्यु हो गई। वे एक गरीब दूकानदार थे। मृत्यु के समय उनकी आयु २५ वर्ष थी।

५. श्री बिरजू शाह : निवासी सीतामढ़ी, बिहार, आयु ५५ वर्ष, वे व्यापारी थे। उन्होंने सत्याग्रह किया, जेल में लाठीचार्ज के कारण दरभंगा जेल में मृत्यु।

६. श्री मधुकर बोबादी : निवासी बालापुर, ज़िला अकोला, महाराष्ट्र, आयु ४३ वर्ष। १४ जुलाई, १९७५ को गिरफ्तार कर अकोला जेल में रखे गए, जहां बीमार होने के कारण १६ जुलाई, १९७५ को मुक्त कर दिए गए और १८ जुलाई, १९७५ को उनकी मृत्यु हो गई।

७. श्री शंकरराव बोबादे, धन्धे से डाक्टर, कोटला दीनागढ़, महाराष्ट्र, नगर संघ चालक, हृदय रोग की चिकित्सा कराते हुए अस्पताल में मृत्यु, आयु ७२ वर्ष।

८. श्री केशवराव कुलकर्मी : गोंदिया ताल्लुका, महाराष्ट्र के संघ चालक अस्वस्थता के कारण पेरोल पर रिहा, एक मास पश्चात् मृत्यु, आयु ७४ वर्ष।

९. श्री डी० डी० पटवर्धन : उरन, ज़िला कोलाबा, महाराष्ट्र के ताल्लुका संघ चालक, उद्योगपति, १८ फरवरी, १९७६ को गिरफ्तार, हृदय-गति रुकने से २६ मार्च, १९७६ को थाना जेल में मृत्यु।

१०. श्री एम० आर० गुलयानी : निवासी बिढा, जिला सागली, महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ता, पेशे से दंत विशेषज्ञ, आयु ५२ वर्ष, पूना अस्पताल में असक्त आपरेशन के कारण कुछ समय पश्चात् मुक्त, उसके एक सप्ताह बाद ३१ मई, १९७६ को सतारा में मृत्यु।

११. श्री प्रभाकर राजे : निवासी कटनी, मध्यप्रदेश, एक सामाजिक कार्यकर्ता।

१२. श्री सोमनाथ होडन : निवासी सूनी, मध्य प्रदेश, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, आयु १९ वर्ष।

१३. श्री कुलप्पा : निवासी अनोकल तलाक, बंगलौर जिला, कर्नाटक, हरिजन कार्यकर्ता तथा कृषक, आयु २५ वर्ष।

१४. श्री हरिबदन भाई भट्ट : सूरत, गुजरात के जनसंघ कार्यकर्ता, आयु ६० वर्ष। १३ मार्च, १९७६ को गिरफ्तार, १४ अप्रैल, १९७६ को मृत्यु।

१५. श्रीमान रामानुजाचार्य श्री महाराज : आयु ५५ वर्ष, पीठाधीश लाताद्र मठ, अयोध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अयोध्या शाखा संघचालक, फैजाबाद जेल में अस्वस्थ, खराब अवस्था होने पर छोड़ दिए गए, बाहर आने पर स्वर्गवास।

१६. श्री वंशधर यादव : कृषक, आयु ४० वर्ष, अस्वस्थ, ज्वर स्वांस कष्ट, गोंडा जेल में ७-८ मार्च की रात में मृत्यु।

१७. श्री विशनलाल मित्तल : सहारनपुर संचालक, राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ, आयु ७५ वर्ष, सहारनपुर जेल में अस्वस्थ, स्वर्गवास।

१८. डाक्टर इन्द्रजीत सिंह : डेंटस्ट भूपूर्व संघचालक, बुलन्दशहर, आयु ६८ वर्ष।

१९. श्री कान्तिस्वरूप : व्यापारी, आयु ५० वर्ष, अनूपशहर में व्यापार, भारतीय जनसंघ ज़िला मंत्री, बुलन्दशहर।

२०. श्री दौलीराम : अतरौली, ज़िला अलीगढ़, आयु ८० वर्ष, पुलिस ने मारा-पीटा, यातनाएं दीं, जेल में पहुंचकर मृत्यु।

२१. श्री चेतराम : कृषक, ज़िला बरेली।

२२. श्री नन्दीसिंह : बुलन्दशहर।

२३. श्री प्रेमसिंह : आयु ४५ वर्ष, अमृतसर जेल में बंदी, अकाली दल।

२४. श्री बाबूसिंह : शाहजहांपुर, आयु ४० वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक, अपने क्षेत्र के बन्धुओं का सत्याग्रह कराकर वापस लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु।

२५. डा० सत्यव्रत सिन्हा : आयु ५० वर्ष, इलाहाबाद में मीसा बंदी। मृत्यु ७ नवम्बर १९७६।

आपात्स्थिति में भारतीय समाज, अर्थनीति और राजतंत्र की जो सचाइयां दिखीं, उससे इस काल की प्रकृति और स्वरूप को समझने में बड़ी मदद मिल सकती है। इन सचाइयों के खिलाफ, अन्याय, दमन और बर्बरता के खिलाफ यहां के लोगों ने कैसे क्या किया, यह दस्तावेज बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भारतीय समाज और उसकी अपराजेय चेतना का अर्थपूर्ण साक्ष्य है।

आपात् स्थिति में प्राप्त राजतंत्र के पास जहां सारी शक्तियां उसकी मुट्ठी में हों, जहां असहमति भी अपराध माना जाए, जहां एक ओर तानाशाही तंत्र हो, सर्वशक्तिमान एक राजनीतिक दल का शासन हो, शेष सारे विपक्षी दल के लोग जेल में डाल दिए गए हों, वहां उस घोर अंधकार में किसने जला रखा प्रकाश ?

अंधकार के खिलाफ

यह घोर अंधकार लाया ही गया था एक प्रकाश के खिलाफ—उसका नाम था जयप्रकाश। यह अंधेरी रात अचानक आई ही थी, उठती हुई लोक-चेतना और लोकशक्ति के खिलाफ, जिसके सेनानी थे छात्र, गांव-शहर के निर्दलीय युवा लोग, उन्होंने ही मिलकर बनाई थी छात्र संघर्ष वाहिनी, तरुण शांति सेना, युवा संघर्ष वाहिनी। और सबके सेनानायक थे जयप्रकाश—जिन्हें पूरे भारत के छात्रों और युवकों ने नाम दिया था—'लोकनायक'।

यह अंधकार एक व्यक्ति, एक दल की तानाशाही से आया था। एक ओर थी—राजसत्ता, दूसरी ओर उसके खिलाफ हाथों में मशाल लिए लोकसत्ता। एक ओर बर्बर राजशक्ति, दूसरी ओर सत्याग्रही प्रजाशक्ति।

एक ओर सर्वशक्तिमान प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी, दूसरी ओर तपस्वी, त्यागी, वृद्ध-शरीर जयप्रकाश। एक ओर समूचा राज्य, दूसरी ओर समूची जनता। एक ओर तानाशाही शक्ति, दूसरी ओर लोकनायक जयप्रकाश।

दरअसल यह युद्ध अंधकार और प्रकाश के बीच था। यह संघर्ष असत्य और सत्य के बीच था। यह लड़ाई एक निरंकुश सत्ता और लोक सत्ता के बीच थी। ऐसी लड़ाइयां, ऐसे संघर्ष हमारे यहां बार-बार हुए हैं—हमारी अनेक पुराण कथाएं इसी तरह के संघर्ष की गौरव-गाथाएं हैं—कंस और कृष्ण की कथा, कौरवों और पांडवों की कथा, राम और रावण की कथा, हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद की कथा आदि। आधुनिक स्वतंत्रता-संग्राम में अंग्रेज सत्ता और महात्मा गांधी की कथा, इसीका उदाहरण है। स्वतंत्र भारत में एक दल के इतने लम्बे एकछत्र शासन के भीतर से पनपे एक व्यक्ति की तानाशाही के खिलाफ अब लोक-चेतना का संघर्ष था।

इसी संघर्ष के नायक थे—जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश।

आपात् स्थिति की राजशक्ति इसी लोकनायक को समाप्त करने के लिए आई। सारी निरंकुश शक्ति उसी उभरती हुई लोक-चेतना, प्रजातांत्रिक शक्तियों के खिलाफ उठ खड़ी हुई।

इसलिए २५ जून की आधी रात को आपात् स्थिति लागू होने से पूर्व पहली गिरफ्तारी उसी लोकनायक जयप्रकाश की हुई। और इस तरह अंधकार के खिलाफ प्रकाश के सीधे विकट संघर्ष का अभूतपूर्व अध्याय शुरू हुआ।

इन्दिराजी और उनके शासन ने यह अभियोग लगाकर जयप्रकाश को गिरफ्तार किया कि उन्होंने पुलिस और सेना को राज्य शासन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। जे० पी० ने इस अभियोग और आरोप को मिथ्या कहा —"मैंने पुलिस या सेना के जवानों से यह कभी नहीं कहा कि वे मौजूदा शासन के खिलाफ विद्रोह कर दें और हमारे आंदोलन में शामिल हो जाएं। इमरजेंसी के पहले अपने सार्वजनिक भाषणों और वक्तव्यों में मैंने हमेशा इसी बात पर बल दिया था कि पुलिस के जवानों को गैरकानूनी आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। यह पुलिस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर पुलिस का कोई आदमी गैरकानूनी आदेश का पालन करता है, तो वह सजा का भागी हो सकता है। अपने भाषण में मैंने पुलिस एक्ट की ही बात दोहराई थी। इमरजेंसी के दौरान और उसके पहले भी पुलिस के लोगों ने ऊपर के अधिकारियों के आदेश पर शांतिपूर्ण सत्याग्रही जनता और युवकों पर जिस बेरहमी से प्रहार किए हैं, उसे देखकर कोई भी कहेगा कि पुलिस को ऐसे आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए और मैं मानता हूं कि यह कहना अपराध नहीं है। जहां तक सेना का संबंध है, मैंने यही बार-बार कहा है कि सेना को देश के प्रति, राष्ट्रीय झंडे के प्रति और संविधान के प्रति वफादार रहना चाहिए। अगर किसी दल की सरकार अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने या लोकतंत्र को दबाकर अपने दल की तानाशाही कायम करने के लिए सेना को इस्तेमाल करना चाहे तो सेना का कर्तव्य है कि वह लोकतंत्र की रक्षा करे, क्योंकि हमारा संविधान लोकतांत्रिक है। यह कहने की जरूरत मुझे तब पड़ी, जब मैंने अनुभव किया कि इन्दिराजी

सेना का इस्तेमाल लोकतंत्र को कुचलने के लिए कर सकती हैं। सीमा सुरक्षा सेना (बी० एस० एफ०) का इस्तेमाल तो उन्होंने हमारे आंदोलन को दबाने के लिए किया ही है। इसलिए मैंने सेना से और पुलिस से जो कुछ कहा है, वह विद्रोह भड़काने के लिए नहीं बल्कि एक विद्रोही परिस्थिति से देश को बचाने के लिए कहा है। अगर यह कहना गुनाह है तो मैं उसे कबूल करता हूं। इन्दिराजी ने हमारे आंदोलन पर दर्जनों आरोप लगाए हैं और वे सारे आरोप निराधार और मिथ्या हैं, यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके लाख प्रयास के बावजूद बिहार की और भारत की जनता यही मानती है कि अपनी व्यक्तिगत तानाशाही का औचित्य सिद्ध करने के लिए इन्दिराजी ने मिथ्या आरोप लगाए हैं और मात्र अपने पद और सत्ता की रक्षा के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा रखी है और समाचारपत्रों का मुंह बंद कर दिया है।"

जे० पी० चंडीगढ़ अस्पताल के एक कमरे में परम एकाकी रूप में बंदी किए गए। उस कमरे से बाहर उस अंधकार के खिलाफ जो पहली प्रकाश किरन फूटी, वह था जे०पी० का यह शब्द जो २७ जुलाई १९७५ को चंडीगढ़ जेल में उनसे मिलने गए उसके भानजे अशोक के द्वारा बाहर आया—संपूर्ण क्रांति अब नारा है : भावी इतिहास हमारा है—क्या अब यह इतिहास का एक व्यंग्य मात्र बनकर रह जाएगा ? सब—जी हजूर, कायर, बुजदिल तो जरूर हंसते होंगे हम पर, आसमान के सितारे तोड़ने चले थे, गिरे हैं अब जाकर नरक में। लेकिन दुनिया में जो कुछ किया गया है, वह सितारे तोड़ने वालों ने ही किया है, चाहे भले ही उनके लिए उनको प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ा हो।

संपूर्ण क्रांति के बदले आज तो सम्पूर्ण प्रतिक्रांति की घटाटोप बेला है। इस समय तो उलूक और गीदड़ बड़े प्रसन्न हैं। चारों तरफ—हुआं-हुआं और हू-हू की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कालचक्र तो घूमता ही रहता है। रात चाहे कितनी ही अंधेरी हो, प्रभात फूटकर ही रहता है।

तो क्या प्रभात आप से आप फूटेगा ? और हम हाथ पर हाथ धरे प्रतीक्षा करते रहेंगे ? नहीं। सामाजिक क्रांति यदि प्राकृतिक क्रांति का

अनुसरण मात्र करती तो मानव के पुरुषार्थ के लिए, समाज की प्रकृति और परिवर्तन के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तो फिर क्या करना होगा ? उत्तर है कि जो नारा लगाते और गीत गाते थे, उन्हें बलिदान देना होगा और उनका जो अगुआ था, उसकी बलि पहली बलि होगी। संशय मिट चुके हैं। निश्चय हो चुका है।

जयप्रकाश नारायण

(चंडीगढ़, जेल की डायरी)

यह नन्हा-सा प्रकाश बाहर आकर उस अंधकार में आस्था जगाने लगा। कवि भवानीप्रसाद मिश्र के कंठ से तब यह आस्था स्तर फूटा :

तुम वह डूबे हुए तारे हो
जो फिर अंधेरा होने पर
सबसे पहले आओगे
आसमान में।
तुम्हारा ही वह नाम है
जो दीपित नहीं होगा मेरे गान में
पर दीपित करेगा गान को
और वह गान
अगर तुमने चाहा तो
सीमित करेगा आसमान को
व्यापक करेगा गीत को
अंधेरे पर प्रकाश की जीत को
और करोड़ों कंठ एक साथ कहेगा
जयप्रकाश !

जून, १९७५ के बाद ये वे अंधकारपूर्ण दिन थे, जब सारा देश तानाशाही शिकंजे में जकड़ा हुआ था। सारा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और बंगाल जेल बन गया था।

इस प्रकार देश की सुरक्षा, शांति और विकास के नाम पर सिद्धांतहीन और भ्रष्ट राजनीति देश में चलाई जा रही थी और जनतंत्र को कुंठित कर सर्वसत्तावादी व्यक्तितंत्र का निर्माण किया जा रहा था। इसको रोकने के

लिए, इसके खिलाफ जो भूमिगत कार्य, पैम्फलेट्स, हथपरचे, दीवारों पर पोस्टर्स लगाने और लिखने के जितने प्रयत्न हो रहे थे, उनमें सर्वत्र जे०पी० के ये विचार उभर रहे थे—इसको रोकने का एक ही उपाय है कि आप सजग और संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करें और उन अधिकारों की मांग करें जो छीने गए हैं और छीने जा रहे हैं। कहते हैं, अधिकार दिया नहीं, लिया जाता है। इसलिए आपको भी अपना अधिकार लेना होगा, अपनी संगठित शक्ति से हासिल करना होगा। आज शासन की तरफ से नागरिकों के कर्तव्य पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और संविधान में भी नागरिकों के कुछ 'बुनियादी कर्तव्य' दाखिल किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि यह सब जनता के गले में तानाशाही का शिकंजा मज़बूत बनाने के लिए किया जा रहा है। जनता को कर्तव्य का उपदेश देने वालों का पहला कर्तव्य यह है कि वे जनता को उनके छीने गए अधिकार लौटा दें और वह लोकतंत्र वापस कर दें जो हमने राष्ट्रीय आज़ादी के साथ हासिल किया था। कर्तव्य जनता के लिए और अधिकार इन्दिराजी के लिए या उनके मुट्ठीभर अलम-बरदारों के लिए, यह तो नहीं चल सकता। जनता अपना कर्तव्य करेगी, लेकिन अपने अधिकार खोकर नहीं। अपने खोए हुए अधिकारों को हासिल करना ही आज उसका सबसे महान और बुनियादी कर्तव्य है।

अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें सर्वप्रथम भय का त्याग करना होगा। हमने जिस तरीके से राष्ट्रीय आज़ादी हासिल की थी, उसी तरीके से हम लोकतांत्रिक आज़ादी, नागरिक आज़ादी भी हासिल कर सकते हैं। गांधीजी के नेतृत्व में आज़ादी के लिए लाखों लोग जेल गए और जेलें भर गईं। हमारे आंदोलन के सिलसिले में भी डेढ़-दो लाख लोग जेल गए। जानकार लोग बताते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी एक समय में इससे अधिक लोग जेल नहीं गए थे। लेकिन अब इतना ही काफी नहीं है। मौजूदा सरकार विदेशी अंग्रेज़ी सरकार से भी ज़्यादा ज़ालिम है। अंग्रेज सरकार पर ब्रिटिश संसद का अंकुश था। वर्तमान शासन तो निरंकुश है। ऐसे शासन से अधिकार प्राप्त करने के लिए और भी कड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार होना होगा। जेल का भय त्यागना तो पहली शर्त है।

फिर भी सरकारी आतंक और दमन के कारण निराशा का वातावरण गहरा होता जा रहा था। इसी मानसिक परिवेश में बंदी जयप्रकाश के भीतर चंडीगढ़ जेल से यह कविता फूटकर जेल की बंद खिड़की से बाहर निकली :

जीवन विफलताओं से भरा है,
सफलताएं जब कभी आईं निकट
दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से
तो क्या वह मूर्खता थी ?
नहीं !
सफलता और विफलता की परिभाषाएं भिन्न हैं मेरी—
इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व
बन नहीं सकता प्रधान मंत्री क्या ?
किन्तु मुझ क्रांतिशोधक के लिए
कुछ अन्य ही पथ मान्य थे, उदिष्ट थे
पथ त्याग के, सेवा के, निर्माण के
पथ संघर्ष के संपूर्ण क्रांति के
जग जिसे कहता विफलता
थीं शोध की वे मंज़िलें
मंज़िलें वे अनगिनत हैं
गंतव्य भी अति दूर है
रुकना नहीं मुझको कहीं
अवरुद्ध जितना मार्ग हो।
निज कामना कुछ है नहीं
सब है समर्पित ईश को
तो विफलताओं पर तुष्ट हूं अपनी
और यह विफल जीवन
शत-शत धन्य होगा
यदि समानधर्मा प्रिय तरुणों का कंटकाकीर्ण मार्ग
यह कुछ सुगम बना जाए !

जे० पी० की रिहाई

सरकार ने जे० पी० को तब रिहा किया, जब उसे विश्वास हो गया कि जे० पी० का रोग असाध्य है और वह बहुत थोड़े ही दिन जीवित रहने वाले हैं।

रिहाई के केवल एक सप्ताह पहले जे० पी० को बताया गया कि उनके दोनों गुर्दे (किडनी) बेकार हो गए हैं। गिरफ्तारी से पहले गुर्दे (किडनी) का कोई रोग उन्हें नहीं था। चंडीगढ़ में चार महीनों की नज़रबंदी के दौरान डाक्टरों ने कभी नहीं बताया कि उनके गुर्दों में कोई खराबी है। पर एकाएक ५ नवम्बर, १९७५ की आवश्यक जांच के बाद डाक्टरों ने घोषित किया कि उनके दोनों गुर्दे बिलकुल खराब हो गए हैं। जे० पी० बिहार-वासियों के नाम अपनी चिट्ठी में इस प्रसंग में लिखते हैं—"आज तक मेरी समझ में नहीं आया है कि यह रोग मुझे कब, कहां और कैसे लग गया ? चंडीगढ़ में जो दवा दी गई वह मैंने ली, जो खाना दिया गया वह मैंने खाया, फिर मुझे क्या हो गया समझ में नहीं आता। मेरे बहुत सारे मित्रों को यह शंका है और मुझे भी कभी-कभी संदेह होता है कि कहीं जान-बूझकर तो मेरे गुर्दे खराब नहीं कर दिए गए। चंडीगढ़ अस्पताल के डाक्टरों का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। इसलिए उन पर मुझे अविश्वास नहीं है। कोई डाक्टर ऐसा जघन्य कार्य कर भी कैसे सकता है ? लेकिन मेरे रोग की पहचान करने में उनको बहुत देर हो गई। बम्बई के डाक्टरों का ख्याल है कि अगर पन्द्रह दिन पहले भी मैं जसलोक अस्पताल में पहुंच गया होता तो मेरे गुर्दे कम से कम आंशिक रूप से बचा लिए जाते। अब यह तो भगवान ही जाने कि अचानक मेरे गुर्दे कैसे बिलकुल खराब हो गए। एक बात निश्चित है कि मुझे छोड़ा तभी गया, जब इन्दिराजी के शासन को यह विश्वास हो गया कि मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूं।"

चंडीगढ़ से रिहा होकर जे० पी० पहले दिल्ली आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में आकर पांच-छः दिन रहे। यहां पुलिस का कड़ा पहरा था। चारों तरफ सी० आई० डी० का जाल बिछा था। तीसरी मंज़िल के जिस कमरे में जे० पी० को रखा गया था, उसीके ऊपर चौथी

मंजिल पर श्री अटलबिहारी वाजपेयी अपनी बीमारी की अवस्था में नज़रबंद थे।

चारों तरफ कड़ी निगरानी थी, फिर भी दिल्ली, बिहार के भूमिगत कुछ लोग भेष बदलकर जे० पी० से मिलने आए थे। छात्र संघर्ष और युवा वाहिनी के भी कुछ युवक आए थे मिलने। जे० पी० को उस करुण और असहाय अवस्था में देखकर सभी रो पड़ते थे। श्रीमती नयनतारा सहगल (इंदिरा गांधी की बहन—श्रीमती पंडित की लड़की) ने जे० पी० को देखकर भरे कंठ से कहा था—'दुख और शर्म से मेरा माथा झुका जा रहा है।'

जे० पी० अर्धचेतन अवस्था में थे। जो उनके पास जाता, देखते ही उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़ते। जे० पी० सबको फटी-फटी आंखों से देखते। उनके हाथ-पैर सूज गए थे। पैरों की उंगलियां मुड़ गई थीं। आंखों के नीचे का भाग सूजकर नीचे लटक गया था। बिलकुल मरणा-सन्न थे।

जे० पी० के भाई राजा बाबू (श्री राजेश्वरप्रसाद) उन्हें लेकर वायु-यान से बंबई भागे और वहां २२ नवम्बर को जसलोक अस्पताल में जे० पी० को भर्ती किया गया।

जसलोक अस्पताल के डाक्टरों की सूझबूझ और मेहनत के फलस्वरूप जे० पी० मौत से बच गए। डाक्टरों का कहना था—हमने तो आपको नहीं बचाया।

—क्यों ?

—आप अपनी इच्छा-शक्ति से बच गए।

—मैं मानता हूं कि ईश्वर की कृपा मुझ पर थी इसीलिए ही मैं बच पाया। पता नहीं, वह और क्या काम मुझसे लेना चाहता है।

अब जे० पी० को मशीन के सहारे जिंदा रहना था, इसलिए जे० पी० के साथियों ने तय किया कि निवास-स्थान पर ही डायलीसिस की व्यवस्था की जाए। इसके लिए कृत्रिम गुर्दा-यंत्र (डायलाइजर) तथा अन्य यंत्र-पुर्जे आदि खरीदने के लिए काफी व्यय की ज़रूरत थी। अतः वयोवृद्ध सर्वोदय नेता, श्री रविशंकर महाराज, दादा धर्माधिकारी, श्रद्धेय केदारनाथ जी

तथा स्वामी आनन्द (अब स्वर्गीय) ने जनता से सहायता के लिए अपील की। कई धनिक सज्जनों ने स्वास्थ्य सहायता कोष में बड़ी-बड़ी राशि देने की भी इच्छा प्रकट की। परन्तु मित्रों ने तय किया कि लोगों से एक-एक रुपया या ऐसी ही छोटी रकम का दान लेना उचित होगा। सर्वप्रथम पूज्य विनोबाजी ने एक रुपया का दान देकर इस कोष का श्रीगणेश किया। इसके बाद तो देश के कोने-कोने से दान की धारा बह निकली। जेलों में जो साथी बंद थे और हैं, उन्होंने भी अपने भोजन का खर्च काटकर एक-एक रुपया चिकित्सा कोष में भेजा। इस प्रकार देखते-देखते तीन लाख से भी अधिक रुपये इकट्ठे हो गए। यह रकम पर्याप्त मानी गई और इसीलिए सहायता कोष को बंद कर देने की घोषणा की गई। फिर भी रुपये आते रहे। तब मित्रों ने रुपये लौटाने शुरू किए और कुछ लौटाए भी गए।

उन्हीं दिनों प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राहत कोष से नब्बे हज़ार रुपये जे० पी० के स्वास्थ्य सहायता कोष के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण के पास मई के प्रथम सप्ताह में भिजवाए थे। इस राशि को लौटाते हुए जे० पी० ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा :

बम्बई
११ जून १९७६,

" प्रिय इन्दिराजी,

मेरी चिकित्सा के लिए कृत्रिम गुर्दा मशीन (डायलाइजर) खरीदने हेतु अपने अपने रिलीफ फंड से जो नब्बे हज़ार रुपये भेजने की कृपा की है, उसके बारे में यह पत्र लिख रहा हूं। कुछ सप्ताह पूर्व श्री राधाकृष्ण ने प्रोफेसर पी० एन० धर की सलाह पर मेरे पास एक मित्र को यह पूछने के लिए भेजा था कि अगर आप मेरी चिकित्सा के लिए कुछ देंगी तो मैं उसे स्वीकार करूंगा या नहीं। मैंने 'हां' कह दिया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि आप जो रुपये देने वाली हैं, वह प्रधान मंत्री राहत कोष के रुपये हैं। मैं तो यह मान बैठा था कि आप अपने निजी कोष से ही कुछ देंगी, यद्यपि मैंने अगर ज़रा सोचा होता तो यह स्पष्ट हो जाता कि आपके लिए व्यक्ति-गत रूप से इतनी बड़ी रकम देना संभव नहीं था। चाहे जो हो, अब स्थिति यह है कि आपके कोष की रकम मिलने के पहले ही सर्वश्री रविशंकर

महाराज, स्वामी आनन्द (अब स्वर्गीय), श्री केदारनाथ जी तथा दादा धर्माधिकारी की अपील पर जनता से तीन लाख से भी अधिक रुपये इकट्ठे हो गए थे। उस रकम में से एक डायलाइजर मशीन और उसके पुर्जे तथा सालभर के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदी जा चुकी थी। एक-दो साल के लिए माहवार खर्च हेतु काफी रुपये बच भी गए हैं।

"इस विषय से संबंधित दो और बातों का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। एक तो यह कि समिति ने तय किया था कि केवल छोटी-छोटी रकमें ही स्वीकार की जाएंगी। कुछ मित्र बड़ी रकमें भी देना चाहते थे; परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया और उन मित्रों से भी छोटी रकमें ही ली गईं। दूसरी बात यह है कि श्री राधाकृष्ण को आपके रुपये मिलने के पहले ही समिति ने सार्वजनिक घोषणा करके कोष बंद कर दिया था क्योंकि आवश्यकता से अधिक चंदा आ चुका था।

"ऐसी परिस्थिति में मैं आपके राहत कोष से इतनी बड़ी रकम स्वीकार करूं यह ठीक नहीं है। राहत का काम इतना अधिक है कि राहत कोष का एक-एक पैसा वहीं खर्च होना चाहिए, जहां उसकी सबसे अधिक जरूरत है। इसलिए मैं श्री राधाकृष्ण को सलाह दे रहा हूं कि वह ड्राफ्ट जो उन्हें मिला है, लौटा दें। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगी और यह नहीं सोचेंगी कि मैं अकृतज्ञ और अशिष्ट हूं। अशिष्टिता का ख्याल बिलकुल मेरे मन में नहीं है। आपने मेरे स्वास्थ्य के लिए इतनी चिंता दिखाई है, इसके लिए मैं आभारी हूं।

"हार्दिक शुभेच्छाओं के साथ,

आपका सस्नेह,
जयप्रकाश नारायण"

श्रीमती इन्दिरा गांधी,
भारत की प्रधान मंत्री, नई दिल्ली।

२६ जून, १९७६ को भारतीय जनता पर कांग्रेसी शासन द्वारा थोपी गई तानाशाही का एक वर्ष पूरा हो गया। इस बीच हजारों बहादुर साथी जेल गए और दूसरे प्रकार की यातनाएं झेली हैं। उनका अपराध यही था कि भ्रष्ट तानाशाही के सामने झुकने से इन्कार किया। भारतीय जनता के गले में नई गुलामी का यह शिकंजा दिनोंदिन मजबूत बनाया जा रहा था।

इस अवसर पर जयप्रकाश ने आवाहन दिया :

प्रिय साथी,

२६ जून, १९७५ स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। २५ जून, १९७५ तक भारत एक कार्यशील लोकतंत्र था, और रातोंरात वह एक वैयक्तिक तानाशाही में बदल दिया गया। तानाशाह श्रीमती इन्दिरा गांधी का अब यह दावा है कि भारत एक लोकतंत्र है और वे ही उसकी सर्वोत्तम रक्षक हैं। मेरा सुझाव है कि जनता, खासकर युवा वर्ग, श्रीमती गांधी के इस दावे की कसौटी के तौर पर अगले २६ जून को सार्वजनिक सभाएं करें और जुलूस निकालकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करें।

सभाओं के साथ-साथ, मेरा सुझाव है कि सभी प्रकार की प्रकाशित सामग्री पर्चों से लेकर पुस्तिकाओं तक देश की विभिन्न भाषाओं में यथासंभव व्यापक पैमाने पर वितरित की जाए। २६ जून को लोक शिक्षण दिवस के रूप में मनाया जाए, और उस दिन जनता को नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ एक मुस्त समझाते हुए यह बताया जाए कि ये स्वतंत्रताएं न केवल लोकतंत्र को, बल्कि मानव सभ्यता मात्र की बुनियाद हैं।

मेरी समझ से इस दिन को मनाने का यही सबसे अच्छा ढंग होगा।

जयप्रकाश नारायण

सारे देश में २६ जून, १९७६ का दिन काले दिवस के रूप में मनाया गया। बिहार के मुंगेर जिले और शहर में कई सौ लोगों की भीड़ एस० डी० ओ० कोर्ट पर पहुंची। भीड़ ने आग्रह किया कि आज

काला दिवस है। आज इस तिरंगे की जगह काला झंडा फहराना होगा। काला झंडा लगा। इसी तरह बेतिया जिला कार्यालय पर भी काला झंडा फहराया गया। ऐसा बिहार में अनेक जगहों पर हुआ। इस सिलसिले में कोई पांच सौ कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए।

तानाशाही का लोकतांत्रिक विकल्प

२५ मई, १९७६ को बंबई में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित हुआ जिसके मुख्य आकर्षण थे जयप्रकाशजी, जिन्होंने उस दिन कांग्रेस के विकल्प में एक 'राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राजनीतिक दल' की स्थापना की घोषणा की। सम्मेलन में साठ पत्रकारों ने भाग लिया और आपात् स्थिति की घोषणा के बाद शायद पहली बार इतनी संख्या में पत्रकारों को जे० पी० के विचार सुनने को मिले। आरंभ में नाना साहब गोरे ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, फिर बंबई पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुन्दर राजन ने बंबई और देशभर के पत्रकारों की ओर से जयप्रकाशजी के स्वास्थ्य के प्रति शुभेच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "बहुत समय बाद, बहुत सारी घटनाओं के बाद, जयप्रकाशजी के खराब स्वास्थ्य के बीच यह पत्रकार सम्मेलन हो रहा है, अतः इसका विशेष महत्त्व है।" सम्मेलन में पत्रकारों के अलावा नाना साहब गोरे, एस० एम० जोशी, शांतिभूषण, मुहम्मद करीम छागला, दिग्विजयनारायण सिंह, एस० के० पाटिल, उत्तम राव पाटिल, बसंतकुमार पंडित (जनसंघ) उपस्थित थे। जयप्रकाशजी ने संक्षिप्त किंतु स्पष्ट शब्दों में नये दल की स्थापना की बात कही। इसके बाद उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। प्रश्नों के उत्तर जे० पी० के अलावा गोरे और जोशी ने भी दिए। प्रस्तुत हैं उस अवसर पर व्यक्त किए गए जे० पी० के विचार :

"इस पत्रकार सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित होंगे, इसकी आशा नहीं थी। फिर भी आप सब यहां आए इसके लिए धन्यवाद है।

"मेरे राजनीति के प्रति दृष्टिकोण से आप परिचित हैं। भारतीय राजनीति में दलों की बड़ी संख्या एक बड़ा सवाल बन गई है। यह

सवाल किसी ढंग से सुलझाना ही चाहिए। आज तक का हमारा अनुभव यह है कि दो बराबर शक्ति वाले दलों पर आधारित संसदीय लोकतंत्र का विकास हमारे देश में नहीं हो सका। निकट भविष्य में या सुदूर ऐसी स्थिति बन पाएगी, ऐसा नहीं लगता। फिर भी समान विचार वाले दलों को एकसाथ आना चाहिए। इसकी शुरुआत की जा रही है। दलों के इस एकीकरण में आज संगठन कांग्रेस, भालोद, भारतीय जनसंघ, समाजवादी दल शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे प्रमुख लोग भी हैं जो आज से पहले इनमें से किसी दल में नहीं थे। ये लोग इस नये दल में शरीक होंगे। इस प्रकार इस नये दल की जो स्थापना हो रही है, उसकी मैं बड़े हर्ष के साथ घोषणा करता हूं। इसके बाद दल का नाम तय करने, पदाधिकारी चुनने, दल का संविधान तैयार करने, आदि काम यथासमय पूरे होंगे। कुछ दलों को इकट्ठा करके नया दल बनाने की दृष्टि से नाना साहब गोरे के संयोजकत्व में एक सुझाव समिति बनाई गई थी। ऐसी ही एक छोटी समिति द्वारा कुछ पूर्व तैयारियां की जाएंगी। फिर, जून के तीसरे या अंतिम सप्ताह में बंबई में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। इस सम्मेलन में सभी औपचारिक बातें पूरी होंगी और तब से ही दल प्रत्यक्षतः अस्तित्व में आएगा। आज मैं इसे 'लोच' मात्र कर रहा हूं।

"अभी एक सबल विरोधी पक्ष नहीं है—यह अपने लोकतंत्र की एक कमी है। इसका अनुभव सभी को होता था। इस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं युवकों का आवाहन करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से युवकों से मेरे अत्यंत घनिष्ठ संबंध बने हैं। इसलिए जिन्हें शासक दल के विरोध में काम करने की रुचि है, ऐसे सभी युवकों को इस नये दल में शामिल होने का मैं आवाहन करता हूं। जिनको शासक दल के साथ संघर्ष की इच्छा है, वे अवश्य इस नये दल में शरीक हों।

"किसी भी दल की ओर से चुनाव लड़वाने और चुनाव की राजनीति में पड़ने का मेरा ध्येय नहीं। आज तक मैं किसी ग्राम पंचायत के चुनाव में भी नहीं उतरा हूं, यह आपको मालूम है। इस नये दल को मेरा यही

सुझाव है कि इसे केवल चुनाव की राजनीति में नहीं उलझना चाहिए। समाज-परिवर्तन अपना उद्देश्य होना चाहिए और नये दल को इसी दिशा में काम करना चाहिए। संसद के कामों की अपेक्षा बाहर समाज में लोगों के साथ काम करना, उन्हें संगठित करना, राष्ट्रीय प्रश्नों पर उन्हें साथ लेकर चलना, आदि बातों पर ज्यादा जोर रहना चाहिए। जनता को भी वास्तव में ऐसा ही विरोधी दल चाहिए।"

इसके बाद पत्रकारों ने कुछ प्रश्न पूछे। एक प्रश्न था : बाहर यह विलयन हो रहा है, क्या संसद और विधानसभाओं में भी इसी प्रकार एक दल की स्थापना की जाएगी ? उत्तर में जे० पी० ने कहा : "अभी जनता मोर्चा के रूप में अनेक स्थानों पर और संसद में भी काम हो रहा है। यह काम एकतापूर्वक हो रहा है। नये दल की स्थापना औपचारिक रूप से होते ही तेज गति से वहां भी विलयन होगा। दलों की पुरानी पहचान खत्म होने पर यह नया दल बना है, इसमें पुराने दलों की पहचान नहीं रहेगी,—ऐसा सभापति को सूचित किया जाएगा और विभिन्न दल नहीं रहेंगे।"

एक दूसरे प्रश्न पर कि क्या ये दल आपात् स्थिति के कारण एक हो रहे हैं, जे० पी० ने कहा—"दलों के विलयन का सवाल आपात् स्थिति से संबंधित नहीं है। बराबर बल वाले दलों के आधार पर लोकतंत्र को विकसित करना ही महत्त्व की बात है और इसे प्राप्त करने की दिशा में यह पहला कदम है। आपात्काल रहे या नहीं, यह प्रक्रिया तो चल ही रही थी। मेरी गिरफ्तारी के पहले एक बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी थी। समान विचारों वाले दलों को एक मंच पर आना चाहिए, यह बात पहले से ही चली आ रही है।"

प्रश्न : क्या आप इस नये दल के प्रधान होंगे ? उत्तर में जे० पी० ने कहा—"मैंने सलाह देना ही मान्य किया है और मेरा विचार-विनिमय करना इस नये दल की सीमा में मर्यादित है। किसी बात के संबंध में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी कुछ अगर पूछा तो इस दल की तरह उनसे भी खुले दिल से विचार-विनिमय, सलाह-मशविरा करने को मैं तैयार हूं (तेज हंसी)।"

यह पूछे जाने पर कि आपात् स्थिति की घोषणा के बाद जनता ने कोई संगठित विरोध नहीं प्रदर्शित किया, जे० पी० ने बताया—"लोगों ने विरोध नहीं व्यक्त किया, यह कहना सरासर गलत है। विरोध व्यक्त किया गया लेकिन वह कहीं भी प्रकाशित नहीं होने दिया गया। सैकड़ों जगह स्वतः स्फूर्त ढंग से हड़तालें हुईं, छात्र कालेजों से बाहर आ गए, बहिष्कार किया; लेकिन ये समाचार कहीं भी प्रकाशित नहीं हो सके।"

एक पत्रकार ने पूछा—"क्या आपात् स्थिति शिथिल की जा रही है ? गोरे ने कहा—"मुझे इसके कोई चिह्न नजर नहीं आते।" लेकिन जे० पी० बोले—"मैं नाना साहब की अपेक्षा अधिक आशावादी हूं। जिस प्रकार से अभी काम चल रहा है उसे ज्यादा दिनों तक टिकाए रखना संभव नहीं, ऐसा मुझे लगता है।"

पत्रकारों ने लगभग एक साल के बाद किसी सम्मेलन में ताजगी का अनुभव किया। उनके सिरों पर कम से कम उस क्षण सेंसर की तलवारें नहीं लटक रही थीं और वे मुक्त भाव से उस व्यक्ति से बातें कर रहे थे जो उनके लिए हमेशा से एक आदर्श बना रहा है। उनके मन में एक सवाल जरूर था—क्या यह मुक्ति के क्षण स्थायी रह सकेंगे ?

९ जुलाई को अशोक मेहता, एन० जी० गोरे और ओमप्रकाश त्यागी के संयुक्त हस्ताक्षरों से यह परिपत्र अपने दलों के कार्यकर्ताओं के नाम जारी किया गया :

"फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय लोकदल चारों दलों के संयुक्त और समायोजित कार्य करने के बारे में राजी नहीं है और वह तत्काल एक दल बनाने का आग्रह कर रहा है। हमारी हमेशा यह कोशिश रहनी चाहिए कि हम भारतीय लोकदल के साथ कार्य करने का आग्रह करते रहें। राज्य स्तर के संयुक्त कार्यक्रमों का फैसला करने की आदत डालें। हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और अगर हमने मिलजुलकर सामूहिक रूप से कार्य नहीं किया तो कठिनाइयां विकट हो जाएंगी। हमारे मिलकर काम करने से एक दल बनाने की प्रक्रिया तेज होगी, जिसके लिए हम सब सहमत हैं।"

यह उल्लेखनीय है कि ८ जुलाई को संयुक्त बैठक में जिसमें चौधरी

चरणसिंह, भानुप्रताप सिंह, ब्रह्मदत्त, अशोक मेहता, मनुभाई पटेल, एन० जी० गोरे, ओमप्रकाश त्यागी और सत्यप्रकाश शामिल थे, चौधरी चरण सिंह ने कहा—"मैं पक्के तौर पर मानता हूं कि नये दल में स्वयं सेवक संघ का कोई भी स्वयंसेवक सदस्य नहीं बन सकता। ना ही नये दल का कोई सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन सकता है। नये दल में दोहरी सदस्यता को गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी भी मिल सकता हूं लेकिन संयुक्त बैठक का मैं अब कोई अर्थ नहीं देखता। जब आप तीनों दल मिल जाएंगे तो हम मिलेंगे। सामूहिक रूप से कार्य करने के भी पक्ष में नहीं हूं। मुझे इसका बड़ा तजुर्बा है।"

रोहतक जेल में

पर रोहतक जेल में, सर्वथा एक दूसरे आयाम से, तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में सहज ही जनता पार्टी का जन्म हो रहा था। सुरेन्द्रमोहन, श्री आडवानी, सिकंदरबख्त, पीलू मोदी, भैरवसिंह शेखावत, एस० एन० मिश्र और श्री मलकानी के मानस मंथन से यह एक दल उदित हो रहा था। जेल के बाहर क्या हो रहा था, बंबई में क्या कुछ घट-बढ़ रहा था, जेल के भीतर इन्हें कुछ मालूम नहीं हो रहा था। पर वायुमंडल में ऐसा कुछ जरूर था, जिसकी चेतना इन्हें थी। उसी चेतना से जेल के भीतर मानस यज्ञ हो रहा था। यज्ञ की उस अग्नि में अलग-अलग दलों की इकाइयां पिघलकर एक आकार ले रही थीं। जैसे यज्ञ की अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ था और उसे याज्ञसेनी की संज्ञा मिली थी, ठीक उसी प्रकार जेल के मानस यज्ञ से द्रौपदी के समान जनता पार्टी का जन्म हो रहा था। द्रौपदी एक शक्ति थी जिसके पांच पति थे, जनता पार्टी भी उसी तरह एक लोकशक्ति थी।

प्रवासी भारतीयों का लंदन सम्मेलन

सम्मेलन का मूल स्वर था—तानाशाही की समाप्ति तक चैन नहीं लेंगे। भारत में लोकतंत्र को पुनः वापस लाने के लिए २४-२५ अप्रैल,

१९७६ को लंदन में हुए प्रवासी भारतीयों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा भारत की जनता पर थोपी गई आपात् स्थिति की कटु निन्दा करते हुए राजनीतिक बंदियों एवं विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली अमानवीय यातनाओं पर घोर चिन्ता व्यक्त की है। न्यायालयों को पंगु बनाकर, विचार-स्वातंत्र्य को समाप्त करके संविधान प्रदत्त समस्त मौलिक अधिकारों को स्थगित करके इन्दिरा गांधी इस समय भारत में जिस लोकतंत्र को चलाने का दावा कर रही हैं, सम्मेलन ने उसे राजनीतिक ढोंग और देश की जनता के साथ दगाबाजी की संज्ञा देते हुए कहा है कि इन्दिरा गांधी जिस राह पर चल रही हैं, वह लोकतंत्र की नहीं, हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन की राह है जो तानाशाही की मंजिल पर पहुंचकर ही समाप्त होती है।

सम्मेलन ने विश्व-भर के समस्त प्रवासी भारतीयों का आह्वान किया है कि वे भारत सरकार द्वारा समस्त नजरबंद एवं मानवाधिकारों से वंचित बंधुओं की सहायता हेतु एकजुट होकर खड़े हो जाएं और संभव साधनों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय जनमत को प्रशिक्षित करने के लिए यथोचित उपाय करें।

ढाई करोड़ से भी अधिक प्रवासी भारतीयों द्वारा इन्दिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध आयोजित यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें इंगलैंड, अमरीका, भारत, केनिया, मारीशस, तंजानिया, वेनेजुएला कनाडा, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी, सिंगापुर, जाम्बिया और त्रिनिदाद, आदि अनेक देशों से आए ३०० से भी अधिक प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारतीय जनसंघ के सांसद श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन में गुजरात की जनता मोर्चा सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री मकरंद देसाई विशेष रूप से उपस्थित थे। फ्रेंड्स आफ इंडिया सोसायटी के तत्त्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों का, सोसायटी के अध्यक्ष श्री कमलेश के० शारदा ने हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर प्रकाशित एक स्मारिका द्वारा भारत में इन्दिरा सरकार द्वारा किए जा रहे दमनपूर्ण कृत्यों एवं यातनाओं पर विस्तृत

एवं तथ्यात्मक प्रकाश डाला गया है। इस स्मारिका में गत २५ जून, १९७५ को दिल्ली के रामलीला मैदान की जनसभा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया अंतिम सार्वजनिक भाषण भी प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त श्री डी० डी० शाह द्वारा लिखित 'इमरजेंसी एंड आर० एस० एस०' और श्रीमती गांधी के नाम एक खुला पत्र विशेष रूप में पठनीय हैं। इसमें पुलिस अत्याचार से पीड़ित तथा घायलों के चित्र भी छापे गए हैं।

रूस द्वारा सत्ता हथियाने की आशंका

सम्मेलन के अध्यक्ष श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि अनेक पीढ़ियों से विदेशों में रह रहे ढाई करोड़ से भी अधिक प्रवासी भारतीयों का भारत में घटित होने वाली घटनाओं से बेहद बेचैन होना स्वाभाविक है। उनकी इस बेचैनी का कारण बताते हुए श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि विदेशों में रहने वाले प्रत्येक भारतीय हृदय में भारत के प्रति कल्याणकारी भावना निहित है। साथ ही वे जिस समाज में रहते हैं, वह उन्हें भारत में उत्पन स्थिति के लिए उत्तरदायी मानता है। इतना ही नहीं, विदेशस्थ भारतीयों का सम्मान एवं महत्त्व भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और महत्त्व के साथ संबद्ध है।

श्री स्वामी ने कहा कि संभव है, प्रारंभ में कुछ भारतीय सरकार के प्रचार के शिकार हो गए हों। किंतु धीरे-धीरे सत्यता उनके सामने प्रकट होने लगी। यही कारण है कि आज बहुसंख्यक प्रवासी भारतीय भारत की आंतरिक स्थिति से बेचैन हैं और वहां लोकतंत्र को पुनः वापस लाने के लिए केवल इच्छुक नहीं अपितु प्रयत्नशील भी हैं। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा अपने वादे से नित्य मुकरते जाना जैसे कि यह कहने के बाद भी कि आपात्कालीन स्थिति अस्थायी है, फिर भी उसे स्थायी बनाने की कोशिश और यह कहना कि केवल मुट्ठी-भर लोग ही गिरफ्तार किए गए हैं तथा उन्हें छोड़ भी दिया गया है, स्थिति सामान्य है, सरासर झूठा प्रचार है, जबकि पौने दो लाख से भी अधिक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिए गए। बंदी बनाए

जाने वालों की यह संख्या भारत के अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। यहां तक कि अंग्रेजों के शासन-काल में भी यह संख्या पैंतालीस हज़ार से अधिक कभी नहीं हुई। यह भी प्रवासी भारतीयों के लिए गंभीर चिन्ता का विषय बन गया है।

श्री स्वामी ने कहा कि इमरजेंसी के कारण भारत की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की स्थिरता गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। देश के अंदर अपने विचार व्यक्त करने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फलस्वरूप जनता विद्रोह की ओर बढ़ने लगी है। समाचारपत्रों पर सेंसरशिप लागू होने, प्रमुख व्यक्तियों एवं नेताओं सहित हजारों व्यक्तियों की नजरबंदी और सत्ता-शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेषकर रूस द्वारा भारतीय शासन का तख्ता पलटकर उसपर अपना एकाधिकार जमाने की योजनाएं पूर्ण करना आसान माना जा रहा है।

अपने भाषण के अंत में श्री स्वामी ने प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे समय की गति पहचानें और अपनी संपूर्ण शक्ति, बुद्धि लगाकर इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न करें कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है और वहां इस समय किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं? आपने प्रतिनिधियों से अपील की कि वे भारत की तानाशाही तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी योग्यताओं तथा प्रभाव का पूरा-पूरा उपयोग करें।

गुजरात सरकार कैसे गिराई गई

गुजरात की भंग जनता मोर्चा सरकार के भूतपूर्व मंत्री, श्री मकरंद देसाई ने कहा कि आपात्कालीन स्थिति के कारण प्राप्त राक्षसी अधिकारों का उपयोग इन्दिरा गांधी भारत में एक दलीय शासन की स्थापना करने के लिए कर रही हैं। जनता द्वारा निर्वाचित गुजरात की विधि-सम्मत जनता मोर्चे की सरकार को इन्दिरा गांधी ने नौकरशाही का दुरुपयोग करके अपदस्थ कर दिया। सत्तारूढ़ जनता मोर्चे के विधायकों को दल-बदल करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें धमकियां दी गईं

कि यदि उन्होंने मोर्चे से अपना संबंध विच्छेद नहीं किया तो उन्हें 'मीसा' के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। विधायकों के सामने दो विकल्प रखे गए या तो वे जनता मोर्चा सरकार का समर्थन बंद करके उससे अलग हो जाएं या फिर केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को भंग कर दिए जाने के बाद जेल जाने के लिए तैयार रहें। गुजरात सरकार को भंग करने के लिए पहले से ही मनगढ़ंत आधार तैयार किए जाने लगे। आकाशवाणी द्वारा केन्द्रीय मंत्री, कांग्रेस नेता तथा उसके समर्थक यह प्रचार करने लगे कि देश की आंतरिक सुरक्षा को संकट में डालने की साजिशें गुजरात में की जा रही हैं। राज्य सरकार के प्रमुख व्यक्तियों के विरुद्ध समाचारपत्रों के माध्यम से आरोप लगाए जाने लगे। किंतु आज जब कि राज्य सरकार अपदस्थ कर दी गई है, इस प्रकार के समाचार न जाने क्यों, स्वयंमेव बंद हो गए हैं।

श्री देसाई ने कहा कि राज्यसभा के लिए नियमानुसार निर्वाचित सदस्यों को अपने पद की शपथ लेने से रोक दिया गया। गुजरात विधान सभा से सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सब काम श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर किए जा रहे हैं। इस प्रकार गुजरात सरकार को भंग किए जाने के साथ ही १२ मार्च, १९७६ को भारत में लोकतंत्र का अंतिम अवशेष भी समाप्त हो गया। अब अपनी समस्त बुराइयों के साथ भारत में तानाशाही का दौर चालू हो गया है। श्री देसाई ने उपस्थित प्रतिनिधियों के माध्यम से विदेशों में रहने वाले ढाई करोड़ प्रवासी भारतीयों से अपील की कि वे अपनी मातृभूमि की आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा हेतु एक विश्व-व्यापी आंदोलन प्रारंभ करें।

प्रतिनिधियों के भाषण

सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा 'इमरजेंसी के परिणाम' विषय पर दिए गए भाषणों का सारांश :

डा० फारोक प्रेस वाला (न्यूयार्क सिटी) : आपने कहा कि धनियों की अपेक्षा गरीबों के लिए लोकतंत्र अधिक आवश्यक है। गरीबों की

समस्याओं को सुधारने एवं हल करने की ज़रूरत होती है। जबकि धनिक वर्ग अपनी समस्याएं किसी भी प्रकार की सरकार में स्वयं हल कर लेते हैं। यही कारण है कि भारत जैसे अविकसित देश के लिए लोकतंत्र की अति आवश्यकता है।

राजन सोनी (कोले विश्वविद्यालय) : आपने यह आशंका व्यक्त की कि गत कई वर्षों से पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से हमने अपनी आज़ादी खो दी है। यही कारण है कि इमरजेंसी के विरुद्ध किसी भी कोने से कोई शक्तिशाली स्वर सुनाई नहीं दिया।

डा० बी० के० हरदास (सर्जन, बोल्टव) : इमरजेंसी की प्रशंसा करने वाले ऐसे लोग हैं जो तथ्यों से सर्वथा अनभिज्ञ और सरकारी प्रचार के कारण गुमराह हो चुके हैं। आपने पूछा कि क्या हम केवल खाने के लिए ही जिन्दा हैं। उन्होंने कहा कि अब तो मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है, मैं इस परिस्थिति को समाप्त करने के लिए कुछ करना चाहता हूं।

श्री विनयचंद (छात्र इलफोर्ड) : आपने अत्यंत ही भावपूर्ण एवं ओजस्वी शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से संबंधित लोग देशद्रोही नहीं हैं। वे ही वास्तव में देश में एकता स्थापित कर सकते हैं। आपने इस बात पर बल दिया कि इस सम्मेलन के कारण प्राप्त अवसर का उपयोग हमें विश्व-भर में फैले भारतीयों को संगठित करने के लिए करना चाहिए। आपने भारत में लोकतंत्र की वापसी और बंदियों की रिहाई की ज़ोरदार मांग की।

नितिन मेहता : आपने कहा कि आज़ादी मिलने के बाद से ही भारत की मूलभूत संस्कृति और उसके समर्थकों का दमन शुरू हो गया। यह प्रक्रिया तत्काल बंद होनी चाहिए।

जयन्ती भाई (केनिया) : आपने यह विश्वास व्यक्त किया कि हम समय की मांग के अनुरूप नेतृत्व उत्पन्न करने में अवश्य सक्षम होंगे। आपने कहा कि हमें इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि भारत का मस्तक समस्त विश्व में कलंकित हो रहा है।

डा० गणेश्वरदयाल (म्यूनिच, पश्चिमी जर्मनी) : आपने कहा कि एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। आज श्रीमती

इन्दिरा गांधी यही कर रही हैं। आपने प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे महात्मा गांधी का अनुसरण करें; उन्होंने कहा था कि निर्भय बनें। उन्होंने कहा कि शब्दों में शक्ति होती है। सामान्य स्थिति उत्पन्न करने में जनमत की शक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आपने कहा कि विदेशी समाचारपत्र भी भारत में लागू आपात्कालीन स्थिति से प्रभावित हैं।

इकबाल दत्त (केनिया) : आपने कहा कि लोकतांत्रिक पद्धति को बिगाड़ने के लिए किए कृत्यों को सुधारने हेतु हमें संगठित होना पड़ेगा। हम १९४२ की तरह का एक आन्दोलन शुरू करेंगे।

श्री महेतानी (पश्चिमी जर्मनी) : आपने कहा कि भारतीय संस्कृति हिंसा का निषेध करती है। किन्तु यदि हमने दृढ़तापूर्वक आज की परिस्थिति का प्रतिरोध न किया तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नपुंसक माने जाएंगे।

श्रीमती राजन कुलकर्णी : आपने इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की कि चुनाव में साड़ियां, शराब और धन का वितरण करके चुनाव जीतने के भ्रष्ट तरीकों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नष्ट की जा रही हैं। देश के युवा वर्ग पर इसका अत्यन्त ही विनाशकारी परिणाम होता है। हमें लोकतंत्र को उसके सही परिप्रेक्ष्य में स्थापित करना होगा।

श्री जे० एन० ग्रेव (छाय-लोसेस्टर) : भारतीय गौरव और लोकतंत्र की पुनः प्रतिष्ठा के लिए एक दृढ़ और लोकप्रिय नेतृत्व की आवश्यकता है।

खुले अधिवेशन में हुई बसह का समापन करते हुए सभापति, श्री मकरन्द देसाई ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों के विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दे प्रस्तुत किए :

(१) यदि इमरजेंसी को अधिक दिनों तक चलने दिया गया तो क्या सत्तारूढ़ कांग्रेस में वह सामार्थ्य, इच्छा-शक्ति और समर्पण की भावना है।

(२) क्या इमरजेंसी का उपयोग देश की जटिल एवं बड़ी-बड़ी समस्याओं यथा बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अकुशलता

आदि को दूर करने के लिए किया गया ?

(३) भारत जैसे देश की विशालता एवं विविधता को देखते हुए क्या वहां तानाशाही की स्थापना होने की परिस्थितियां उपलब्ध हैं ?

सम्मेलन में प्रस्तुत दस्तावेज

उक्त सम्मेलन में दो विषयों पर गवेषणापूर्ण प्रबन्ध पढ़े गए। पहला प्रबन्ध भारत में लोकतंत्र की पुनर्प्रतिष्ठा विषय पर मारीशस के श्री देव रामचरण ने और दूसरा भारत में इमरजेंसी के परिणाम विषय पर श्री महेश मेहता और अनित मेहता ने प्रस्तुत किया।

डा० रामचरण ने अपने प्रबन्ध में कहा कि भारतमाता को अपमानित करने वाली इस भयंकर स्थिति को समाप्त करने के लिए प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी उतना ही चिंतित होना चाहिए जितना कि अन्य लोग परेशान एवं चिंतित हैं।

श्री अनित मेहता ने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारतीय आस्था की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। किन्तु भारतीय जनता इस एकाधिकारवादी शासन से अपनी मुक्ति के लिए, वीर भारतीय उसी प्रकार संघर्ष करेंगे जिस प्रकार उन्होंने विदेशी सत्ता की गुलामी आज़ाद होने के लिए की थी।

'न्यूयार्क टाइम्स' की टिप्पणी

अपने २५ अप्रैल, १९७६ के अंक में 'न्यूयार्क टाइम्स' ने लन्दन सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा :

विदेशस्थ भारतीयों ने आज इन्दिरा गांधी द्वारा लागू की गई इमरजेंसी का विरोध करते हुए यह घोषणा की कि भारत में लोकतंत्र की पुनः वापसी के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाएंगे।

इस सम्मेलन में लगभग तीन सौ प्रतिनिधि उपस्थित थे जिनमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट, प्राध्यापक, व्यापारी तथा छात्रों की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। इसमें इंग्लैंड के अतिरिक्त अमरीका, केनिया, वेनेजुएला, पश्चिमी जर्मनी और अन्य अनेक

यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार हुआ उनमें भारत की आर्थिक, राजनीतिक स्थिति और मानवाधिकारों को हनन किए जाने की समस्या प्रमुख विषय थे।

सम्मेलन का समर्थन करने वाले जो संदेश भारत से प्राप्त हुए, उनमें श्री एन० जी० गोरे, टी० एन० सिंह, चौ० चरणसिंह और श्री नम्बूदरीपाद के नाम उल्लेखनीय हैं।

सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव

फ्रेंड्स आफ इंडिया सोसायटी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भारत की आंतरिक स्थिति पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए जो प्रस्ताव पारित किए गए उनमें कहा गया है कि विदेश स्थित हम भारतीय वहां की जेलों में और बाहर भी पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार एवं यातना के समाचारों से बहुत ही आतंकित हैं। इस प्रकार की घटनाएं मानवाधिकारों का खुला अपमान और उल्लंघन हैं। समाचारपत्रों पर सेंसर लागू होने और गुप्तता की कड़ी व्यवस्था के भी जो समाचार प्राप्त हुए हैं, वे उस असीम अत्याचार के अंश मात्र हैं जो भारत की जनता को नित्य प्रति झेलने पड़ रहे हैं। भारत की जनता पर इस प्रकार का जुल्म ढाने वाली इन्दिरा गांधी की सरकार की हम कटु निन्दा करते हैं। इस प्रकार के अमानुषिक कृत्य करने वालों को जब तक उनके किए का प्रतिफल नहीं मिल जाता, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। साथ ही हम यह भी संकल्प करते हैं—इन्दिरा सरकार द्वारा मानवाधिकारों के प्रति किए जा रहे इस जघन्य अपराध का प्रतिकार करने के लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। इस प्रथम कदम के रूप में हम कल २६ अप्रैल को भारत की जेलों में नज़रबंद बन्धुओं के समर्थन में एक दिन का उपवास एवं प्रार्थना करेंगे।

इसी प्रकार इमरजेंसी की अवधि बढ़ाई जाने की निन्दा, समाचारपत्रों पर सेंसर, चुनावों के निरंतर स्थगन पर, मूलाधिकारों के हनन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उसे अलोकतांत्रिक कदम बताकर पारित किए गए प्रस्तावों में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में इन्दिरा गांधी द्वारा दिए

जाने वाले भाषण तर्कहीन हैं। भारत में लोकतंत्र की पुनः वापसी के लिए ढाई करोड़ प्रवासी भारतीयों सहित संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जनमत को प्रशिक्षित करने का भी सम्मेलन में संकल्प व्यक्त किया गया।

'आब्जर्वर' की रिपोर्ट

'आब्जर्वर' (लंदन) द्वारा प्रकाशित समाचार में सम्मेलन में भाग लेने वाले जिन प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं उनमें नोबुल पुरस्कार विजेता, सत्तासी वर्षीय फिलिप नोयल बेकर और उनके अड़तालीस वर्षीय सचिव, श्री एन० एस० हाड़ा भी हैं। श्री हाड़ा अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स फेडरेशन के महामंत्री और सोशलिस्ट इंटरनेशनल के तीसरे विश्व विभाग के अध्यक्ष भी हैं। श्री बेकर गत जुलाई में गठित की गई श्री जे० पी० मुक्ति अभियान समिति के अध्यक्ष हैं।

'आब्जर्वर' ने लिखा कि जे० पी० के स्वास्थ्य की गंभीरता एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उन्हें गत नवम्बर में रिहा कर दिया गया था किन्तु अनुमानतः अब भी ७०,००० से, १,४०,००० तक व्यक्ति भारत की विभिन्न जेलों में बिना मुकदमा चलाए नज़रबंद हैं। अभी कुछ महीने पूर्व तमिलनाडु और गुजरात की सरकारें भंग किए जाने के बाद अनुमानतः १६, ००० से भी अधिक व्यक्तियों को जेलों में नज़रबंद कर दिया गया है। भारत में भय एवं आतंक का वातावरण छाया हुआ है। इस सम्बन्ध में भारत से आने वाले पत्रों पर लीडर अपने हस्ताक्षर करने में घबराते हैं।

'समाचार'

'विल द न्यूज'। गत २१ मार्च को बंबई में प्रमुख विरोधी दलों की बैठक जे० पी० के साथ हुई। इन दलों ने एकीकरण का प्रस्ताव पारित किया तथा यह समाचार सभी समाचार ऐजेंसियों को भेज दिया। समाचार सभी प्रमुख समाचारपत्रों में छपने के लिए तैयार हो गया। टेलिप्रिंटर पर समाचार पूरे देश में प्रसारित हो गया, परन्तु भारतीय लोकतंत्र की सजग प्रहरी श्रीमती गांधी के आदेश पर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने तुरन्त टेलिफोन से सभी एजेंसियों को सूचना भेजी—'किल दिस न्यूज

इस समाचार को खत्म करो। और इस प्रकार लोकतंत्र के नये ढांचे में जिसे श्रीमती गांधी ने खड़ा किया है विरोधी पार्टियों की महत्त्वपूर्ण गतिविधि (जिसे किसी भी तरह देशद्रोही नहीं कहा जा सकता) के समाचार को खत्म कर दिया गया।

परन्तु बंबई के स्थानीय साहसी एवं निर्भीक गुजराती दैनिक 'जन्म-भूमि' ने इस प्रस्ताव को छाप दिया, और वह वितरित हो गया। दूसरे दिन वहां के सेंसर बोर्ड ने आदेश जारी किया कि उसे सारी सामग्री छापने से पहले प्री-सेंसरशिप में देना होगा, तब से, 'जन्मभूमि' प्री-सेंसरशिप के बाद ही छपता रहा।

जयप्रकाशजी १८ जुलाई को पटना के लिए रवाना होंगे। राह में १९ तारीख को वे विनोबाजी से भेंट करेंगे।

एक अंदाज के अनुसार पिछले एक वर्ष में भारत की विभिन्न जेलों में एक सौ लोगों की मृत्यु हुई। ताजा समाचार नीचे लिखे लोगों के अवसान के हैं :

१. श्री भैरव भारती, ट्रेड यूनियन नेता, मध्य प्रदेश, की किसी जेल में।

२. दिल्ली के भालोद पक्ष के उपाध्यक्ष, श्री मोहनलाल जाटव जिनको बीमारी के कारण पेरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन गुप्तचर दफ्तर में बातचीत करने के लिए बुलाया गया, तभी उनकी मृत्यु हुई।

३. शहादरा के जनसंघ के अध्यक्ष, वैद्य बैजनाथ कपिल की मृत्यु तिहाड़ जेल में हुई।

४. दिल्ली के जनसंघी म्युनिसिपल कौंसलर, तिलकराज नरूला की मृत्यु तिहाड़ जेल में हुई।

५. उरण के श्री पटवर्धन की मृत्यु महाराष्ट्र को थाना जेल में हुई।

मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों से लाठीचार्ज तथा अन्य अत्याचारों के समाचार आते रहते हैं। जार्ज फर्नांडीज की ७० साल की माता श्रीमती एलिस फर्नांडीज ने राष्ट्रपति के नाम एक विस्तृत पत्र में अपने दूसरे

पुत्र, श्री लारेंस पर कर्नाटक पुलिस द्वारा किए गए क्रूर अत्याचारों की काली कहानी लिखी है। लारेंस फर्नांडीज को २० दिनों तक लगातार यातनाएं दी गईं, जिसके कारण उनका बायां अंग सुन्न पड़ गया। उनको जार्ज के बारे में जानकारी न देने पर रेल के तले कुचलने की धमकी दी गई। राष्ट्रपति, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, आदि से श्रीमती फर्नांडीज के पत्र की पहुंच तक नहीं मिली है।

अमरीका में 'इंडियन्स फार डेमोक्रेसी' नामक संस्था ने संयुक्त राष्ट्र संस्था के मानवीय अधिकार कमीशन के पास १८ मई, १९७६ को भारत में मानवीय अधिकारों पर होने वाले आक्रमण के बारे में जांच करने की अपील की है।

अंग्रेजी की 'ओपिनियन' पत्रिका के संपादक श्री ए० डी० गोरवाला से २,५०० रुपये का डिपोजिट मांगा गया। किन्तु बंबई हाईकोर्ट ने उस आदेश को फिलहाल रोक दिया है। पंद्रह साल से यह पत्रिका जहां से छप रही थी, उस प्रेस के मुद्रक पर दबाव पड़ने के कारण उन्होंने अपने यहां से मुद्रण करने की असमर्थता प्रकट की है। अतः अब 'ओपिनियन' साइक्लोस्टाइल होता है।

गुजराती के 'भूमिपुत्र,' दशवारिक की गुजरात हाईकोर्ट में जीत होने के बाद केन्द्रीय सेंसर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इस बीच अलग-अलग कारणों से दूसरी चार नोटिसें 'भूमिपुत्र' के संपादक या मुद्रक पर आई हैं। लेकिन अभी तक तो 'भूमिपुत्र' का प्रकाशन निर्भीकता से हो रहा है।

१९-२० जून को बंबई में जनतंत्र परिषद की वार्षिक सभा श्री एस० एम० जोशी की अध्यक्षता में हुई। देश के विभिन्न प्रदेशों से खासी संख्या में प्रतिनिधि उपस्थित थे। अध्यक्ष के अलावा सर्वश्री जयप्रकाश नारायण, मुहम्मद करीम छागला, मीनू मसानी, चिमनलाल शाह, सोली सोराबजी, चंद्रकांत दरु, कृष्णाबाई नीमकर, ए० बी० शाह आदि के प्रेरक प्रवचन हुए। परिषद में पारित प्रस्तावों का सारांश निम्नलिखित है :

१. भारत की लोकसभा के चुनाव मार्च, १९७७ से पहले होने चाहिए और इन चुनावों को सफल करने के लिए चुनाव से पहले :—

(i) सारे राजनैतिक बंदियों को मुक्त करना, (ii) प्रेस की पाबंदियों को दूर करना तथा (iii) आम सभाओं से प्रतिबंध हट जाना चाहिए।

२. लोकसभा के सदस्यों की अवधि समाप्त हो गई है, तब उनके द्वारा राष्ट्र के संविधान में परिवर्तन की चेष्टा की परिषद भर्त्सना करती है। नये संदर्भ में संशोधन हों तब आंतरिक विद्रोह की संभावना के बिना इमरजेंसी घोषित न हो।

(i) इमरजेंसी की घोषणा और राष्ट्रपति शासन की घोषणा दोनों के खिलाफ न्यायालयों में जाने की छूट होनी चाहिए।

(ii) केवल इमरजेंसी में ही मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं।

(iii) लेकिन इससे सामान्य न्याय-व्यवस्था स्थगित नहीं मानी जानी चाहिए।

परिषद ने इसी प्रस्ताव में यह भी आग्रह किया कि संविधान की मूल रचना में परिवर्तन सर्व सामान्य रेफरेंडम के बिना नहीं होना चाहिए।

(३) जनतंत्र के सुचारु रूप से चलने के लिए प्रेस मुक्त होना चाहिए। आपत्तिजनक साहित्य के प्रकाशन वाले कानून को संविधान की ९वीं सूची में दाखिल करने का भी परिषद ने घोर विरोध किया।

(४) स्वतंत्र-न्याय व्यवस्था का परिषद ने आग्रह किया और यह भी कहा कि जजों का स्थानांतर उनकी सम्मति के बिना न किया जाए।

(५) इमरजेंसी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है क्योंकि आजकल अधिकारियों को असीम अधिकार दे दिए गए हैं।

(६) कैदियों तथा डिटेन्युओं के साथ होने वाले बर्ताव के बारे में परिषद ने चिंता व्यक्त की और 'मीसा' बंदियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की।

(७) जनतंत्र परिषद के कार्यक्रम के प्रस्ताव में छोटी सभाएं, समाचार पत्रिका निकालना, पुस्तिकाएं प्रकाशित करना, अभ्यास वर्तुल चलाना तथा युवकों के शिविर लेना मुख्य था।

(८) संगठन संबंधी प्रस्ताव में केवल बुद्धिजीवियों तक मर्यादित न रहते हुए ग्रामों तथा शहरों में मुहल्लों तक प्रवेश करने का संकल्प किया

गया।

कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में ७०० बंदियों ने उनको दी जाने वाली सुविधाएं बंद हो जाने के कारण चार दिनों तक अनशन किया।

कुछ 'मीसा' बंदियों को इसके कारण ऐसी जेलों में हटाया गया, जहां कोई सुविधा नहीं थी। सर्वश्री स्वराज बंधु भट्टाचार्य, सुशील धाड़ा, विमान मित्र को बीमारी के समाचार मिले हैं।

'गांवकरी' पत्रिका में विनोबा जी का अनशन संकल्प छापने के कारण उनसे २५००० रुपये की जमानत मांगी गई।

मुंगेर जिले में मंत्रियों की सभाओं का बहिष्कार किया गया।

आरा में १० मई को एक मशाल जुलूस निकाला गया।

छात्रों के विरोध के कारण बिहार के मुख्य मंत्री पटना में एक जगह सभा न कर पाए।

एक वर्ष पच्चीस दिनों बाद

बम्बई से १८ जुलाई, १९७६ को प्रातः साढ़े सात बजे हवाई जहाज से जे० पी० नागपुर के लिए रवाना हुए। कड़ी पाबन्दी के बावजूद हजारों लोगों ने जयघोष के साथ लोकनायक को भावभीनी विदाई दी। नागपुर में काफी बड़ी संख्या में लोगों के साथ आर० के० पाटिल ने जे० पी० का स्वागत किया। कुछ लोग जो अब तक भूमिगत थे, गिरफ्तार भी हुए।

सुबह आठ बजकर पैंतालिस मिनटका समय था, नागपुर से कार द्वारा जे० पी० पवनार आश्रम विनोबा भावे से मिलने के लिए रवाना हुए। आचार्य भावे से लोकनायक जे० पी० का मिलन बड़ा मार्मिक था। उनसे मिलते ही विनोबाजी की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और बहुत देर तक कुछ बोल नहीं सके। जे० पी० का भी गला भर आया। दोनों एक-दूसरे को बहुत देर तक मूक, किन्तु आर्द्र आंखों से एकटक देखते रहे। फिर ज० पी० के निवास-स्थान पर विनोबाजी और जे० पी० में काफी देर तक वार्तालाप हुआ। विनोबा ने कहा—हम तो आजकल ओपेन जेल में हैं, लेकिन अगर इन्दिराजी हमसे मिलने आएंगी तो हम उनसे

जरूर कहेंगे कि देश में सत्य का हनन हो रहा है और कायरता बढ़ रही है, इससे नैतिक अधःपतन हो रहा है। वार्तालाप काफी आशाजनक रहा। वार्तालाप के समय श्रीमती कुसुम देशपांडे, सर्वश्री नारायण देसाई, कृष्णराज मेहता, आदि लोग उपस्थित थे। १८ जुलाई की रात जे० पी० ने पवनार में ही बिताई। १९ जुलाई की सुबह कार से नागपुर के लिए विदा हुए। नागपुर से ९-१० बजे सुबह विमान द्वारा कलकत्ता के लिए रवाना हुए और वहां पौने ग्यारह बजे दिन में पहुंचे। कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे पर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और सर्वोदय नेताओं ने उनका हार्दिक स्वागत किया। कलकत्ता में जे० पी० के आगमन की खबर ने वहां के जन-जीवन में काफी हलचल पैदा कर दी, इसलिए सेना को सतर्क कर दिया गया। जे० पी० के कलकत्ता आगमन पर बहुत-से लोग गिरफ्तार कर लिए गए।

१९ जुलाई की रात को जे० पी० कलकत्ता में अपने साले श्री शिवनाथ प्रसाद के यहां ठहरे। दूसरे दिन सवेरे २० जुलाई को विमान द्वारा पटना के लिए रवाना हुए। सुबह ९ बजे पटना हवाई अड्डे पर उतरे। उनके साथ उनके छोटे भाई श्री राजेश्वरप्रसाद, जसलोक अस्पताल के मुख्य गुर्दा विशेषज्ञ डा० एन० के० मणि, कुमारी जानकी पांडेय (जिन्होंने डायलाइजर यंत्र चलाने की ट्रेनिंग ली है) और गुलाब (जे० पी० के व्यक्तिगत सेवक) भी थे। पटना हवाई अड्डे पर सर्वश्री गंगाशरण सिंह, समाजवादी नेता प्रणव चटर्जी, जे० पी० के निजी सचिव सच्चिदानन्द (जो पैरोल पर जेल से छूटे हुए हैं), ललित बाबू, जयनारायण सहाय, आदि लोगों ने सी० आर० पी० के कड़े पहरे में जे० पी० का स्वागत किया। बिहार के कोने-कोने से आए हजारों लोगों को तानाशाही सरकार ने हवाई अड्डे के अंदर जाने नहीं दिया बल्कि एक हज़ार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हवाई अड्डे से कदम कुआं के बीच सात-आठ जगहों पर तरुणों ने 'लोकनायक जयप्रकाश—ज़िंदाबाद' के नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां सुनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों को लाठी से पीटा भी गया।

जे० पी० के आगमन के तीन-चार दिनों पूर्व ही सरकार द्वारा यह

धुआंधार प्रचार करवाया जा रहा था कि जो भी जे० [illegible] के स्वागत के लिए जाएगा, उसे दो या तीन वर्षों की कैद [illegible] मिलेगी। इस आतंक के वातावरण में भी युवकों ने पटना शहर [illegible] दीवारों को 'लोकनायक ज़िंदाबाद' के नारों से रंग दिया। जे० पी० ?? अप हावड़ा दिल्ली एक्सप्रेस से जाने वाले थे किन्तु सरकार ने उनका ट्रेन से जाने का कार्यक्रम रद्द करवाकर विमान से जाने दिया। हावड़ा और पटना स्टेशनों के बीच बहुत-से स्टेशनों पर हज़ारों व्यक्तियों को रात-भर इंतज़ार कर निराश होकर लौट जाना पड़ा। पटना जिलाधीश को यह आदेश दिया गया था कि २० जुलाई को जे० पी० के स्वागत के लिए कोई भी पटना नहीं आ सके। बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर जिन लोगों पर शक हुआ, उन्हें टिकट रहने के बावजूद नहीं आने दिया गया।

करीब एक सौ से ज्यादा जीप और ट्रकों के बीच, जिनमें संगीनधारी सी० आर० पी० और सरकारी पदाधिकारी 'वायरलेस' के साथ बैठे थे, लोकनायक की जीप थी। उन्हें रास्ते में कहीं रुकने नहीं दिया गया और न ही उनकी गाड़ी की गति ४० किलोमीटर प्रति घंटे से कम होने दी गई।

इस तरह लोकनायक कदम कुआं स्थित अपने निवास-स्थान, महिला चर्खा समिति पहुंचे, जहां की बहनों ने उनकी आरती उतारी। सैकड़ों युवकों ने उनके घर के अहाते में घुसकर 'लोकनायक ज़िंदाबाद' के नारे लगाए। वे लड़के जब जे० पी० के घर के बाहर निकले तो उनमें से बहुतों को गिरफ्तार कर लिया गया। जे० पी० के निवास-स्थान के पास पुलिस और सी० आई० डी० का कड़ा पहरा बैठा दिया गया।

जे० पी० के निवास-स्थान पर पटना में प्रथम बार जे० पी० का 'डायलेसिस' हुआ और बहुत ही सफल रहा। डा० मणि की देखरेख में डायलेसिस का आपरेशन हुआ जिसमें जे० पी० के सचिव श्री टी० अब्राहम, जिन्होंने कृत्रिम गुर्दा यंत्र संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिसमें सिद्धहस्त हो गए हैं, ने कुमारी जानकी पांडेय के सहयोग से उक्त यंत्र का संचालन सफलतापूर्वक किया, जिसकी प्रक्रिया सात घंटे में पूरी हुई।

पटना पहुंचते ही अगले दिनों लोकनायक को छात्र युवा संघर्ष

वाहिनी का यह पत्र मिला : सेनानायक के नाम. वाहिनी का खुला पत्र :

आदरणीय सेनानायक,

वाहिनी की ओर से आपको क्रांतिकारी का सलाम।

आप बिहार आ गए। वाहिनी के कई सैनिक आप तक नहीं पहुंच सके कि आपके शुभागमन पर आपका सेनानायक के अनुरूप स्वागत करते, गणवेश में आपको सलामी देते क्योंकि सैनिक युद्ध के मैदान में हैं, बिहार के कोने-कोने में संघर्षरत हैं। वाहिनी के सैनिक युद्धक्षेत्र से ही आपको सलाम भेजते हैं (कई सैनिक आप तक भेजे गए लेकिन वे तानाशाह के द्वारा बंदी बना लिए गए)।

सेनानायक, हम खुश हैं। आप हमारे बीच आ गए हैं, हमारा साहस, हमारी शक्ति द्विगुणित हो उठी है।

आप और वाहिनी के बीच के तेरह महीनों का फासला किस तरह तय हुआ, यह अब इतिहास की बात हो गई है। आपकी अनुपस्थिति में वाहिनी किन-किन यंत्रणाओं और आक्रमणों के बीच लड़ती रही, यह तो अब बीते कल की बात हो गई। फिर भी कल की बाबत, वाहिनी के सैनिक आपको विश्वास दिलाते हैं—अपने आंसुओं को हमने अपनी आंखों में संजोकर रखा, उन्हें खोया नहीं। उसी तरह, जिस तरह हम अपने हृदय में संघर्ष की आग को प्रज्वलित रखे हुए हैं। आपकी सीख—क्रांति की आग (को) करुणा का नेह—हम भूले नहीं, कठोर से कठोर यातनाओं के बीच भी।

आपके आदेश के अभाव में भी वाहिनी के सैनिक गलत नहीं रहे, संघर्ष के क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाई, आंखें नहीं झुकाईं। हम जिंदा रहे। पूरी ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ, हमने उन मूल्यों को जिंदा रखने का प्रयास किया जिनको आपके नेतृत्व में हमने देखा-परखा, पहचाना-सीखा। उन मूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे, जिनको देश में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए हमने आपके समक्ष कसमें खाई थीं।

सन् १९७५ वाहिनी के संगठन का प्रारंभिक दौर था। सारे सैनिक बिखरे हुए थे। वे जुड़ने के प्रयास में थे, सभी अप्रशिक्षित अथवा अर्द्ध-

प्रशिक्षित। फिर भी वाहिनी तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष में कूद पड़ी। बिहार की जेलें वाहिनी का प्रशिक्षण शिविर बनीं। आज भी सैकड़ों सैनिक जेलों में कैद हैं। उनका जोश और आक्रोश लगातार कायम है कि हम कैद हैं, गुलाम नहीं। न हम गुलाम हैं, न गुलाम रहेंगे। देश में हम लोकतंत्र अवश्य लाएंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से सजा लोकतंत्र।

सेनानायक, आज सैकड़ों सैनिक, बिहार के कोने-कोने में भूमिगत होकर संगठन और संघर्ष में तत्पर हैं। सभी सैनिकों को आपके आदेश की प्रतीक्षा है। नये आदेश की, नयी गर्जना की।

आप आदेश दें। वाहिनी आपको विश्वास दिलाती है कि वह एक नहीं, हजारों तानाशाहों के विरुद्ध संघर्ष करने को तैयार है। वाहिनी के सैनिक का यह प्रण है कि जब तक वाहिनी का एक भी सैनिक जिंदा है, क्रांति की आग धधकती रहेगी।

संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद।

आपके आदेश की प्रतीक्षा में,

छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी

इस 'भूमिगत' क्षेत्र से आए पत्र के जवाब में ३० जुलाई को जे० पी० ने लिखा—" गत २० जुलाई को मैं बिहार लौटा हूं। बंबई के डाक्टरों की अब भी इच्छा नहीं थी कि मैं यहां आऊं, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर बीच में मेरी तबियत कुछ खराब हुई तो यहां आवश्यक उपचार नहीं हो सकेगा। परन्तु वहां मुझे चैन नहीं था। मैं अपने स्थान पर लौटना चाहता था, इसलिए लौट आया।

" लेकिन मैं कोई सक्रिय रूप से आंदोलन का संचालन करने के लिए बिहार नहीं लौटा हूं। एक घायल सिपाही की तरह बिस्तर पर पड़ा हूं। थोड़ा-बहुत घूम-फिर सकता हूं। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो जाने के कारण कृत्रिम गुर्दा मशीन के सहारे जिंदा हूं और इस मशीन से बंधा होने के कारण बिहार का भी दौरा नहीं कर सकता।

" ऐसी स्थिति में आंदोलन के साथियों के लिए क्या संदेश दूं ? यह आंदोलन तो बिहार के छात्रों और युवकों ने शुरू किया था। मैं तो बाद में इसमें शामिल हुआ और उनके आग्रह से इसकी बागडोर हाथ में ली।

गे चलकर उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति
ी संज्ञा मैंने दी। समाज और व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में क्रांति-
ारी परिवर्तन हो और व्यक्ति और समाज का विकास हो, दोनों ऊंचा
ठें, इसके लिए यह आंदोलन है। यह आंदोलन केवल शासन बदलने के
ए नहीं है, व्यक्ति और समाज को बदलने के लिए है। इसलिए मैंने
सको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया है। आप इसे समग्र क्रांति भी कह सकते
। समग्र और संपूर्ण में अर्थ की भिन्नता तो ज़रूर है, लेकिन मेरे लिए
नों एक ही हैं। समग्र क्रांति भी संपूर्ण में क्रांति हो सकती है। इसमें
गर पूर्णता जोड़ दी जाए तो संपूर्ण समग्र क्रांति हुई। यह कोई एक
न में या एक-दो साल में होने वाली बात नहीं है। इसके लिए लम्बे
से तक संघर्ष चलाना होगा, जूझना होगा और बलिदान करने होंगे।

" अभी तो ऐसी परिस्थिति है कि जनता भयभीत है और नेता तथा
र्यकर्ता हज़ारों की संख्या में जेलों में बंद हैं तो संभव है कि पिछले साल
स रूप में क्रांति चल रही थी, उस रूप में उसे चलाने वालों की अनुप-
थिति में वह न चले। परन्तु चूंकि हर क्षेत्र में यह क्रांति करनी है, इस-
ए मेरा तो सबसे निवेदन है कि अगर आप देश और समाज के लिए
चते हैं तो आपको इस क्रांति में योगदान देना चाहिए। शिक्षा का ही
त्र लीजिए। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में आमूल
रिवर्तन होना चाहिए, ऐसी एक आम राय है। शिक्षा शास्त्रियों की भी
य है। कोठारी कमीशन की भी राय थी। लेकिन इस दिशा में बहुत
ड़ा ही काम हुआ है और विद्यार्थियों में घोर असंतोष है, क्योंकि वह
क्षा दोषपूर्ण और उनका भविष्य अन्धकारमय है। इनके असंतोष को
भी दबा दिया गया है। लेकिन वह असंतोष तो इनके मन में छिपा
या है। वह फिर कभी न कभी समय पाकर उभरेगा। इससे समस्या
हल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार की बातें, इस
कार के विस्फोट जब होते हैं तो समाज को, समाज के नेताओं को एक
तावनी मिलती है कि अब संभल जाओ, सर्वनाश होगा, रास्ता अपना
दलो। कुछ सोचो समझो, कुछ करो।

" अभी तो मैं देखता हूं कि इस दिशा में जो कुछ कर सकते थे, वे जेल

में हैं और बाकी जो बाहर हैं और शासन में हैं, वे चाहे इन्दिरा गांधी हों या और कोई हों, यही समझते हैं कि जनता को दबाकर रखना चाहिए, जनता पर शासन करना चाहिए, हम शासक हैं, इसलिए जनता को हमारा आदेश पालन करना चाहिए शांतिमय रहकर। जनता का सहयोग प्राप्त करने की बातें बहुत होती हैं। लेकिन इस प्रकार जनता को गुलाम रखकर उसका सहयोग प्राप्त करना असभव है। स्थिति प्रत्यक्ष है, सामने है।

" अब यह स्थिति कब तक चलेगी, मैं नहीं कह सकता। अभी लोक-तंत्र का संपूर्ण वध तो नहीं हुआ है लेकिन वह सिसक रहा है, दम तोड़ रहा है, ऐसा लगता है। फिर भी मुझे विश्वास है 'लोक' के ऊपर, जनता के ऊपर। मैं मानता हूं कि यह स्थिति असह्य होगी उसके लिए। और आज हो या कल हो या परसों हो, निकट भविष्य में ही जन आंदोलन फिर उभरेगा। चाहे वह विस्फोट के रूप में हो या उसका शांतिमय रूप हो, आंदोलन फिर से छिड़ने वाला है और परिवर्तन होने वाला है।

" जहां तक शासन की बात है, वह जो कुछ ठीक समझेगा, वही करेगा। हम तो अपनी राय ही दे सकते हैं। लेकिन जहां तक जनता की बात है, उसे जाग्रत होना चाहिए। युवकों को जाग्रत होना चाहिए कि देश किधर जा रहा है और उनकी क्या जिम्मेवारी है ? ये सब बहुत गंभीर बातें हैं जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए। अगर देश के युवक, देश की जनता, शहर की और देहात की आम जनता—जाग्रत हो और संगठित हो तो परिस्थिति बदल सकती है और वह बदलकर रहेगी, ऐसी आशा और विश्वास मुझे है।"

हवा कैसी थी ?

दक्षिण भारत का एक कारागार,
१५ अगस्त, १९७६

जनसंघ कार्यकर्ता के नाम दल के वरिष्ठ अधिकारी का पत्र :

प्रिय बंधु / बहिन,

आपात स्थिति की घोषणा को एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

इस कालावधि में अन्य विरोधी दलों की भांति भारतीय जनसंघ की भी सामान्य गतिविधियां अवरुद्ध पड़ी हैं। जनसंघ के हजारों कार्यकर्ता 'मीसा' के अधीन बंदी हैं। कई हजार और हैं जिन पर डी० आई० आर० के अधीन मुकदमे चल रहे हैं।

कुछ थोड़े-से लोग, नाना प्रकार के कष्ट और खतरे उठाते हुए बाहर का कार्य संभाले हुए हैं। उन बंधुओं ने सुझाया है कि देश-भर में फैले जनसंघ कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र लिखूं। तदनुसार ही ये कुछ पंक्तियां लिपिबद्ध कर रहा हूं।

वर्तमान संकट को हमें स्पष्ट पहचानना चाहिए। सरकार का कहना है कि श्री जयप्रकाश नारायण और उनके साथ कार्य कर रहे विरोधी दलों ने विशेषत: भारतीय जनसंघ ने भारत को आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उपस्थित किया हुआ है और इसी निवारण के लिए आपात् स्थिति की घोषणा की गई है।

जनसंघ से जिनके वैचारिक मतभेद भी रहे हैं, उन्होंने भी जनसंघ कार्यकर्ताओं की देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा की सदैव प्रशंसा की है। जे० पी० या जनसंघ, देश की सुरक्षा के लिए संकट हैं, इससे बेहूदा, बेबुनियाद शायद ही कोई आरोप हो सकता है।

इस आरोप को नकारते हुए भी मैं एक गुनाह (यदि यह गुनाह है तो) स्वीकार करना चाहता हूं। जून, १९७५ में जे० पी० और जनसंघ और अन्य विरोधी दल, कुल मिलाकर एक संकट अवश्य बन गए थे। यह संकट देश की सुरक्षा के लिए अपितु कांग्रेस दल की राजनीतिक सुरक्षा के लिए था। जून, १९७५ के गुजरात के चुनावों ने शासक दल को ऐसे 'संकट' का तीव्र आभास करा दिया। उन्हें लगने लगा कि जो सत्ता परिवर्तन आज अहमदाबाद में हुआ है, कल नयी दिल्ली में होगा। इसी 'संकट' को टालने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अधिनायकवादी अधिकार संभाल लिए।

हमारी सुविचारित मान्यता है कि शासन की कमियों और दुर्नीतियों पर प्रबल प्रहार करते रहना और ठीक प्रकार से काम न करने वाले शासक दल को असुरक्षित अनुभव करवाना, एक स्वस्थ विरोधी दल का

अधिकार ही नहीं, यह उसका लोकतंत्रीय कर्तव्य है।

इस गत वर्ष में कार्यकर्ताओं ने जितना कष्ट सहा है, वह वास्तव में इसी लोकतंत्री मान्यता के लिए दी गई कीमत है। स्थान-स्थान पर उन्हें शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी हैं। अनेकों बंधुओं ने सींखचों के पीछे प्राण गंवाए हैं। सैकड़ों छात्र परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए हैं। बहुतों को स्कूल-कालेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। सहस्रों परिवार आर्थिक दृष्टि से बरबाद हो गए हैं। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए चल रहे वर्तमान यज्ञ में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान किया है, उसपर हम गर्व कर सकते हैं। जनसंघ के संस्थापक डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी लोकतंत्र के अनन्य उपासक थे। उनके अनुयायी तानाशाही के साथ समझौता नहीं कर सकते।

आज ऐसे सहस्रों कार्यकर्ता हैं (जेलों के भीतर और बाहर) जो सर्वस्व की बाजी दांव पर लगाकर मैदान में उतरे हुए हैं। हो सकता है, आप भी उनमें से हों। यदि अब तक नहीं हैं, अब इन क्षणों में भी शामिल हो सकते हैं तो आपका सहर्ष स्वागत है।

इस पत्र द्वारा मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा में रहते हुए आप भी कई प्रकार से लोकतंत्र की सेवा कर सकते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी सेवा है, चारों ओर फैले भय के वातावरण को विदीर्ण करना। भय और आतंक तानाशाही के प्रमुखतम स्तंभ हैं, इन्हें प्रयासपूर्वक तोड़ डालें। अपने मित्रवर्ग में, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, सदैव सत्य, साहस और स्वाभिमान की भाषा बोलें, ऐसा वातावरण निर्माण करें जिसमें चापलूसी और चाटुकारिता के लिए लोगों के मन में सहज ग्लानि पैदा हो।

इनके अतिरिक्त मर्यादा में रहकर कार्य करने वाले बंधुओं से अपेक्षा है कि वे संघर्षरत कार्यकर्ताओं का तन-मन-धनपूर्वक सहयोग करें। सहयोग का रूप आप स्वयं निश्चित कर सकते हैं। आपसे संपर्क करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं को आप अपनी मर्यादा स्पष्ट बताएं और उस मर्यादा के अंदर रहते हुए अधिकाधिक योगदान की भूमिका के बारे में परामर्श करें। मुझे विश्वास है कि यह मर्यादित सहयोग भी अमूल्य

सिद्ध होगा।

आदर व स्नेह के साथ, आपका—एक परिचित कार्यकर्ता बंधु

फिर भी डा० स्वामी पकड़े न जा सके

जनसंघ संसद सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी का एकाएक संसद में आना और गिरफ्तार करने की तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद बच निकलने की चमत्कारपूर्ण घटना आज आश्चर्य का विषय बनी हुई है। जहां आम जनता इस घटना की तुलना सुभाषचंद्र बोस और वीर सावरकर की ऐतिहासिक घटनाओं से कर रही है, वहां कम्युनिस्ट और सरकारी क्षेत्रों में भारी क्षोभ व्याप्त है।

लोकसभा में एक कम्युनिस्ट नेता, श्री इंद्रजीत गुप्ता ने व्यंगपूर्वक कहा—हमारी सरकार अरबों रुपये पुलिस प्रशासन पर खर्च करती है। लेकिन पुलिस किस कदर निकम्मी साबित हुई है, यह प्रो० स्वामी की घटना से समझा जा सकता है। आपात् स्थिति के तुरन्त बाद से भारत सरकार प्रो० स्वामी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही। प्रो० स्वामी भूमिगत रहकर सरकार के खिलाफ काम करते रहे। भारत सरकार की हर संभव कोशिश के बावजूद यह व्यक्ति हिन्दुस्तान से नियमित पासपोर्ट दिखाकर निकल गया। विदेशों में भारतीय दूतावासों के भरपूर प्रयासों के बावजूद यह व्यक्ति आपात् स्थिति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करता रहा। विदेशों में आपात् स्थिति, तानाशाही के खिलाफ और नागरिक व मौलिक मानव अधिकारों की वापसी के लिए प्रचार करता रहा। भारत सरकार की तमाम कार्रवाई के बावजूद प्रो० स्वामी हिन्दुस्तान आ गए। इतना ही नहीं, जहां बिना सरकारी इच्छा के परिन्दा भी नहीं घुस सकता, उस संसद में प्रो० स्वामी अचानक उपस्थित हुए और सिर्फ घुस ही नहीं गए, बल्कि ओम मेहता (गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री) के देखते-देखते और गिरफ्तार कर लेने की हिदायतों के बावजूद प्रो० स्वामी गायब हो गए।

कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता का क्षोभ स्वाभाविक है। सरकार द्वारा वाच एंड वार्ड के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निलम्बन वगैरह की कार्र-

वाई भी समझ में नहीं आती है। लेकिन एक बात जो सरकार की समझ में नहीं आ रही, यह है कि आखिर प्रो० स्वामी इतने जबरदस्त बंदोबस्त के बावजूद कैसे आए और कैसे चले गए!

इन्दिरा सरकार प्रो० स्वामी के द्वारा तानाशाही के पर्दाफाश के देशव्यापी अभियान से काफी परेशान हो चुकी है। इस हद तक परेशान हुई कि जून के पहले सप्ताह में गृह मंत्रालय का 'सेल' प्रो० स्वामी को लन्दन से अपहरण करके भारत लाने के लिए भेजा गया।

चूंकि यह खबर आंदोलन के नेताओं को भी अपने सूत्रों से मालूम हो चुकी थी, इसलिए प्रो० स्वामी को लन्दन में इस बारे में सूचित कर दिया गया था। लन्दन में २६ जून की शाम को प्रो० स्वामी अपने कुछ साथियों के साथ उपनगरीय क्षेत्रों में 'काला दिवस' के आयोजन के सिलसिले में जा रहे थे, तब एक कार से चार गुंडों ने तीन बार हमला करने की कोशिश की। अन्तिम बार जब प्रो० स्वामी और उनके साथ जवाबी कार्रवाई के लिए झपटे तो कार रफूचक्कर हो गई। स्काटलैंड यार्ड को सूचित किया गया। कोई दस मिनट बाद स्काटलैंड यार्ड ने प्रो० स्वामी को सूचित किया कि वह कार भलावी की थी। उसके गुंडों को भारतीय दूतावास ने 'हायर' किया था।

अपने गुप्तचरों से भारत सरकार को प्रो० स्वामी के लौटने की योजना की जानकारी मिल चुकी थी। इसलिए २ अगस्त को पुलिस प्रो० स्वामी के बम्बई स्थित ससुराल के पास गई और पूछताछ करती रही, पर व्यर्थ। उसके बाद सरकार ने हवाई अड्डे पर पूरी नाकेबंदी कर दी थी।

प्रो० स्वामी ६ अगस्त को भारत आ गए थे। १० अगस्त को संसद शुरू होते ही ठीक समय पर राज्यसभा में गए। रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया। सदन में पहुंचे। एक संदर्भ में 'पाइंट आफ आर्डर' उठाया। राज्यसभा के सभापति श्री जत्ती साहब चकित हुए। देखने वाले अन्य संसद सदस्य प्रो० स्वामी की उपस्थिति देखकर चकित थे। ओम मेहता निकले, इधर स्वामी भी निकल गए। दरवाजे पर प्रो० स्वामी को श्री गौड़ मुराहरि मिले। वे 'हेलो-हेलो' के बाद बात भी करने की मुद्रा में थे, लेकिन प्रो० स्वामी तुरंत लौटकर मिलने की बात कहकर चलते बने। श्री ओम

मेहता की कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ और प्रो० स्वामी ठीक संसद के बीच से निकल गए।

बीस सूत्री के प्रचार-प्रसार, इन्दिरा के समर्थन में सर्वत्र लिखावट के बीच दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, चंडीगढ़, रायपुर, जयपुर, कलकत्ता की दीवारों पर एकाएक सुबह पढ़ने को मिल जाता :

शहीद तेरी मौत ही मेरे वतन की जिंदगी,
तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी।
दम है कितना दमन में तेरे
देख लिया और देखेंगे।
'संघर्ष जारी रखो'—लोकनायक की ललकार।
कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे,
मैं तूफां की जिद देखना चाहता हूं।
संपूर्ण क्रांति अब नारा है,
भावी इतिहास हमारा है।
हर जोर जुल्म के टक्कर में
संघर्ष हमारा नारा है।

संकल्प

टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते,
दांव पर सब कुछ लगा है रुक नहीं सकते।

—अटलबिहारी वाजपेयी

प्रभाकर शर्मा का आत्मदाह

'लन्दन टाइम्स' (दिसम्बर ७, १९७६) ने समाचार छापा : 'श्रीमती गांधी की तानाशाही के विरोध में प्रथम आत्मदाह की घटना। यह सत्य समाचार भारत से अमेरिका, फिर इंगलैंड पहुंचाया गया।' ऐसा समाचार पत्र ने छापा।

गांधीवादी पैंसठ वर्षीय प्रभाकर शर्मा ने, जो गत इकत्तीस वर्षों से

सर्वोदय आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, सुरगांव (वर्धा) के सरपंच के घर के सामने ३ दिसम्बर की रात को श्रीमती गांधी की तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए आत्मदाह किया।

आत्मदाह से पहले श्री शर्मा ने श्रीमती गांधी और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री चह्वाण को देश की सही कैफियत देते हुए पत्र लिखे।

हजारों लोग, सरकार की कड़ी आज्ञा के बावजूद शर्मा की अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

और खबरें आने लगीं

ज़मीन के नीचे से शब्द आने लगे। भूमिगत प्रेस चले। शब्द साक्षी हुए।

एक का नाम था 'यकीन', जिसके ऊपर छपा है—सत्यमेव जयते न अनृतम्। यह शुद्ध गांधीवादी धारा का पत्र था—जिसमें कहीं भी कुछ गुप्त नहीं रखा गया। हर अंक के अंत में बाकायदा छपता :

मुद्रक, प्रकाशक और मालिक : नानु मजूमदार,
बड़ेली खो, भरुच, तारीख···मुद्रण-स्थल,
'यकीन' छापाखाना, बारडोली ३९४६०१
पत्राचार का पता : 'यकीन' कार्यालय,
हुजरात यागा, बड़ोदरा ३९०००।
सहयोग राशि, चालीस पैसे, प्रतियां तीन हज़ार।

सबसे ज़्यादा नियमित, संघर्षरत, महत्त्वपूर्ण थी 'आपात्कालीन संघर्ष बुलेटिन' जो मूलत: अपने केन्द्रीय कार्यालय से साइक्लोस्टाइल होकर बाहर आती थी :

केन्द्रीय संघर्ष कार्यालय (भूमिगत) भागलपुर विद्यालय एवं प्रमंडल द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित।

इसके हर अंक में ऊपर कोई एक विशेष नारा, बात, संदेश छापा जाता था। नवम्बर ३१ में सरकारी नारे के जवाब में यह नारा उल्लेखनीय है : एक ही जादू—

१. कड़ी मेहनत—असत्य प्रचार के लिए,
२. दूर दृष्टि—रिश्वतखोरी के लिए,
३. अनुशासन—दमन के लिए,
४. पक्का इरादा—गद्दी बचाने लिए।

'तरुण क्रांति' बिहार प्रदेश छात्र जन संघर्ष समिति की बुलेटिन थी।

यह पटना से (भूमिगत) प्रकाशित होती थी। इसमें पखवारे की खबरें होतीं। समाचार टिप्पणियां होतीं। जे० पी० के लेख, संवाद, पत्र, डायरी, आदि के अंश। आठ पेजी फुलिस्केप साइज़ का।

'जनवाणी' दिल्ली प्रदेश संघर्ष समिति द्वारा प्रकाशित होता था। यह जनसंघ का मुख-पत्र था। इसमें खबरें, सूचनाएं, टिप्पणियां, जेल में बंद नेताओं के पत्र नियमित रूप से छपते थे। अटलबिहारी बाजपेयी की प्रसिद्ध कविता 'संकल्प' वर्ष दो के अंक छ: में पहली बार प्रकाशित हुई थी। क्वाटर साइज़, चार पृष्ठों के 'जनवाणी' में जनतंत्र की चेतना जगाने के लिए राष्ट्र और विश्व के विचारकों के कथन उद्धरित होते थे।

दिल्ली दैनिक 'विद्रोही' जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकाशित होता था। खबरों के आलावा इसमें उत्तेजक सम्पादकीय, विचारपूर्ण लेख और कुछ ऐसी सामग्री छपती थी जो संघर्ष-चेतना जगाने में महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती थी। उदाहरण के लिए—

इन्दिरा सरकार के २० सूत्री अत्याचार :

(१) शहरों की सजावट, सफाई और सुन्दरता के नाम पर लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को उजाड़कर आबादी से दूर फेंक दिया। इतना ही नहीं, फुटपाथों पर बैठकर अपनी रोज़ी-रोटी चलाने वाले इन इन्सानों को बेरोज़गारी और भुखमरी की भट्ठी में ढकेल दिया गया।

(२) महंगाई भत्ता, बोनस और 'ओवर टाइम' की धनराशि प्राप्त न होने के कारण लघु उद्योगों में बने माल की बिक्री बंद हो गई। परिणामस्वरूप दस लाख फैक्टरियां बंद हो जाने से पांच करोड़ मज़दूर बेरोजगार हो गए—उनके परिवार भूखों मर रहे हैं।

(३) पावर लूम द्वारा बनाए गए सूती कपड़े पर मिलों द्वारा बनाए गए कपड़े के बराबर टैक्स लगा दिए जाने के कारण पावर लूमें बंद हो गईं और आज एक करोड़ मज़दूर बेकार भटक रहे हैं।

(४) किसानों के ऊपर पांच से दस गुना तक लगान बढ़ाकर उनकी कमर तोड़ दी गई।

(५) परिवार-नियोजन कार्यक्रम को पूरा करने के बहाने गरीब जनता और कर्मचारियों पर किए गए अत्याचारों ने नादिरशाही की याद

साज़ा कर दी ।

(६) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय न मानकर कानून का उल्लंघन एवं न्याय की सरेआम हत्या की गई ।

(७) अपनी निरंकुशता की स्थापना के लिए संविधान में संशोधन करके उसका गला घोंट दिया और चुनाव टाल दिए गए ।

(८) मकानों और झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ने के कार्य में जनता द्वारा दिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाकर बरबाद कर दिए गए ।

(९) सार्वजनिक उद्योगों से पचास करोड़ रुपये कांग्रेस के चुनाव-कोष में जमा कराया गया ।

(१०) कांग्रेस पार्टी ने स्मारिकाएं प्रकाशित करके उद्योगपतियों से विज्ञापन के रूप में पांच करोड़ रुपये बड़ी बेरहमी से वसूला ।

(११) छोटे दूकानदारों, कुटीर उद्योग वालों को धमकी देकर गैरकानूनी ढंग से प्रत्येक से क्रमशः पांच सौ से दो हज़ार रुपये तक की धनराशि कांग्रेस पार्टी के लिए वसूल की ।

(१२) अपनी ज़िद और अहंकार की रक्षा करने के लिए सरकारी खज़ाने का करोड़ों रुपया झूठे प्रचार में खर्च किया गया ।

(१३) कांग्रेस पार्टी के अंदर इन्दिरा गांधी की तानाशाही और एकतंत्र का विरोध करने वालों को भी विरोधी दलों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ जेलों में बंद कर दिया गया । विरोधियों का दमन करने के लिए आपात्कालीन स्थिति का खुलकर दुरुपयोग किया गया ।

(१४) आपात्कालीन स्थिति को भ्रष्ट और अपराधियों की रक्षा करने के काम में लाया गया ।

(१५) कांग्रेस पार्टी के लिए आर्थिक अपराध करने वालों को 'मीसा' में बंद करके कांग्रेस नेताओं ने अपने पापों पर परदा डाल दिया ।

(१६) कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वालों को आर्थिक अपराध के नाम पर नज़रबंद कर दिया गया ।

(१७) युवा कांग्रेस ने हर नाजायज तरीका अपनाकर जबरन धन इकट्ठा किए ।

(१८) युवा कांग्रेसी नादिरशाह और हिटलर के रूप में मैदान में उतर आए, सरकार ने उनकी सहायता की तथा जनता पर किए गए अत्याचारों का कांग्रेसी मंत्रियों एवं प्रधान मंत्री ने भी खुलकर समर्थन किया ।

(१९) लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सत्याग्रहियों को भयंकर यातनाएं दी गईं और लगभग सौ व्यक्ति विभिन्न जेलों में शहीद हो गए ।

(२०) पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के लोगों को सहायता तथा सहूलियतें देने के नाम पर भोले लोगों और गरीबों को धोखा दिया गया । उनकी गरीबी हटाने के नाम पर उन पर ऐसे अत्याचार किए गए कि आज वे दाने-दाने के लिए मोहताज हैं ।

इन्दिरा शासन का पांच सूत्री नसबंदी कार्यक्रम :

(१) समाचारपत्रों की नसबंदी,
(२) समाचार एजेंसियों की नसबंदी,
(३) संविधान की नसबंदी,
(४) संसद की नसबंदी,
(५) न्यायपालिका की नसबंदी ।

इसके हर अंक के अंत में छपा होता—'विद्रोही' मिल-बांट कर पढ़िए ।

'सत्याग्रह समाचार' केंद्रीय लोक संघर्ष समिति का एकपेजी दस्ती पैम्फलेट पत्र था । यह कभी अन्तर्देशीय सरकारी पत्र पर छपता, कभी सादे, कभी रंगीन कागज पर ।

'सत्य समाचार' एक ऐसा साइक्लोस्टाइल हुआ फुलिस्केप साइज़ का पत्र था जो सरकारी 'समाचार' एजेंसी के जवाब में दिल्ली से निकलकर पूरे देश में फैलता ।

'प्रतिरोध' उत्तर प्रदेश का प्रमुख भूमिगत पत्र था, जो कभी लखनऊ से निकलता तो कभी इलाहाबाद से ।

सबसे अधिक पत्र बिहार से निकलते थे, जैसे :

(१) 'तरुण क्रांति' (निर्दलीय युवा, छात्र द्वारा)

(२) 'लोकवाणी' (जनसंघ)
(३) 'लोक संघर्ष' (समाजवादी)
(४) 'मुक्ति संग्राम' (लोहिया मंच)
(५) 'हमारा संघर्ष' (निर्दलीय)

अंग्रेज़ी पत्र-पत्रिकाओं में सर्वाधिक उल्लेखनीय है 'स्वराज्य' जो इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। इसके पीछे मुख्य भूमिका थी—जार्ज फर्नांडीज की, जो काफी अरसे तक भारत और भारत से बाहर रहकर इसकी योजना में कार्यरत थे। इंग्लैंड में 'स्वराज्य' के प्रकाशन से संबंधित थे—डी० एन० सिंह, एस० के० सक्सेना, एम० होडा और धर्मपाल जी। भारत से इसके लिए समाचार भेजने वालों में थे—ब्रजमोहन 'तूफ़ान' जो अंत तक भूमिगत ही रहे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। जार्ज के उत्तेजक विचार, चुनौतियां, भारत की संघर्षपूर्ण घटनाएं इसीमें छपती थीं।

'दिल्ली न्यूज लेटर' एक दूसरा महत्त्वपूर्ण भूमिगत प्रकाशन था जो साइक्लोस्टाइल रूप में आता था। आपात् स्थिति की हुकूमत को सबसे ज्यादा डर था विचारों का। आपात् स्थिति के थोपने वालों ने भी विचार का महत्त्व आरंभ से समझा था। इसीलिए आपात् घोषणा के कुछ घंटों के बाद ही पूर्व-सेंसरशिप का आदेश हुआ। इस आदेश की स्पष्टता के लिए जो मार्गदर्शक दिशा सूचन किया गया, वह सेंसरशिप से भी अधिक प्रमाण में विचार का दुश्मन था और जिन लोगों के सिर इन नियमों को चरितार्थ करने की जिम्मेवारी आई, वे तो मानो विचार के पीछे लट्ठ लिए ही पड़ गए। स्वतंत्र भारत में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के उद्धरण देना जुर्म माना गया। और सूचना व प्रसारण मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि खुद प्रधान मंत्री का भी कोई वचन यदि आपात् घोषणा से पूर्वकाल का होगा तो उसे सेंसर कराना होगा। जगत् के इतिहास में तारीख बताने का तरीका है ईसा से पूर्व और ईसा से बाद का काल, वैसे हमारे इतिहास में तारीख बताने का तरीका हो गया—'मीसा' से पूर्व और 'मीसा' के बाद का काल। इस एक वर्ष में भारत के अखबारों पर जितने प्रतिबंध लगे, उतने

समाज के जीवन के किसी अन्य क्षेत्र पर नहीं लगे होंगे। अखबारों ने इसके लिए जो प्रतिक्रिया दिखाई वह भी कुल मिलाकर दब्बू-सी ही मानी जाएगी। जहां अंग्रेजों के सामने कई अखबारों ने सिर उठाया था, वहां आपात् स्थिति के आगे अधिकांश अखबारों ने सिर झुका दिया।

ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ कि हमारे ज्यादातर अखबार राज्याश्रित हो गए थे। कागज के कोटा के लिए, विज्ञापनों के लिए, वे राज्य पर निर्भर थे। दूसरा कारण यह भी था कि अखबारों से संबंध रखने वाले लोगों के जीवन ऐसे सुखभोगी हो गए थे कि उस जीवन को छोड़कर कुछ त्याग करने का उनका साहस ही नहीं हुआ। एक तीसरा कारण शायद यह भी था कि दूसरे क्षेत्रों में संघर्ष चलता हुआ न पाकर उन्होंने भी बालू में मुंह गाड़ लेने की शतुरमुर्ग नीति अपनाई।

लेकिन भारतमाता बांझ नहीं थी। इस संकट-काल में भी उसके कुछ ऐसे सपूत निकले जिन्होंने विचार-स्वातंत्र्य का झंडा फहराए रखा। गुजराती का 'भूमिपुत्र', मराठी का 'साधना', अंग्रेज़ी का 'ओपिनियन', आदि ऐसे सामयिकों में थे जिन्होंने निर्भीकता से साल-भर अपना प्रसारण जारी रखा। दूसरे भी कुछ ऐसे अखबार थे जिन्होंने इतने खुले तौर पर नहीं, लेकिन कुछ विवेकपूर्वक लड़ाई जारी रखी। इस लड़ाई में उनको आमतौर पर हाई कोर्टों से समर्थन मिला, जिन्होंने यह फैसला दिया कि सेंसर का काम विचारों को दबोचना नहीं है। हेबियस कार्पस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और ४०वें संविधान संशोधन के बाद अब यह लड़ाई और भी विकट बन गई। लेकिन जब कभी प्रजातंत्रात्मक भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें उन हाई कोर्टों की कार्रवाई अमर स्थान पाएगी, जिनके फैसले में से कुछ के उद्धरण हम नीचे दे रहे हैं—

आपात् स्थिति से पहले ही बम्बई हाई कोर्ट ने श्री अनंत करंदीकर के केस में यह कहा था—"प्रेस-स्वातंत्र्य में यह अर्थ निहित है कि हरेक को ऐसे विचार प्रकट करने का अधिकार हो, जो लोकप्रिय या रुचिकर न हो। मतभेद का अधिकार तो जनतंत्र का सार तत्त्व है। रूढ़िगत विचारों से चिपके रहना, यह तो हमेशा विचार-स्वातंत्र्य का दुश्मन

रहा है।"

श्री मीनू मसानी के केस में न्यायमूर्ति आर० पी० भट्ट ने कहा—"अगर किसी सरकारी कृत्य की तारीफ करने वाला प्रकाशन हो सकता है तो उसकी रचनात्मक आलोचना करने वाला प्रकाशन भी अवश्य हो सकता है।"

कुछ भूतपूर्व न्यायाधीशों को सभा करने से रोकने वाले हुकम के खिलाफ हुए केस में न्यायमूर्ति तुलजापुरकर ने कहा—"आजकल जो आपात् स्थितियां जारी हैं, उनमें भी किसी भी नागरिक के लिए यह कहना पूरा जायज है कि आपात् घोषणाओं के लिए कोई कारण नहीं था। और वे उपयुक्त भी नहीं हैं। किसी नागरिक के लिए यह कहना भी जायज है कि प्रजातंत्र में मतभेद को कुचलने के लिए आपात् स्थिति टिकाई जा रही है और वह तुरन्त खत्म होनी चाहिए···और यह कहना भी जायज है कि इन आदेशों को अमान्य करने के लिए तुरन्त पालियामेंट की बैठक होनी चाहिए। हां, यह सब कहते समय किसी प्रकार हिंसा नहीं उकसानी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो विचार-प्रचार, समझावट आदि रचनात्मक तरीकों से आपात् स्थिति के खिलाफ जन-मानस बनाना पूरी तरह जायज बात है।"

मीनू मसानी के केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि "प्रेस केवल जानकारी देने का साधन नहीं है। वह प्रचार द्वारा जनमत बनाने का एक शक्तिशाली साधन भी है। सही जनतंत्र तो परस्पर स्पर्धा करने वाली राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधाराओं तथा दर्शनों के बीच ही पनपता है और उसमें अखबारों का एक महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सेंसर का काम यह नहीं है कि यह देखे कि हर अखबार एक राग अलापता हो, हर किश्ती एक ही दिशा में बहती हो। जिस दि मुक्त विचारों का यह लेन-देन खत्म हुआ, उस दिन जनतंत्र की मृ की घंटी बज गई समझिए। सेंसर का काम जनता की दिमागी धुला करने का नहीं है। सेंसर तो जनतंत्र की दाई है, उसकी कब्र खो वाला नहीं। बहुसंख्यक लोगों के विचारों से मतभेद और सत्ताधा पक्ष के कार्य-कलापों की आलोचना तो राजनीति की एक तंदुरुस्त

पैदा करती है। और सेंसर को यह नहीं चाहिए कि ज़बर्दस्ती से स्वीकार करवाई गई रूढ़ि से उसे जीवनविहीन बना दे। मतभेद, असहमति या आलोचना कड़ी भाषा में की गई हो, इससे प्रकाशन बंद नहीं कराया जा सकता है।"

'भूमिपुत्र' के श्री चुनीभाई वैद्य के केस में न्यायमूर्ति श्री सेठ ने कहा—"सरकारी नीतियों के बारे में फैसला देने का लोगों को अक्षुण्ण अधिकार है और इसलिए सरकार को उसकी गलतियां दिखाने का भी अधिकार है ताकि वह उनमें सुधार कर सके और अगर गलत रास्ते पर गई हो तो सही रास्ते चल सके। सुधार करने वाली इन टिप्पणियों के मूल में अन्ततः सत्ताधारी जनता का अपने दलाल शासन को सुधारने का हक तो है ही, साथ ही साथ जनतंत्र को वह जरूरत भी है जिससे सरकार अपनी गलती समझकर उन्हें जनता के मतानुसार सुधार ले। कभी दोषी न होने वाली सरकार और जनतंत्र ये दोनों साथ नहीं चल सकते। कभी दोषी न होने का माना हुआ गुण तो हमेशा एकाधिपत्य के साथ ही हाथ में हाथ मिलाकर चलता है।"

इस प्रकार के फैसले ने एक साल तक भारत में जनतंत्र के चिराग को जलाए रखा।

साहस और सामना

बिहार छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के पत्र के जवाब में जे० पी० ने सभी स्वतंत्रता-प्रेमियों के नाम अपने बयान में कहा था कि व्यक्ति के रूप में और सरकारी तंत्र में भी सभी स्वतंत्रता-प्रेमी भारतीयों को साहस के साथ श्रीमती गांधी की तानाशाही का सामना करना चाहिए कि किस तरह इतिहास का उलटा, प्रतिगामी प्रवाह फिर सही दिशा में मुड़े और अपनी खोई हुई स्वतंत्रता वापस पाएं और अपनी लोकतांत्रिक संस्थाएं फिर स्थापित करें। अगर संविधान के रास्ते से करना हो तो जब लोकसभा के मुक्त, शुद्ध और पक्षपातरहित चुनाव हों जिससे कांग्रेस की हार हो और प्रतिपक्ष विजयी होकर अपनी सरकार बनाए।

इस लक्ष्यपूर्ति के लिए जे० पी० ने राष्ट्र को तीन कार्यक्रम दिए:

(१) पूरे देश में सभाएं हों, आम जनता की तथा विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से उनमें मांग की जाए कि इमरजेंसी उठाई जाए, राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं, लोकसभा के चुनाव कराए जाएं तथा प्रेस और बोलने की, विचार प्रकट करने की, स्वतंत्रता वापस दी जाए।

(२) जो लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र लोकतांत्रिक संगठनों में विश्वास करते हैं, वे फौरन, चाहे जिस तरह संभव हो, तीन-तीन, चार-चार की टोली बनाकर जनता में घुस जाएं, और लोगों को बताना शुरू कर दें कि क्या हो रहा है, और कौन-से बुनियादी सवाल पैदा हो गए हैं? श्रीमती गांधी की तानाशाही का रथ बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि लोग चुप हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। लोग चुप और निष्क्रिय इसलिए हैं कि समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है? एकतरफा प्रचार के कारण बहुत-से लोगों ने मान लिया है कि जो हुआ है, उनकी भलाई के लिए हुआ है। इसलिए सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि लोगों को एक बार फिर बताया जाए कि स्वतंत्र और लोकतांत्रि

समाज के आधार क्या हैं, बुनियादी तत्त्व क्या हैं? यह काम समझदारी के साथ करना है। उसके लिए जरूरी है कि सरल भाषा में, जानकारी के साथ और यह बताते हुए कि क्या करना है, पर्चे, फोल्डर, पुस्तिकाएं आदि तैयार की जाएं। जाहिर है कि इनका प्रकाशन और प्रचार गैर-कानूनी ढंग से ही हो सकेगा। बहुत-से लोग इन लिखित चीजों को पढ़ और समझ भी नहीं सकेंगे, लेकिन ये 'टेस्ट-बुक' का काम करेंगी। इन्हें छोटी-छोटी गोष्ठियों में पढ़ा जाए जिनमें ज्यादातर छात्र तथा अन्य युवक और युवतियां शरीक हों।

कहने की जरूरत नहीं कि जो लोग इस तरह के निर्दोष शैक्षणिक काम में शरीक होंगे, वे भी पकड़े जाएंगे, जेल भेजे और पीटे जाएंगे, और उन्हें यातनाएं दी जाएंगी, उन्हें इन सबके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस देश में ऐसे काफी युवक और युवतियां हैं जो इन खतरों को जानते हुए भी पीछे नहीं हटेंगे।

(३) जनता के शिक्षण के साथ-साथ जनता के संगठन का काम भी होना चाहिए। बिहार आंदोलन में जन संघर्ष समिति के रूप में संगठन हुआ था। मेरा सुझाव है कि बिहार के बाहर पूरे देश में जो संगठन बनें उन्हें केवल 'नव निर्माण समिति' कहा जाए। पहचान के लिए नाम के पहले 'ग्राम', 'नगर', 'छात्र' आदि शब्द जोड़े जा सकते हैं।

पहले कुछ लोगों को यह कार्यक्रम फीका लगा क्योंकि इसमें तानाशाही तंत्र से सीधे टकराने का तत्त्व पहली नजर में नहीं दिखा। पर, जैसे-जैसे लोग इस कार्यक्रम की गहराई में गए, उन्हें अनुभव होने लगा कि पूरे बिहार आंदोलन ने भी तो अपना लक्ष्य सरकार से टक्कर लेना नहीं माना था। टक्कर तो आंदोलन से यों ही सहज ही निकल आई और निकल आई तो टक्कर ली गई और उसकी पूरी जिम्मेदारी हुई समाज और देश की उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों पर जो सरकार के नेतृत्व में जनता की क्रांति को कुचलने की कोशिश कर रही हैं—ऐसा बिहार आंदोलन में हुआ और ऐसा अब भी होगा।

यही थी वह मूल वैचारिक भूमि जहां से उन तीनों कार्यक्रमों द्वारा समूचा संघर्ष हुआ।

दिल्ली केन्द्र

राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम नानाजी देशमुख ने जे० पी० के बताए हुए कार्यक्रमों को कार्यरूप देना शुरू किया।

बाहर, भूमिगत संघर्ष कार्य संचालक के रूप में नानाजी ने पहला काम यह किया कि अपना सफेद बाल काला कर लिया। धोती-कुर्ता की जगह दूसरी पोशाक। कभी मूंछ कभी दाढ़ी। हर हफ्ते अपना नाम बदल देना, हर रात अपना नया निवास स्थान। कहीं जाना हो तो रास्ते में कई सवारी बदलते हुए पहुंचना। दिल्ली में जाना हो बंगाली मार्केट तो बताना गाजियाबाद। हर प्रांत के लिए अपना निजी दूत। छोटे-छोटे व्यापारियों के सामान के साथ दिल्ली से बाहर साहित्य का भेजा जाना बड़ा ही दिलचस्प ढंग था। हर काम के लिए गुप्त संकेत, 'कोड्स' विकसित किए गए। सत्याग्रह कराना, जनता को उदासी और निराशा से हटाकर संघर्ष के चेतना-स्तर पर रखना—यही था मुख्य कार्य। आठ महीने बाद नानाजी गिरफ्तार किए गए; तब तक संघर्ष का बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया था।

नानाजी के बाद नेतृत्व संभाला केरलवासी संगठन कांग्रेस के रवीन्द्र वर्मा ने। छः महीने बाद वह भी बंदी। फिर कार्य संभाला दत्तोपंत ठोगड़ी ने। इस संघर्ष के दौरान 'अहिंसक गोरिला युद्ध' विचार सहज ही पनपा था।

संघर्ष के बीस बिन्दु भी तैयार हुए थे।

देशव्यापी स्तर पर दूसरी ओर जार्ज फर्नांडीज संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। जार्ज की संघर्ष योजना अपने ही ढंग की थी। वह कई मामलों में राष्ट्रीय संघर्ष की नीतियों से असहमत थे। उनका कार्य-क्षेत्र था—कलकत्ता, बम्बई, बड़ौदा, दिल्ली, पटना। वह तनाशाही हुकूमत के सीधे टक्कर लेने में विश्वास रखते थे—इसके लिए प्रचार, प्रसार, यातायात तथा अन्य जितने संघर्ष साधनों की अनिवार्यता थी, सबकी प्राप्ति के लिए वह अन्त तक प्रयत्नशील थे। इसीके बदले, सरकार के हाथों जब

वह बंदी हुए तो उन्हें 'बड़ौदा डाइनामाइट' अभियोग में डाला गया।

दिल्ली में युवा, छात्र संघर्षों में समाजवादी युवजन, विद्यार्थी परिषद, सी० पी० एम० और निर्दलीय युवा छात्र संघ की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

बिहार

आपात् स्थिति के विरोध में, खासकर इमरजेंसी के आतंक को तोड़ने के लिए २७ जून को 'पटना बंद' के कार्यक्रम से बिहार का नया संघर्ष शुरू हुआ। इसके लिए पटना की पाटलिपुत्र कालोनी में २६ की रात को गुप्त बैठक हुई। इसमें भाग ले रहे थे—रामानंद तिवारी, जगबंधु अधिकारी, किशन पटनायक, त्रिपुरारी सरन और छात्र संघर्ष की ओर से रघुनाथ गुप्त, नरेन्द्र सिंह, सुशील मोदी, नीतिश, गोपाल सरन सिंह, विजयकृष्ण और ब्रह्मदेव। इस बैठक में जनसंघ, सर्वोदय, सी० पी० एम०, समाजवादी, निर्दलीय, संगठन कांग्रेस आदि सभी दलों के सजग लोग एकसाथ थे। इस बैठक में तय हुआ कि महामायाजी, रामानंद तिवारी, जगबंधु और तकी रहीम गांधी मैदान में इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे और आतंक के खिलाफ बिहार को उठाएंगे।

अगले दिन बिहार के इन्हीं नेताओं की गिरफ्तारी से बिहार के संघर्ष का श्रीगणेश हुआ। इसके संचालक थे, सर्वोदय के त्रिपुरारी सरन।

आगे चलकर सारा संघर्ष कार्य लोक संघर्ष समिति, जन संघर्ष समिति, छात्र संघर्ष समिति और नव निर्माण समिति द्वारा पूरे बिहार और उसके बाहर उत्तर प्रदेश तक होने लगा।

१८ नवम्बर, १९७५ से लेकर २६ जनवरी, १९७६ तक कुल नौ हजार लोग जेल गए। अंत तक बिहार में बंदी सत्याग्रहियों की संख्या एक लाख तक पहुंची।

फुलवारी शरीफ, आरा, बक्सर, हजारी बाग, भागलपुर इन्हीं जेलों में सभी प्रमुख कार्यकर्ता और सभी संघर्ष समितियों के नेता बंदी थे। हजारी बाग और बक्सर ये दोनों जेलखाने यातना शिविर के रूप में

कुख्यात थे।

तरुण संघर्ष संघ छात्र संघर्ष समिति, जन संघर्ष समिति, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जैसी संघर्ष संस्थाएं, तरुण क्रांति, तरुण संघर्ष, लोकवाणी, मुक्ति संग्राम, हमारा संघर्ष, जैसी भूमिगत पत्रिकाएं—सबने मिलकर जिस रूप में संघर्ष किए, वह निश्चय ही गौरवपूर्ण है। इस संघर्ष-अग्नि में बिहार की जाति, सम्प्रदाय और दल की सारी दीवारें जल गईं और इसीमें से निकली वह नयी चेतना, जिसका स्वरूप निर्दलीय है और जिसका चरित्र शुद्ध जनतांत्रिक है। विनोबा, जे० पी०, डा० लोहिया और सबसे ऊपर महात्मा गांधी के विचार और कर्म का यही वाहक है।

मूलतः जिस एक व्यक्ति के खिलाफ आपात् स्थिति लागू हुई उसका नाम था—जयप्रकाश। जिस आंदोलन के विरोध में यह स्थिति लाई गई थी, उसका नाम है बिहार आंदोलन। जिस शक्ति को कुचलने के लिए यह तत्पर थी, उसका नाम है लोक-शक्ति। जिस संघर्ष के खिलाफ यह आई थी, उसका नाम है युवा छात्र संघर्ष।

इस सबके पीछे वही बिहार भूमि, बिहार प्रदेश। मूल में वही जय प्रकाश। संघर्ष में तीनों वर्ग :

प्रतिपक्ष के पुराने नेता, कार्यकर्ता मुख्यतः समाजवादी, सर्वोदयी,
संगठन कांग्रेस और जनसंघ,
प्रतिपक्ष के नये युवक नेता और कार्यकर्ता,
निर्दलीय युवा, छात्र वर्ग।

इन तीनों वर्गों के सेनानियों ने जिस निष्ठा और बलिदान भाव से संघर्ष किया है, वह अनेक अर्थों में मूल्यवान है। भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक—इन तीनों स्तरों पर बिहार-भूमि ने संघर्ष किया। जितना आतंक, कुर्बानी, अपार कष्ट, दुःख और यातनाएं बिहार के सेनानियों ने, उनके घर-परिवार संबंधी लोगों ने सहे हैं, उतना शेष भारत में अन्यत्र कहीं नहीं। इस संघर्ष और बलिदान से जो नयी चेतना फूटी है, वही प्रकाश देगी आने वाले भारत को।

इस चेतना का नाम है—युवा शक्ति। इसकी पहचान है—यह निर्दलीय है। सहयोग और संघर्ष में समान और एक साथ आस्था है। जिसका विश्वास है कि राजसत्ता से स्वतंत्र व्यक्ति की अपनी भूमिका है, आत्मसत्ता है उसकी। जिसका संकल्प है कि राजसत्ता पर दबाव हरदम बना रहे। जनता देख रही है—यह बोध राजसत्ता को हर क्षण रहे।

जिस रोज आपात् काल की घोषणा हुई, उस दिन पटना बंद था। जगह-जगह सारे लोग नारे लगाते हुए नज़र आए। रात से पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हुई, पर २७ को बिहार बंद का आह्वान था जो करीब-करीब पूर्णतः सफल रहा। पटना में पुलिस ने जगह-जगह बंद दूकानों को खुलवाने के लिए धमकी देना शुरू किया। २७ तारीख को ही छात्र नेता टोटनसिंह पटना मार्केट में गिरफ्तार कर लिए गए। २७ की रात से अंधाधुंध पुलिस के छापे पड़ने लगे। छात्र संघर्ष समिति के लोग इन दिनों मुख्यतः हाथ से पेपर पर लिखकर कालेजों, चौराहों, मुहल्लों में तानाशाही विरोधी पोस्टर रात में चिपकाने लगे। जिस मुहल्ले में पोस्टर चिपका होता उस मुहल्ले में पुलिस तैनात कर दी जाती थी। उस मुहल्ले के सक्रिय साथियों के घर पर छापा अवश्य पड़ता था। एक बार इसी तरह स्टेशन पर पोस्टर चिपका हुआ था, उसे एक आदमी पढ़ने लगा, बस उसे पुलिस पकड़कर ले गई। दिन में आंदोलन सम्बन्धी पर्चा देने पर कोई आदमी डर से लेता तक नहीं था। अगर किसीके घर पर पर्चा या पोस्टर लगा होता था तो पुलिस उस घर वाले को काफी डराती-धमकाती थी। यहां तक कि गाली भी देती थी। इस आतंकपूर्ण वातावरण में किसीको पर्चा देना बड़ा मुश्किल-सा हो गया। तब इन लोगों ने रात में दो-तीन बजे, घर-घर खिड़की दरवाजे से पोस्टर गिरा देने का काम शुरू किया। यही तरीका बहुत दिनों तक चलता रहा। अगर रात में कोई घर वाला जगा होता था तो उसे

हाथ में ही दे दिया जाता था। ये सब काम राज्य के प्रत्येक जिले में चलता रहा। पटना में सक्रिय मुहल्ला चांदमारी रोड, चिड़यांटाड़, कुकड़गाग कालोनी, गर्दनीबाग, शेखपुर, राजवंशी नगर पुनाईचक, जक्कनपुर, गोलघर, योगिया टोली, दरियापुर गोला, मुसल्लेपुर, पटना सिटी आदि।

सिनेमा, मेला, भीड़, आदि जगहों पर पर्चा लुटाने का काम किया जाने लगा। ९ अगस्त को बिहार बंद का पोस्टर न्यू मार्केट एवं अन्य बाजारों में चिपकाने का निर्णय किया गया। ९ अगस्त को मुहल्ले-मुहल्ले रात-भर पुलिस तैनात थी। यह आठ आदमियों की टोली थी जिसमें हरिनारायण चौधरी, किशोरप्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद, ओमप्रसाद लाला सिन्हा, श्रीराम यादव आदि थे। स्टेशन पर ही हासन खां पान के दूकान वाले साथी का घर रहने के लिए चुना गया। एक बिना पढ़ा-लिखा और गरीब आदमी होते हुए सारा डर-भय भूलकर उसने इन लोगों की काफी मदद की। तीन बजे रात के बाद जब कुछ पेट्रोलिंग कम हुई, तब हम लोगों ने साटना (चिपकाना) शुरू किया। उस समय पोस्टर ही साटना, समझिए, बहुत बड़ा काम था। बड़ी सतर्कता से चारों तरफ पोस्टर साट (चिपका) दिए गए।

९ अगस्त के पहले ही जिलाधिकारी ने सभी दूकानदारों को नोटिस दे रखा था कि अगर कोई दूकान बंद करेगा तो उसकी दूकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा एवं डी० आई० आर० में बंद कर दिया जाएगा। अतः दुकानदारों का डरना स्वाभाविक था। सारे मुहल्ले में सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० के जवान बैठा दिए गए। फिर भी चिड़याटाड़, चांदमारी रोड, पटना सिटी की बहुत सारी दूकानें एक बजे दिन तक बंद रहीं, बाद में उन्हें पुलिस ने खुलवा दिया।

२८ जून १९७५ को रामानन्द तिवारी, जगबंधु अधिकारी, तकी रहीम एवं छात्र-संघर्ष समिति के रघुनाथ गुप्ता गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिए गए।

९ अगस्त को कल्पना कुटीर, राजेन्द्र नगर पर जहां आंदोलन सम्बन्धी कार्य होता था 'रेड' किया गया। सारे कागज और साइक्लो-

स्टाइल मशीन पुलिस ले गई।

९ अगस्त से २० अगस्त तक कम से कम पांच बार इन लोगों के डेरों पर छापा मारा गया। इनमें से एक के पिता चपरासी हैं, उन्हें काफी धमकी दी जाने लगी। मगर उन्होंने काफी धैर्य से काम लिया। इन्हीं के डेरे की बगल में एक सिन्हा साहब रहते थे जिनकी लड़कियां आंदोलन में थीं वहां भी इन्हें खोजने के लिए छापा मारा गया।

इन लोगों ने सम्पर्क के लिए संघर्ष सेल का संगठन किया। एक सेल में दो-तीन-चार मुहल्ले होते थे। एक सेल में कम से कम पांच साथी होते थे। उसी सेल के जिम्मे उस क्षेत्र के आंदोलन सम्बन्धी जिम्मेदारियां होती थीं।

इतना होते हुए भी ये लोग बैठक करते थे। बैठक का स्थान अक्सर कोई पार्क, मैदान, पिछड़ा इलाका चुना करते थे। एक जगह के बाद फिर काफी दिनों पर वहां बैठक हुआ करती थी।

२ अक्टूबर को तो सम्पूर्ण देश में सत्याग्रह का कार्यक्रम था। २ अक्टूबर के पहले जनता का भय दूर करने के लिए बिहार में पहला जुलूस कामर्स कालेज से निकला, जिसमें कम से कम पांच सौ साथी थे। बांकीपुर जेल तक वह जुलूस आया, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुमन कुमार श्रीवास्तव, अश्वनीकुमार के साथ अन्य पन्द्रह साथी गिरफ्तार कर लिए गए।

२ अक्टूबर को इस दल के तीन बहुत ही संघर्षशील साथी गिरफ्तार हो गए जिनकी गिरफ्तारी पर दुःख भी हुआ क्योंकि ये लोग भूमिगत कार्य करते थे। हरीनारायण चौधरी राजेश क्रांतिकार, दिनेश। उसी दिन सनत कुमार, दस वर्ष के बालक ने भी गिरफ्तारी दी जो काफी बाद तक फुलवारी शरीफ कैम्प जेल में रहा। उसने निश्चय कर लिया था कि मैं बेल पर नहीं निकलूंगा। एक बार उसके भाई ने बेल करा लिया तो इसपर उसने जेल में अनशन कर दिया कि हम बाहर नहीं जाएंगे। आखिर उसके भाई को ही हार माननी पड़ी। उसके पिताजी सर्वोदय के हैं, वे भी साथ ही जेल में रहे।

हर जिले में बीस से लेकर तीन सौ लोगों के जत्थों ने गिरफ्ता-

रियां दीं। दरभंगा में समाजवादी नेता रामनन्दन मिश्रा के नेतृत्व में ८० लोगों ने गिरफ्तारियां दीं। इसके बाद लोगों का भय बहुत कम हो गया था। बहुत-से व्यक्ति सेल के साथियों से शिकायत करते थे कि अब की बार पत्रिका अब तक नहीं दे गए। १५ अगस्त को धनबाद में सरकार की ओर से झंडा फहराने की व्यवस्था की गई थी। पुलिस की सारी सतर्कता के बावजूद तिलेश्वर कौशिक ने झंडोत्तोलन कर दिया। लोकनायक जयप्रकाश जिन्दाबाद एवं तानाशाही विद्रोही नारे लगाए। उसे बेहोशी तक मारा गया। पानी तक नहीं दिया गया। धनबाद जेल में सेल में रखा गया, बाद में भागलपुर जेल स्थानान्तरण कर दिया गया।

४ नवम्बर को दमन विरोधी दिवस का कार्यक्रम था। ४ नवम्बर, १९७५ को जे० पी० को लाठी मारते हुए चित्र खींचा गया था। उसी चित्र का पोस्टर बनाया गया था जिसे जगह-जगह चिपकाया गया। ४ नवम्बर को जिस स्थान पर जे० पी० को लाठी प्रहार किया गया था, उसी स्थान से सत्याग्रह का कार्यक्रम था। करीब ३ या चार बजे १८ साथियों ने गिरफ्तारी दी।

४ से ७ नवम्बर तक फासिस्ट सम्मेलन के विरोध के लिए कार्यक्रम। पटना शहर में पुलिस को विशेष जमघट मानो बड़ा युद्धस्थल। फासिस्ट विरोधी सम्मेलन के लिए छात्र संघर्ष समिति की तरफ से जगह-जगह वाल पेंटिंग, हाथ से लिखे पोस्टर का व्यापक कार्यक्रम।

३ दिसम्बर को बी० एन० कालेज में कम्युनिस्टों द्वारा छात्रों पर हमला। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज। बालमुकुन्द शर्मा सहित १८ व्यक्ति गिरफ्तार। कालेज एरिया में काफी तनाव।

कम्युनिस्टों द्वारा किए गए प्रहार के विरोध में साइंस कालेज, इंजिनीयरिंग कालेज, बी० एन० कालेज के छात्रों द्वारा क्लास का बहिष्कार। बी० एन० कालेज में लाठीचार्ज।

९ दिसम्बर १९७५ को पटना के तमाम कालेजों के छात्रों ने क्लास का बहिष्कार किया। बिहार के प्रमुख जिलों के महाविद्यालयों में कार्यक्रम हुआ। बहिष्कार का मुख्य कारण था कि अफवाह जोरों पर फैली हुई थी कि जे० पी० की मृत्यु हो गई।

२६ जनवरी, १९७६ को जगह-जगह झंडोत्तोलन हुआ। झंझारपुर में मधुबनी जिला के कर्मठ साथी, लालबहादुर सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकला। झंझारपुर मुख्य मंत्री, जगन्नाथ मिश्र का क्षेत्र है। उन लोगों की काफी पिटाई की गई एवं उनकी गिरफ्तारी का एफ० आई० आर० मुख्य मंत्री के क्षेत्र से नहीं बल्कि दूसरे जगह मधेपुर से लिखा गया। एक बड़ी आतंकपूर्ण घटना हुई। उन गिरफ्तार आठ व्यक्तियों में एक नौजवान था। उसके पिता थानापुर अपने बेटे को देखने गए और ढाढ़स के लिए अपने बेटे की पीठ ठोंकी। बस इतना पुलिस से देखा नहीं गया और बेटे के साथ पिता को भी जेल भेज दिया गया। नौ महीने बाद बाप-बेटा छूटे। इन लोगों की जेल में काफी पिटाई की गई। बाद में मधुबनी जेल से भागलपुर जेल स्थानान्तरण कर दिया गया।

१२ मार्च को कक्षा बहिष्कार का कार्यक्रम था। १८ मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। पटना के ए० एन० कालेज में मैं स्वयं गया, वर्ग में जाकर बोल-बोलकर सारे क्लास का बहिष्कार करवाया। कुछ दूर तक नारे लगाते हुए जूलूस के रूप में ले गए। सी० आर० पी० एवं पुलिस के नौजवान आ गए। दो साथी कृष्णकुमार सिंह उर्फ केदार एवं उमाशंकरप्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। नौ साथियों पर गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया।

१ मई, १९७६ को इन्दिरा गांधी का पटना में भाषण हुआ था। इसके विरोध के लिए हम लोगों की तरफ से जोर-शोर से तैयारी शुरू हो गई। सरकार की तरफ से भी ज़ोर-शोर से तैयारी थी। करीब पन्द्रह दिन में जो साथी इमरजेंसी के बल पर सक्रिय थे, उनके यहां भी छापा मारा जाने लगा। सैकड़ों साथी गिरफ्तार किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य भार रामविलास पासवान जो अब संसद सदस्य हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, नीतिश कुमार, ब्रह्मदेव सिंह एवं अख्तर हुसैन पर था। यह सारा कार्यक्रम वर्णन करने में काफी लम्बा लिखना पड़ जाएगा। सारे लोगों का सभास्थल पर बैठ जाने का कार्यक्रम था। श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रमोद नामक सक्रिय साथी के साथ, पर्चों के साथ सभास्थल में पहुंच गए। जाने के बारे में सारे साथियों में अफसोस था

कि गिरफ्तार हो जाऊंगा। सारे लोग मना ही कर रहे थे, मगर वे अडिग थे। अन्दर दो आदमी निश्चिन्ततापूर्वक सतर्कता से बैठे रहे। सी० आई० डी० की भरमार थी। गर्मी के दिन थे, इसलिए तौलिया मुंह में लपेटे हुए थे। जैसे ही इन्दिरा गांधी 'भाई और बहनों' बोलीं, बस उसके बाद तीन मिनट तक उन्हें शांत रह जाना पड़ा। हम लोगों ने इन्कलाब जिंदाबाद, फासिस्ट इन्दिरा वापस जाओ, लोकनायक जयप्रकाश जिंदाबाद, सम्पूर्ण क्रांति जिंदाबाद, अमर शहीद जिंदाबाद के नारे लगाए एवं पर्चे उछालना शुरू कर दिया। भगदड़ हुई, बस मैं भी भीड़ से निकल गया। सारे लोग निकलने शुरू हो गए, बस महज २० या २२ मिनट में इन्दिरा गांधी को भाषण समाप्त कर देना पड़ा। जनता लौट रही थी। जगह-जगह लोकनायक जयप्रकाश का नारा गूंजने लगा। उस रोज सारे आफिस, कालेज, स्कूल बंद कर दिए गए। छः सौ बसें बाहर से लोगों को लाने के लिए थीं। बसें कितनी खाली थीं, दो-तीन आदमी ही उसके अंदर होते थे।

२६ जून को काला दिवस मनाने का कार्यक्रम छात्र संघर्ष समिति ने तय किया था। पूरे बिहार स्तर पर कार्यक्रम बनाने के लिए समन्वय समिति थी, जिसमें प्रत्येक पार्टी से दो, सर्वोदय से दो एवं छात्र संघर्ष समिति से, नरेन्द्रकुमार सिंह, अब्दुल बारी सिद्दिकी, अशोककुमार सिंह, अख्तर हुसैन, सुबोध कान्त सहाय, ब्रह्मदेव सिंह थे।

२६ जून का कार्यक्रम पटना में अभूतपूर्व हुआ। तानाशाही विरोधी नारे सारे शहर में रंग दिए गए। विशेषतः उन जगहों में जहां अधिक सुरक्षा की व्यवस्था थी, जैसे विधायकों के निवास-स्थान, सचिवालय, स्टेशन एरिया एवं अन्य सार्वजनिक स्थान। पुलिस एक तरफ मिटाती थी तो दूसरी ओर लिखा जाता था। बड़ी सावधानी से यह काम किया जाता था। २६ जून को जगह-जगह काला झंडा फहराया गया। गांधी मैदान में भी काला झंडा फहराया गया। इमरजेंसी में पटना नगर के संघर्ष वाहिनी संयोजक हरिनाराण चौधरी दूसरी बार गिरफ्तार कर लिए गए। चौधरी जिस मुहल्ले के हैं (चांदमारी रोड), वहां दो बड़ी दिलचस्प घटनाएं घटीं। २६ जून को चांदमारी रोड के दोमहले मकान पर गेहूं

सुखाया जा रहा था। कौओं से बचाने के लिए गेहूं वाली औरत ने एक 'लकड़ी' में काला ब्लाऊज टांग दिया था। बस बारह बजे दिन में चारों तरफ से उसको पुलिस ने घेर लिया। मकान वाले आश्चर्य में पड़ गए, तब पुलिस ने काला झंडा फहराने की बात कही। उस घर वाली ने समझाया कि कौआ से बचाने के लिए ऐसा किया गया पर पुलिस नहीं मानी एवं ब्लाऊज को उतरवा दिया तथा धमकी दी।

एक दूसरी घटना, चांदमारी रोड छात्र संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य, श्री ओमप्रसाद के घर रात में छापा पड़ा। वे किसी तरह भाग गए। पुलिस ने चारों तरफ खोज की। एक किरायेदार का ताला तोड़वाकर अंदर देखा। जब कहीं नहीं मिला तो आंगन के कुएं में टार्च मारकर देखा गया। दरोगा ने कहा, कुएं में तो नहीं लग रहा है मगर कुएं का पानी क्यों काला है? तब ओम जी की मां ने बताया कि काम में नहीं आने के कारण ऐसा है पर दरोगा मान ही नहीं रहा था।

चांदमारी रोड, गर्दनीबाग आदि मुहल्लों में मौत की घंटी का कार्यक्रम सफल रहा।

२० जुलाई को जे० पी० पटना लौट रहे थे। उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम बनाना था। गांधी शांति प्रतिष्ठान में छः मुख्य लोगों की कार्यक्रम की रूप रेखा तय करने के लिए बैठक थी। उसमें रामविलास पासवान भी थे। हम लोग एक ही साथ रहते थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में पुलिस पहले ही आ गई थी, हम लोगों को कुछ भी भनक नहीं लग सकी। ३ जुलाई को रामविलास पासवान के साथ गिरफ्तार होकर फुलवारी शरीफ जेल भेज दिए गए। जेल से चार रोज के रिमांड पर पुलिस लेने आई। पर वे अस्पताल में भर्ती हो गए। किसी तरह एक महीना बाद 'बेल' पर छूटे।

२० जुलाई को काफी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। उसके १५ रोज पहले से ही लोग पकड़े जाने लगे। २० जुलाई को जेल में ही था। फिर भी सारी खबर मालूम होती रहती थी। जगह-जगह भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। सिटी बस, टैम्पू, सारे यातायात बंद कर दिए गए।

१५ अगस्त को जगह-जगह छात्र संघर्ष समिति के लोगों ने झंडा फहराया।

२९ अगस्त को बिहार, उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य जगहों के प्रमुख साथियों की बैठक श्री कर्पूरी ठाकुर ने बुलाई। बड़ी सतर्कतापूर्वक बैठक के स्थान डालमिया अतिथिशाला में पहुंचा गया। वहां रातभर बहस होती रही, विशेषतः बिहार संबंधी बातें हुईं। पार्टी के एका पर भी विभिन्न दलों पर दबाव डालने की बात छात्र संघर्ष समिति ने बताई। वहीं २ अक्टूबर से १२ अक्टूबर तक का कार्यक्रम तय हुआ। उसी कार्यक्रम को बिहार की समन्वय समिति द्वारा पारित कर बिहार में सफल बनाया गया। बनारस में बिहार के मुख्य साथियों में थे डा० विनयन, सच्चिदानंद सिंह, त्यागपत्रित विधायक रामअवधेश सिंह, मुंशीलाल राय, आदि एवं छात्र संघर्ष समिति के नरेन्द्रकुमार सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, विजय सिंह (जमशेदपुर), देवेन्द्रकुमार (मधुबनी), अशोककुमार सिंह।

२ अक्टूबर का कार्यक्रम काफी सफल रहा। सहरसा, हाजीपुर, मंगेर, पटना में गिरफ्तारी हुई। डा० विनयन जयकाप्रश जयंती से लौटते समय गिरफ्तार कर लिए गए।

४ नवम्बर १९७६ को काला दिवस के रूप में मनाया गया।

पटना नगर के संघर्ष वाहिनी के संजोजक की आपात्काल में तीसरी बार गिरफ्तारी हुई। उन्हें पुलिस ने चोर-चोर चिल्लाकर बड़ी मार मारी। आठ जगह सिर में टांके आए।

३१ दिसम्बर को जे० पी० पुनः बम्बई से वापस आ रहे थे। पुनः जे० पी० के स्वागत के लिए खड़े नौजवानों पर पुलिस का लाठीचार्ज।

भूमिगत आंदोलन का संचालन मुख्यतः दो स्थानों से होता था। पहला प्रणव चटर्जी एडवोकेट साहब का मकान, दूसरा ललित बाबू एडवोकेट का मकान, जो 'ह्वाइट हाउस' के नाम से जाने जाते थे इन दो स्थानों पर महत्त्वपूर्ण मुख्य लोगों की बैठक होती थी। कुछ दिन भुसल्लेपुर एवं कृष्णनगर बोरिंग रोड से भी कार्य हुआ था, परन्तु इन जगहों पर पुलिस का छापा पड़ जाने पर छोड़ दिया गया।

पारस होटल से भी संचालन का काम हुआ है। इस होटल में कुछ भूमिगत लोग बाहर के आते थे, उन्हें ठहराने की व्यवस्था थी।

संघर्ष की एक धारा और बह रही थी बिहार में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर। २ अक्टूबर को कलकत्ता में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने चर्खा चलाने वालों और 'रामधुन' गाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साक्षी (गवाह) बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अठहत्तर-वर्षीय श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन हैं। दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधिस्थल राजघाट पर प्रार्थना सभा नहीं करने दी गई और श्री हरिविष्णु कामथ समेत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साक्षी वयोवृद्ध गांधीवादी नेता, आचार्य कृपलानी और डा० सुशीला नायर हैं। प्रार्थना सभा और आम सभा नहीं करने दी जाए, सामूहिक 'रामधुन' नहीं गाने दिया जाए, सामूहिक चर्खा नहीं चलाने दिया जाए, जुलूस और प्रदर्शन नहीं निकलने दिए जाएं, अखबारों की आजादी छीन ली जाए, मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कुचल दिया जाए, पार्लामेंट और अदालतों को 'बधिया' कर दिया जाए, संविधान के अनुसार निश्चित समय पर चुनाव कराने से इनकार किया जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का नामोनिशान मिटा दिया जाए, असत्य, आतंक और भय का साम्राज्य स्थापित कर दिया जाए और फिर भी कहा जाए कि देश में जनतंत्र है तो उससे बढ़कर फासिस्टी झूठ और क्या हो सकता है? एक तरफ तो सन्त विनोबा का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी खुशामद पर खुशामद की जाए और दूसरी ओर महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर कलकत्ता में उनकी मूर्ति के सामने बैठे-बैठे सामूहिक 'रामधुन' करने वाले और चर्खा चलाने वाले गांधीवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या इससे भी बढ़कर बुरे दिन, काले दिन और दुर्भाग्य के दिन भारत के लिए कुछ और हो सकते हैं?

अतः इस तानाशाही के खिलाफ कुछ न कुछ करना है, नहीं-नहीं,

बहुत कुछ करना है, विरोध और प्रतिरोध तक ही नहीं, विद्रोह तक करना है। जब किसी मुल्क में डिक्टेटरी आ जाए तो वहां की जनता को पूरा हक हासिल है कि वह हर किसी तरीके से डिक्टेटरी को मिटाने की कोशिश करे, लड़ाई लड़े। सबसे पहले यह जरूरी है कि हर गांव, देहात, शहर, बाजार, टोला, कस्बा, मुहल्ला, मकान में झूठ की क्षय, भय की क्षय, तानाशाही की क्षय और सत्य की जय, अभय की जय और जनतंत्र की जय को कहने वाले असंख्य लोग खड़े हों, तैयार हों। श्रीमती इन्दिरा गांधी पूरी कौम को बधिया कर देना चाहती हैं, राष्ट्र को नपुंसक बना देना चाहती हैं जबकि महात्मा गांधी संपूर्ण राष्ट्र को, एक-एक व्यक्ति को निर्भय और निःशंक बनाना चाहते थे। इन्दिरा राष्ट्रघाती है। परशुराम मात्र मातृहंता थे, इन्दिरा राष्ट्र-हन्ता, जनतंत्र-हन्ता और सत्य हन्ता हैं। अतः अभय गुण, निर्भय गुण, आज सबसे ज्यादा जरूरी है।

सम्पूर्ण मध्य देश (हिन्दी क्षेत्र)

संघर्षकर्ताओं के वही तीनों वर्ग सम्पूर्ण मध्य देश अर्थात् हिन्दी क्षेत्र में सक्रिय थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में प्रतिपक्ष के सभी दलों के पुराने-नये लोग और उनसे भी ज्यादा तादाद में निर्दलीय युवा, छात्रों की संघर्ष-चेतना इस काल की गौरव गाथा है।

मध्य प्रदेश में जन संघर्ष के पीछे कई शक्तियां आ मिली थीं जैसे समाजवादी दल के खेतिहर मजदूर संघ की शक्ति, जिसके नेता थे पुरुषोत्तम कौशिक। छत्तीसगढ़ के सातों जिलों में यह शक्ति, सरकार की 'लेवी' के विरोध में और किसान-मजदूर की समस्याओं के लिए संघर्षरत थी। दूसरी शक्ति थी समूचे प्रदेश में प्रतिपक्ष की शक्ति, जिसके प्रतिनिधि स्वर थे लाड़ली मोहन निगम, रमाशंकर। तीसरी शक्ति, युवा छात्र की थी जिसके प्रतिनिधि थे शरद यादव, विद्याभूषण ठाकुर, अश्विनी दुबे, प्रकाश शुक्ला और रघु ठाकुर। चौथी शक्ति थी जनसंघ की जिसके प्रतिनिधि थे बृजलाल वर्मा और हुकुमचन्द कछवाहा।

संघर्ष शक्ति की ठीक यही स्थिति राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और

हिमाचल क्षेत्रों में रही। भौतिक, बौद्धिक और नैतिक इन तीनों स्तरों पर लड़ा गया यह संघर्ष स्वातंत्र्योत्तर भारत की महान उपलब्धि है।

न जाने कब से जो सोया था, जो भयभीत और आतंकित था, जो संघर्ष से भागकर नियति और भाग्य-फल के लोक में चला गया था जो राज्यबल के सामने आत्मबल को निर्बल मान चुका था, वह इस अपूर्व लोक-संघर्ष में जगा।

रात बिलकुल अंधेरी और घनघोर थी, पर जब इस जन-मानस ने अंगड़ाई ली तो वह रात देखते-देखते ही बीत गई।

रात बीती

१८ जनवरी, १९७७ को श्रीमती गांधी ने लोकसभा के चुनाव की घोषणा की और विपक्षी दल के नेता जेलों से रिहा होने लगे।

दर असल वह चुनाव नहीं, जनता के भाग्य का फैसला था। आपात् स्थिति में, उस भय और दमन के बाद अचानक वह चुनाव। एक ओर साधन-सम्पन्न, अतुल बलशाली कांग्रेस, दूसरी ओर साधनहीन, शक्तिहीन, घायल टूटे-फूटे विपक्षी दल। पर इस सचाई के भीतर जो एक अदृश्य सत्य पनपा था १९ महीनों के कारावास में—एकता का सत्य, और उस सत्य को संगठनात्मक स्वरूप दिया था जे० पी० ने बंबई के राजा बाबू के घर रहकर, इंडियन एक्सप्रेस के गेस्ट हाउस में जीकर, इसका पता इन्दिरा सत्ता को उतना नहीं था। सत्ता को इस सचाई का भी तनिक अनुमान नहीं था कि इस बीच भारतीय जन-मानस में कितना क्या कुछ बदल गया है! सारी सचाई, सारे सूत्र, सारी लोक-शक्ति जैसे जे० पी० के हाथ में थी।

चुनाव घोषित होते ही सब कुछ सक्रिय होने लगा। सारे प्रतिपक्ष और उनके नेताओं की आंखें केवल जयप्रकाश पर टिक गईं। पटना से उन्हें दिल्ली बुलाने के लिए लोग दौडने लगे। फोन, तार, लोग सब···।

चुनाव की घोषणा पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया अगले दिन आई। १९ जनवरी को लोकनायक जयप्रकाश ने चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए आशा की कि नई स्थिति में विभिन्न विरोधी दल अपनी एक संगठित पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा—अगर विरोधी दल अपने को विलीन कर एक दल बनाते हैं तो मैं उस दल का साथ दूंगा अन्यथा मैं चुनाव-प्रचार से अलग रहूंगा।

जे० पी० के इस दो टूक बयान और इसमें छिपे एक श्रेष्ठ नैतिक दबाव से जैसे सब कुछ बिखरा हुआ एक हो गया। २३ जनवरी को

जनता पार्टी के निर्माण की घोषणा हो गई।

जे० पी० के परमप्रिय चन्द्रशेखर दिल्ली से पटना गए और जे० पी० को अपने साथ २५ जनवरी को दिल्ली ले आए। उस शाम गांधी शांति प्रतिष्ठान में जे० पी० को देखने और मिलने जनता पार्टी के समस्त नेता आए। जे० पी० बहुत कमजोर थे, पर बहुत ही आनंदित थे। जनता पार्टी के वही तो जनक थे। २६ की सुबह जे० पी० फिर पटना चले गए। उस दिन बुधवार, उनके 'डायलासिस' का दिन था।

फिर आए ५ फरवरी को जे० पी० दिल्ली। ६ फरवरी को रामलीला ग्राउंड में जनता पार्टी की पहली जनसभा के मंच पर उनके दर्शनों के लिए जैसे सारी दिल्ली उमड़ पड़ी थी। वह सभा अभूतपूर्व थी। करीब दस लाख लोगों का समागम था। दुनिया-भर के इतिहास में किसी राजनीतिक सभा में इतना बड़ा जन-जमूह आया हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जे० पी० ने भरे कंठ से कहा—२५ जून, १९७५ को इसी समय, यहीं से मैंने आपको कुछ कहा था। आज करीब बीस महीने बाद फिर इस दशा में आपके सामने आया हूं।'''जनता निर्भय होकर अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करे। यह अभूतपूर्व चुनाव किसी पार्टी के भाग्य का फैसला नहीं करने जा रहा है बल्कि प्रजातंत्र और तानाशाही के बीच जनता के भाग्य का फैसला है।

१४ मार्च को जे० पी० ने सच्चे लोकतंत्र के उदय को सामने रख एक महत्त्वपूर्ण बयान दिया—"चुनाव की तिथि जैसे-जैसे निकट आती जा रही है, चुनाव सभाओं और प्रचार अभियानों में अशांति की खबरें सुनता हूं। दक्षिण कलकत्ता ससदीय निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती पर हुए घातक हमले की खबर आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ी होगी। मैं स्वयं तो इतना स्वस्थ नहीं हूं कि देश के कोने-कोने में घूमकर इन सबकी तहकीकात कह सकूं। देश के सामाजिक जीवन में घुमड़ने वाली अशांति की आशंका को शांत करने के लिए एक शांति सैनिक की भूमिका में मैं जीवन-भर घूमता ही रहा हूं। आज भी स्वास्थ्य की लाचारी न होती तो मैं जनता के बीच पहुंचता। पिछले १९ महीनों में जन-भावना को जिस फूहड़ता से दबाया गया है,

वह यत्र-तत्र फूट पड़ती है तो इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। फिर भी रेडियो, अखबारों में अशांति की ऐसी खबरें पढ़कर मैं चिंतित हुआ हूं। मुझे नहीं मालूम यह सब कौन लोग कर रहे हैं और किसके इशारे पर ? आज के माहौल में हर दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करता ही है। इसलिए मैं आम नागरिकों से चाहे वे किसी दल के समर्थक हों और अपने युवकों से गंभीरतापूर्वक कुछ बातें कहना चाहता हूं।

" यह चुनाव कितने नाजुक समय पर हो रहा है और कितना बड़ा निर्णय करने हम जा रहे हैं, यह मैं बार-बार समझाता रहा हूं। इस बार हमारी छोटी-सी चूक भी वर्षों के लिए देश को अंधकार के गर्त में धकेल देगी। इसकी गंभीरता हमें समझनी चाहिए और उसीके अनुरूप बरतना चाहिए। दुनिया को यह देखने का मौका दीजिए कि अपने भाग्य के निर्णय के वक्त हम भारतवासी कितना संजीदा और दायित्वपूर्ण व्यवहार करते हैं। जनता पार्टी के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं को मेरा निर्देश है कि कांग्रेस के प्रति आपका आक्रोश कोरी नारेबाजी में जन-शिक्षण के ठोस काम में प्रकट होना चाहिए। कोरी नारेबाजी और प्रचार से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। सामान्य नागरिकों की विशिष्ट प्रतिभा पर भरोसा रखिए और उनके बीच घूमकर अपनी बातें शालीनतापूर्वक समझाइए, अपने कार्यक्रम बतलाए। कांग्रेस और दूसरे विरोधी पक्षों की सभाओं में जाकर जो अपनी भावनाओं के आवेग रोक न सकते हों, वे कृपा कर उनकी सभाओं तथा दूसरे कार्यक्रमों में जाएं ही नहीं। शांतिमय प्रतिकार का यह भी एक तरीका है।

" हिंसा या हुल्लड़बाजी की छोटी से छोटी वारदात हमारा पक्ष कमजोर करेगी, लोकतंत्र का पक्ष कमजोर करेगी। सबको अपनी बात कहने, अपना कार्यक्रम समझाने का अधिकार, लोकतंत्र की आत्मा है। कांग्रेस ने उसी आत्मा को अपनी मनमानी में कुचलने की कोशिश की, जिसका फल वे आज भोग रहे हैं। हमें इसके प्रति सचेत रहना है और छोटी से छोटी जगहों पर भी विरोध पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देना है। मन का आक्रोश दबा लीजिए, उनकी गलत बयानी

सुन लीजिए और वोट गिराते वक्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। आपका गिराया एक-एक वोट दर असल आपकी प्रतिक्रिया का ही द्योतक तो है।

" अब तो चुनाव के बाद ही आप सबसे मिलना और कहना हो सकेगा। मैं विश्वास करता हूं कि सच्चे लोकतंत्र के प्रति अपनी वफादारी का प्रमाण देने में हम कच्चे साबित नहीं होंगे। "

कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का चुनाव दौरा अपने उस घायल शरीर से करते हुए और उतनी अस्वस्थता में इतनी विशाल सभाओं में बोलते हुए जे० पी० अन्ततः बंबई पहुंचकर पूर्णतः अस्वस्थ हो गए। उनकी बीमारी के समाचार से सारा देश थरथरा गया। बंबई के जसलोक अस्पताल में उनका आपरेशन हुआ। जसलोक में पड़े जे० पी० ने ३ मार्च को बिहार के मतदाताओं के बहाने संपूर्ण देश के भाई-बहनों से अपील की—" मित्रो, मुझे बड़ा दुःख है कि ठीक समय पर मैं बीमार हो गया और इस समय बंबई के जसलोक अस्पताल में पड़ा हूं। आशा है, इस बेबसी के लिए मुझे आप क्षमा करेंगे और रुग्ण शय्या से लिखे हुए इस संदेश को स्वीकार करेंगे।

" यह मैं कई बार कह चुका हूं कि लोकसभा के लिए आने वाले चुनाव देश के भाग्य के लिए निर्णायक होने वाले हैं। चुनाव लोकशाही एवं तानाशाही के बीच है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन्दिराजी ने, जो अपना रूप प्रकट किया, तानाशाह बनीं और सवा लाख निरपराध लोगों को कैद में डाल दिया, जिनमें से अब भी कुछ लोग जेलों में ही हैं, इमरजेंसी की घोषणा की जो अब भी चालू है; प्रेस पर ताला लगा दिया—यह सबको स्मरण होगा। इसलिए मेरी आपसे सानुरोध अपील है कि फिर से इन्दिराजी को शासन में न आने दीजिए। अपना वोट जनता पार्टी को दीजिए और लोकशाही को विजयी बनाइए। "

पूरी आपात स्थिति के दौरान लोकनायक जयप्रकाश के विरुद्ध एकतरफा धुंआंधार प्रचार हुआ, पर आपात् स्थिति में ढील आते ही यह स्पष्ट हो गया कि इस सारे प्रचार से लोकनायक की प्रतिमा और तपकर प्रकाशमान हुई है। वह देश की नैतिक चेतना के सर्वमान्य प्रवक्ता और

आज महात्मा गांधी के समान सम्मानित युगपुरुष के रूप में देश की राजनीति पर छाए रहे हैं। जनता पार्टी के जिस अकेले नारे को लोग सबसे अधिक उमंग और नैतिक पूर्ण उत्साह से उत्तर देते थे, वह था—'अंधकार में एक प्रकाश, जयप्रकाश ! जयप्रकाश !!'

सचमुच अंधकार के खिलाफ प्रकाश की जीत हुई। समूचे उत्तर भारत में चमत्कार हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, पंजाब और राजस्थान में प्रकाश की प्रचंड आंधी के आगे जाति, धर्म, सम्प्रदाय, दल, असत्य, कुशक्ति के किले ढह गए।

चुनाव नतीजों के बाद जयप्रकाश ने गांधी के अंत्योदय के आदर्श की याद दिलाई। इसी मार्ग पर चलने के लक्ष्य से लोकनायक ने २४ मार्च, १९७७ की सुबह जनता पार्टी, कांग्रेस फार डैमोक्रेसी और अकाली दल के नवनिर्वाचित संसद सदस्यों से महात्मा गांधी की समाधि (राजघाट, दिल्ली) पर यह संकल्प लिया कि वे गांधीजी द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा करेंगे।

जे० पी० के सपनों का भारत उस दिन उग रहा था लोक-मानस के क्षितिज पर जहां से लोकनायक की प्रत्येक सांस से यह सुनाई पड़ रहा था—मेरे सपनों का भारत एक ऐसा समुदाय है, जिसमें हरेक व्यक्ति, हरेक साधन निर्बल की सेवा के लिए समर्पित है—अंत्योदय तथा निर्बल और असहाय की बेहतरी को समर्पित समुदाय।

वह ऐसा समुदाय है, जिसमें लोगों की मानवता की कद्र है—वह समुदाय, जिसमें हरेक व्यक्ति का अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने का अधिकार मान्य है और सब उसका सम्मान करते हैं।

वह ऐसा समुदाय है, जिसमें अलग-अलग विचारों पर शांतिपूर्ण ढंग से तर्क-वितर्क होता है। जिसमें मतभेद सभ्य तरीके से तय किए जाते हैं।

वह ऐसा समुदाय है, जिसमें सबके पास काम है—ऐसा काम, जिसमें उन्हें संतोष भी होता है और सुंदर जीवन-यापन भी। वह ऐसा समुदाय है, जिसमें हरेक को अपनी निजी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने की गुंजाइश है, जिसमें हरेक दस्तकार को, फैक्टरी या फार्म, जहां भी वह काम करता है, उसके स्वामित्व और प्रबंध में भागीदारी और दखल है।

वह ऐसा समुदाय है, जिसमें सबको बराबर के अवसर प्राप्त हैं—वह समुदाय जिसमें शक्तिशाली, बहुसंख्यक स्वयं ही निर्बल वर्ग, अल्पसंख्यकों की बाधाओं को समझते हैं, और उनको तरजीही सुविधाएं देने के लिए कोई कोर-कसर नहीं रखते, जिससे उनकी ऐतिहासिक बाधाएं दूर हों।

वह ऐसा समुदाय है, जिसमें हरेक साधन जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा है—उन्हें पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान और पीने का पानी मुहैया करने में।

मेरे सपनों का भारत ऐसा समुदाय है जिसमें हरेक नागरिक समुदाय के कार्य-व्यापारों में हिस्सा लेता है, जिसमें हरेक नागरिक अपने निजी स्वार्थों से परे मामलों को समझता है और उनमें हिस्सा लेता है। वह ऐसा समुदाय है जिसमें नागरिक—खास तौर से निर्बल—सुधार लागू करने और शासकों पर निगाह रखने के लिए संगठित और जागरूक हैं।

वह ऐसा समुदाय है, जिसमें अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, जिसमें जनता को, उनके पथभ्रष्ट होने पर, उन्हें दंडित करने का अधिकार और अवसर है, जिसमें सत्ता को सुविधा नहीं माना जाता, बल्कि जनता द्वारा सौंपा गया भरोसा माना जाता है।

संक्षेप में, मेरे मन में एक स्वतंत्र प्रगतिशील और गांधीवादी भारत की तसवीर है।

···चुनाव खत्म हो जाने पर, मैं स्वयं ही सारे वायदों को पूरा करवाने के लिए, हर स्तर पर, जनता समितियों को गठित करने के लिए अभियान शुरू करूंगा।

इसे भूलना नहीं

गांधी के सामने बहुत-से लोगों ने कई बार कर्म और सेवा की शपथ ली है। गांधी को वचन देने का मतलब है—त्याग और तपस्या। केवल सत्य नहीं, उतनी ही अहिंसा। केवल अहिंसा नहीं, उतना ही सत्य।

पर गांधी का वह सत्य अपना था। व्यक्ति, हर समय का अपना सत्य होता है। वर्तमान का रक्षक अतीत नहीं हो सकता।

वर्तमान समय की ही पहचान और समय के सत्य का परिचय कराते हुए चुने सांसदों के समक्ष जयप्रकाश ने कहा—"सत्ता की कुर्सी बहुत खतरनाक कुर्सी होती है।

"पिछली हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा चार्ज भ्रष्टाचार का था, भ्रष्टाचार शासन से, राजनीति से दूर हो, इसके लिए कुछ निश्चित सुझाव रखे गए थे, किन्तु प्रधान मंत्री ने, उनके साथियों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि आगे जो जनता पार्टी की सरकार होगी, उसका पहला काम होगा कि राजनीति से, शासन से, जो भ्रष्टाचार है, उसे दूर करे।

"···जनता ने आपको सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, भेजा है। सत्ता की कुर्सी बहुत खतरनाक कुर्सी होती है, इसलिए आवश्यक है कि सत्ता के ऊपर अंकुश रखने वाला एक संस्थान हो, जिसके पास आम नागरिक, राजनीतिक पार्टी एवं जनता भी जा सके, और उसके जो सुझाव होंगे, उसे सरकार मान्य करे। यही 'सेंट्रल इशू' (मुख्य मुद्दा) था। आपकी जीत इसी पृष्ठभूमि में हुई है, इसको भूलना नहीं है।

"संपूर्ण क्रांति की बात कई नेताओं ने की है। देश की जनता ने इसको स्वीकार किया है कि आमूल परिवर्तन आवश्यक है और तभी हमारे सपनों का समाज बनेगा। यह काम निर्ममता से करना है। जो बुरा है, उसको हटाना होगा और जो अच्छा है, उसे ही रखना होगा। यह बुनियादी परिवर्तन होगा। हर दिशा में यह काम करना है।

"···यह संपूर्ण क्रांति का श्रीगणेश हुआ है। आपको इसकी मशाल लेकर चलना है। केवल टिपकारी करना नहीं है, बल्कि बुनियादी परिवर्तन करना है।"

किसी भी ज्योतिषी ने, विद्वान ने, राज-नेता ने यह नहीं सोचा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे विराट हिन्दी राज्यों में कांग्रेस को एक सीट भी न मिल सकेगी। कांग्रेसी राज के खिलाफ यह किसी क्रोध की अभिव्यक्ति थी या उसकी कोई ऐसी चेतना-शक्ति थी या उसका कोई विवेकपूर्ण संकल्प था, यह बुद्धि और तर्क से नहीं जाना जा सकता। यह समझा जा सकता है, भारत के किसी सहज साधारण व्यक्ति के जीवन द्वारा उसकी समूची भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। 'भारत की जनता नेताओं से बहुत आगे है,' चुनाव परिणाम पर राजनारायण की यह बात इस प्रसंग में याद रखने लायक है।

यह भी याद रखना होगा कि संपूर्ण हिन्दी क्षेत्र, पंजाब और दिल्ली में विपक्षी दल के ही सारे शक्तिशाली व्यक्ति सत्ताधारी हुए हैं, नतीजा यह होगा कि इस देश को लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठाने वाला अब कौन होगा लोकसभा में ?

यह भी याद रखना होगा कि कांग्रेस दल गत तीस वर्षों से सत्ता की शक्ति से चलता रहा है। कांग्रेस अपने नैतिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर स्वतंत्र प्रतिपक्ष की भूमिका क्या अदा कर सकेगी ? चुनाव में हर मतदाता ने जनता पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टी को यही सोचकर मत दिया कि हम एक सशक्त स्वतंत्र विरोधी दल का निर्माण कर रहे हैं। पर उल्टे क्या यह नहीं हुआ कि इस प्रकार विरोधी दल की भूमिका ही समाप्त होने को है ?

इसे भी नहीं भूलना है कि भारत की जनता जैसी भी हो, जनतंत्र में आस्था रखती है। उसे उसका ही जनतंत्र मिले, पश्चिम का नहीं। पर अपना, इस मिट्टी से उपजा हुआ अपना भारतीय जनतंत्र अभी कहां है ?

इस माटी में संकल्प और आस्था की कमी नहीं है। जे० पी० ने इस माटी को हल से जोतकर तैयार किया है। अब हलधर किसान को देखना है, वह कैसा बीज डालती है इस खेत में ?

इतना तो स्पष्ट हो गया है कि राजमहलों से निकलकर राजनीति और सत्ता की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। जनता देख रही है खुली आंखों से तभी तो कहा था—जार्ज जैसे व्यक्ति को—'हे ! बंद करो यह नाटक, सीधे से जाकर कुर्सी संभालो, हां, नहीं तो !'

श्री जगजीवन राम और हेमवती ननदन बहुगुणा को डांटा था 'हे, खबरदार, झगड़ा मत करो।'

—तुम्हें पता नहीं, जनतांत्रिक मूल्यों की यहां किस तरह हत्या की गई है ?

—पता भी है, क्या है जनतंत्र ?

—क्या ?

—हम देख रहे हैं, चुपचाप काम करो अपना।

—अपना ?

—हां, जो हमने काम दिया है तुम्हें। मुंह क्या देख रहे हो ? तो कान खोलकर सुन लो और गांठ बांध लो, फिर नहीं कहने आऊंगा।

" इस बात की संभावना भी रहेगी जब जनशक्ति और राज्यशक्ति का परस्पर विरोध हो और मुरार जी भाई को उसका सामना करना पड़े। ऐसी कोई संभावना तो नहीं दीखती है, पर ऐसा हो तो मोरार जी को स्वीकार करना होगा कि जो क्रांति की शक्ति है, वह जनता की शक्ति है। विरोध की स्थिति में मेरी अपेक्षा है कि मोरार जी भाई विनम्र सेवक की तरह पेश आएं···इन्दिराजी की तरह का व्यवहार न हो। इन्दिरा जी ने 'जनता मार्च' को ठुकरा दिया, जो 'पीपुल्स चार्टर' बनाया गया था और स्पीकर एवं राज्यसभा के सभापति को जिसे पेश किया गया था, सत्ता ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह उनको गद्दी से उतारने की साज़िश है। उनको गद्दी से उतारने की बात नहीं थी बल्कि बात तो इतनी ही थी कि जो गद्दी पर बैठे हैं वो जनता की बात सुनें। नौजवान लोग गाते थे—'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है !'—इसका मानी यह नहीं था कि जनता कुर्सियों पर कब्जा करना चाहती है। सिर्फ यही मानी था कि शासन को जनता का सम्मान करना चाहिए···दूसरा मानी था कि भारत की जनता जाग्रत है, संगठित है। (तालियों की करतल ध्वनि)।

" ···जनता और शासन की 'पार्टनरशिप' है। आगे जो काम करने हैं, वे जन-शक्ति एवं राज-शक्ति दोनों को मिलकर करने हैं। इस जन-शक्ति में युवा शक्ति भी है, जिसे सही रास्ते ले चलना है। मैं आशा करता हूं कि नये प्रधान मंत्री इसे ध्यान में रखेंगे। "

मोरार जी भाई की तरफ मुड़कर जयप्रकाश जी ने जैसे ही यह वाक्य कहा, उन्होंने जवाब दिया, "कृपया आप निश्चित रहें। हम ऐसा ही करेंगे।" तालियों से सेंट्रल हॉल गूंज उठा और भावावेश से रुंधे स्वर में जयप्रकाश जी ने आगे कहा :

" ···मैं इस आश्वासन की यहां उम्मीद नहीं करता था। मैंने मोरार जी भाई से इस बारे में बाद में बात करने की सोची थी···इस सम्मानीय सभा के समक्ष उनके इस आश्वासन के बाद मुझे और बहुत कहना नहीं है।

" ···मैं आपसे कुछ वर्ष छोटा ही हूं और अब ज्यादा दिन जीने वाला भी नहीं हूं। आपसे पहले ही जाऊंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इतना बड़ा आश्वासन पाकर जा रहा हूं।

(आंसू बह निकले और उपस्थित समुदाय में भी अनेक आंखों से आंसू बहने लगे।)

" ···भारत का भविष्य उज्ज्वल है और उसके लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है।"

□□□

मुद्रक : मॉडर्न प्रिंटर्स, दिल्ली-११००३२